

## विभाग प्रमुखों के आदेश संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्र.-873-अमृ

सूचना

2021

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सिवनी निदेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट— <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Chhindwara/Seoni2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर
2. कलेक्टर, जिला सिवनी
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सिवनी
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिंदवाड़ा, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप सिवनी विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिंदवाड़ा या ई-मेल आईडी [obj-sugg-seoni@mp.gov.in](mailto:obj-sugg-seoni@mp.gov.in) में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजात कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

No. 873-Amrut-D.P.-32-Seoni-TCP-2021

Bhopal, the 04th February 2021

### NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Seoni Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website — <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Chhindwara/Seoni2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur
- 2- Collector, District- Seoni
- 3- Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Seoni
- 4- Deputy Director, Town and Country Planning, District office, Chhindwara

If there be any objection or suggestion with respect to the said - Seoni Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Chhindwara or mail on Email-id- [obj-sugg-seoni@mp.gov.in](mailto:obj-sugg-seoni@mp.gov.in) before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

अजात कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

# सिवनी

## विकास योजना 2035 (प्रारूप)

**मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973  
के प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित**




संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल,  
मध्य प्रदेश

# सिवनी

विकास योजना 2035


(प्रारूप)



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश



# सिवनी विकास योजना 2035 (प्रारूप)



4



संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल, मध्य प्रदेश


## प्रस्तावना

जिला मुख्यालय नगर सिवनी, जबलपुर के दक्षिण में सतपुड़ा पठार के संकरे उत्तर-दक्षिण खंड में स्थित है। इसके उत्तर में जबलपुर, पूर्व में मंडला, दक्षिण पूर्व में बालाघाट, पश्चिम में छिन्दवाड़ा, उत्तर-पश्चिम में नरसिंहपुर तथा दक्षिण दिशा में महाराष्ट्र का नागपुर जिला स्थित है। वनोपज बाहुल्य प्रक्षेत्र में स्थित यह नगर प्रशासकीय एवं वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

सिवनी विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3/67-2007/32, दिनांक 08.10.2008 के द्वारा अनुमोदित होकर सूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 24.10.2008 से प्रभावशील की गई। वर्तमान में नगर की विकास योजना का पुनर्विलोकन कर सिवनी विकास योजना 2035 (प्रारूप) का प्रकाशन किया जा रहा है।

नगर का बहुआयामी केन्द्र के रूप में विकास करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए सिवनी विकास योजना 2035 (प्रारूप) 2.50 लाख की जनसंख्या हेतु तैयार की गई है। विकास योजना में आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद-प्रमोद, परिवहन एवं नगरीय अधोसंरचना के उन्नयन के प्रस्ताव दिये गये हैं। इस विकास योजना में पारम्परिक भूमि उपयोग निर्धारित न करते हुए नगर की आवश्यकता के अनुरूप मिश्रित उपयोग प्रस्तावित किये गए हैं। मिश्रित भूमि उपयोग के अंतर्गत आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोगों को एक साथ रखा गया है; जो वर्तमान में नगरीय विकास की आवश्यकता भी है।

इस योजना को तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया गया है। सर्वसाधारण एवं संस्थाओं से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रारूप योजना प्रकाशित की जा रही है। मुझे आशा है कि नागरिकगण अपने व्यवहारिक, सृजनशील एवं रचनात्मक सुझावों को प्रस्तुत करेंगे ताकि हम उनके सक्रिय योगदान से इस योजना को अंतिम रूप देकर और अधिक प्रभावशील करने में सफल हो सकें।

  
(अजीत कुमार)

आयुक्त सह संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश  
मध्य प्रदेश

**सिदनी विकास योजना | 2035**

The table content is extremely faded and illegible. It appears to be a multi-column table with several rows of text, possibly detailing various items or activities under the development plan. The text is too light to be transcribed accurately.

सिवनी विकास योजना | 2035

## योजना दल

### संयुक्त संचालक

राजेश नागल

आर. के. पाण्डे

संजय मिश्रा

डॉ. अमित कुमार गजभिये

### उप संचालक (प्रभारी)

विनोद कुमार परस्ते

### सहायक संचालक

इन्दु त्रिपाठी

अपूर्वा गंगराडे

हरिओम माहेश्वरी

### कर्मचारीगण

बी.डी.दवंडे  
आनन्द मालवीय  
शैलेन्द्र कुशवाहा  
अमित मरावी  
संध्या अहाके

जयंत शील  
अरविंद सक्सेना  
अनिल सक्सेना  
सर्वेश पिडिहा  
सरिता ठाकुर  
मानसी गुज्जेवार

### म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (LU&USD) का दल

डॉ. विवेक कटारे  
प्रमुख

डॉ. देवानु भट्टनागर  
प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर, अमृत

सत्येन्द्र यादव  
रिसर्च एसोसिएट

जैकिश तलेरा  
सीनियर रिसर्च फेलो

**सिवनी विकास योजना | 2035**

## विषय सूची

प्रस्तावना.....	i
योजना दल.....	iii
विषय सूची.....	v
सारणी सूची.....	xi
आरेख सूची.....	xv
मानचित्र सूची.....	xvii
अध्याय-1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ.....	1
1.1 नगर परिचय.....	1
1.1.1 स्थिति.....	1
1.1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि.....	1
1.1.3 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ.....	2
1.1.4 नगर विकास का क्रम.....	3
1.2 भौतिक स्वरूप.....	3
1.2.1 भू-आकृति.....	3
1.2.2 जलवायु.....	3
1.2.3 खनिज संपदा.....	4
1.3 नियोजना हेतु प्रयास.....	4
1.4 नियोजन के उद्देश्य एवं लक्ष्य.....	5
1.5 निवेश क्षेत्र.....	5
1.5.1 नगरपालिका क्षेत्र.....	7
अध्याय-2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण.....	9
2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग.....	9
2.1.1 अमृत योजना.....	10
2.1.2 सुदूर संवेदन.....	10
2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली.....	12
2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली.....	12
2.2.1 उद्देश्य.....	14
2.2.2 कार्यप्रणाली.....	15

## सिबनी विकास योजना | 2035

2.2.3	जनसंख्या आकलन पद्धति.....	17
<b>2.3</b>	<b>अमृत मानकों की व्याख्या .....</b>	<b>17</b>
2.3.1	थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping).....	17
<b>2.4</b>	<b>नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता .....</b>	<b>24</b>
2.4.1	नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता विकल्प.....	26
<b>2.5</b>	<b>भूमि उपयोग का आवंटन.....</b>	<b>32</b>
<b>अध्याय-3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण .....</b>		<b>33</b>
<b>3.1</b>	<b>विकास योजना 2021 क्रियान्वयन परिदृश्य .....</b>	<b>33</b>
<b>3.2</b>	<b>विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन .....</b>	<b>33</b>
3.2.1	आवासीय .....	35
3.2.2	वाणिज्यिक.....	36
3.2.3	मिश्रित.....	36
3.2.4	औद्योगिक.....	36
3.2.5	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक.....	37
3.2.6	सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं.....	37
3.2.7	आमोद-प्रमोद.....	37
3.2.8	यातायात एवं परिवहन .....	38
3.2.9	जलाशय.....	39
<b>3.3</b>	<b>विकास योजना में उपांतरण .....</b>	<b>39</b>
<b>3.4</b>	<b>असंगत भूमि उपयोग .....</b>	<b>40</b>
<b>3.5</b>	<b>जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण .....</b>	<b>42</b>
3.5.1	निवेश क्षेत्र की जनसंख्या .....	42
3.5.2	जनसंख्या लिंगानुपात.....	46
3.5.3	शिशु जनसंख्या.....	48
3.5.4	साक्षरता .....	51
3.5.5	अनुसूचित जाति.....	57
3.5.6	अनुसूचित जनजाति.....	61
3.5.7	कार्यशील जनसंख्या .....	64
<b>3.6</b>	<b>नगर के मुख्य कार्यकलाप.....</b>	<b>75</b>
<b>3.7</b>	<b>नगरीय विस्तार.....</b>	<b>75</b>
<b>3.8</b>	<b>गंदी बस्तियाँ.....</b>	<b>75</b>

## सिवनी विकास योजना | 2035

<b>3.9 अनुमानित जनसंख्या.....</b>	<b>76</b>
<b>3.10 आवास आवश्यकता.....</b>	<b>78</b>
<b>3.11 भौतिक अधोसंरचना.....</b>	<b>79</b>
3.11.1 जल प्रदाय.....	79
3.11.2 नालियां तथा मल उपचार.....	81
3.11.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन.....	82
3.11.4 विद्युत प्रदाय.....	83
<b>3.12 सामाजिक अधोसंरचना.....</b>	<b>83</b>
3.12.1 अग्निशमन.....	83
3.12.2 पुलिस कार्यालय.....	83
3.12.3 वाचनालय.....	83
3.12.4 श्मशान घाट / कब्रिस्तान.....	83
3.12.5 धोबी घाट.....	83
3.12.6 दूरसंचार.....	84
3.12.7 सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं.....	84
3.12.8 सी.एन.जी. गैस वितरण सेवा.....	84
<b>अध्याय-4 प्रस्तावित भूमि उपयोग.....</b>	<b>85</b>
<b>4.1 विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन.....</b>	<b>85</b>
<b>4.2 योजना अवधारणा.....</b>	<b>85</b>
<b>4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता.....</b>	<b>86</b>
<b>4.4 विकास योजना 2035 के प्रस्ताव.....</b>	<b>86</b>
4.4.1 आवासीय.....	88
4.4.2 वाणिज्यिक.....	88
4.4.3 मिश्रित.....	88
4.4.4 औद्योगिक.....	89
4.4.5 सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक.....	89
4.4.6 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें.....	89
4.4.7 आमोद प्रमोद.....	90
4.4.8 यातायात एवं परिवहन.....	91
<b>4.5 निवेश इकाईयाँ.....</b>	<b>92</b>
4.5.1 क्षेत्रफल वितरण.....	92
<b>4.6 अनौपचारिक सेक्टर.....</b>	<b>93</b>

सिवनी विकास योजना		2035
4.7	गंदी बस्ती क्षेत्र.....	94
4.8	पुनर्विकास नीति.....	94
4.9	ग्राम आबादी विस्तार.....	95
4.10	कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान.....	95
4.11	असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना.....	95
4.11.1	कार्यकेन्द्र.....	97
4.11.2	व्यापार एवं वाणिज्यिक.....	97
4.11.3	नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र.....	97
4.11.4	कार्यालय.....	97
<b>अध्याय-5 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना.....</b>		<b>99</b>
5.1	प्रस्तावित यातायात संरचना.....	99
5.2	यातायात की वर्तमान स्थिति.....	99
5.3	प्रस्तावित यातायात प्रणाली.....	100
5.3.1	क्षेत्रीय/बायपास मार्ग.....	100
5.3.2	मुख्य नगरीय मार्ग.....	101
5.3.3	खण्ड स्तरीय मार्ग एवं उपखण्ड स्तरीय मार्ग.....	101
5.3.4	स्थानीय मार्ग.....	101
5.4	मार्गों की चौड़ाई.....	101
5.4.1	मार्ग संगम, तिराहा एवं चौराहा सुधार.....	104
5.4.2	बस स्थानक.....	105
5.4.3	वाहन विराम केन्द्र.....	105
<b>अध्याय-6 विकास नियमन.....</b>		<b>107</b>
6.1	प्रवृत्तशीलता.....	107
6.2	क्षेत्राधिकार.....	107
6.3	परिभाषायें.....	110
6.4	भूमि उपयोग परिक्षेत्र.....	111
6.4.1	आवासीय.....	114
6.4.2	वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र.....	117
6.4.3	औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र.....	121
6.4.4	मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र.....	121
6.4.5	सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक.....	122
6.4.6	सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड.....	123

## सिवनी विकास योजना | 2035

<b>6.5</b>	<b>अन्य नियमन.....</b>	<b>125</b>
6.5.1	12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन.....	125
6.5.2	बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण.....	125
6.5.3	फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा.....	125
6.5.4	अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान.....	125
6.5.5	ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक.....	126
6.5.6	यातायात नगर/मैकेनिक नगर/लॉजिस्टिक हब/निजी बस स्थानक.....	126
6.5.7	शॉपिंग मॉल/खुला मॉल.....	126
6.5.8	वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन.....	127
6.5.9	होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग.....	127
6.5.10	मैरिज गार्डन.....	127
6.5.11	बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल.....	127
6.5.12	शीतकेन्द्र/वेयर हाउस/गोदाम/अन्य भण्डारण.....	128
6.5.13	छविगृहों के लिए मापदण्ड.....	128
6.5.14	मल्टीप्लेक्स.....	128
6.5.15	उद्यान.....	128
<b>6.6</b>	<b>संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन.....</b>	<b>128</b>
<b>6.7</b>	<b>उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियाँ.....</b>	<b>130</b>
<b>6.8</b>	<b>अन्य सुविधाएँ.....</b>	<b>135</b>
<b>6.9</b>	<b>विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया.....</b>	<b>135</b>
<b>अध्याय-7 योजना क्रियान्वयन.....</b>		<b>137</b>
<b>7.1</b>	<b>विकास योजना का क्रियान्वयन.....</b>	<b>137</b>
<b>7.2</b>	<b>योजना क्रियान्वयन की नीति.....</b>	<b>138</b>
<b>7.3</b>	<b>पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम.....</b>	<b>139</b>
7.3.1	पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व.....	139
<b>7.4</b>	<b>नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना.....</b>	<b>139</b>
7.4.1	नियंत्रित विकास.....	140
7.4.2	अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन.....	140
7.4.3	एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना.....	140
<b>7.5</b>	<b>विकास नियमन व्यापक दृष्टिकोण.....</b>	<b>141</b>
<b>7.6</b>	<b>योजना एवं कार्यक्रम.....</b>	<b>141</b>
7.6.1	संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व.....	142

## सिवनी विकास योजना | 2035

7.7 प्रथम चरण के घटक .....	142
7.8 प्रथम चरण कार्यक्रम .....	143
7.9 संसाधन गतिशीलता .....	144
7.10 योजना पर्यवेक्षण तंत्र .....	145
7.11 योजना की व्याख्या.....	146
7.11.1 योजना कालावधि .....	147
परिभाषाएँ .....	149
परिशिष्ट 1.....	161
परिशिष्ट 2.....	162
परिशिष्ट 3.....	163
परिशिष्ट 4.....	164
परिशिष्ट 5.....	165
परिशिष्ट 6.....	166
परिशिष्ट 7.....	167
परिशिष्ट 8.....	168
परिशिष्ट 9.....	169
परिशिष्ट 10 .....	170

## सारणी सूची

सारणी क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्र.
सारणी 1.1	सिवनी नगर से प्रमुख नगरों की दूरी.....	2
सारणी 1.2	खनिज संपदा.....	4
सारणी 1.3	निवेश क्षेत्र.....	6
सारणी 2.1	उपग्रह चित्रों के मानक.....	11
सारणी 2.2	स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब-क्लासेस.....	12
सारणी 2.3	भू-स्थानक डाटा.....	17
सारणी 2.4	बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं भू-स्थानक डाटा.....	18
सारणी 2.5	ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल.....	20
सारणी 2.6	मृदा विश्लेषण.....	20
सारणी 2.7	लिथोलॉजी.....	21
सारणी 2.8	जलाशयों का वर्गीकरण.....	21
सारणी 2.9	भू-जल विवरण.....	21
सारणी 2.10	सीमाओं का वर्गीकरण.....	22
सारणी 2.11	जिओमोरफोलॉजी.....	23
सारणी 2.12	जल स्रोत बफर क्षेत्रफल.....	23
सारणी 2.13	भूमि अवक्रमण.....	24
सारणी 2.14	मार्ग संरचना बफर.....	24
सारणी 2.15	कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल -1 के लिए वेटेड इंडेक्स.....	26
सारणी 2.16	कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल -2 के लिए वेटेड इंडेक्स.....	28
सारणी 2.17	कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल -3 के लिए वेटेड इंडेक्स.....	29
सारणी 2.18	Land Suitability Area.....	31
सारणी 3.1	विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन*.....	34
सारणी 3.2	विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार).....	35
सारणी 3.3	वाणिज्यिक विकास.....	36
सारणी 3.4	आमोद-प्रमोद विकास.....	38
सारणी 3.5	यातायात एवं परिवहन विकास.....	38
सारणी 3.6	जलाशय.....	39
सारणी 3.7	भूमि उपयोग उपांतरण.....	40
सारणी 3.8	असंगत भूमि उपयोग की पुर्नस्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग.....	40
सारणी 3.9	निवेश क्षेत्र की जनसंख्या.....	42
सारणी 3.10	दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत).....	43


## सिवनी विकास योजना | 2035

सारणी क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्र.
सारणी 3.11	वार्ड की जनसंख्या.....	44
सारणी 3.12	वार्ड वार जनसंख्या घनत्व विवरण.....	45
सारणी 3.13	वार्ड अनुसार जनसंख्या घनत्व विश्लेषण.....	46
सारणी 3.14	पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या.....	46
सारणी 3.15	जनसंख्या लिंगानुपात.....	47
सारणी 3.16	वार्ड अनुसार लिंगानुपात.....	48
सारणी 3.17	शिशु जनसंख्या.....	49
सारणी 3.18	वार्ड अनुसार शिशु जनसंख्या.....	50
सारणी 3.19	शिशु लिंगानुपात.....	50
सारणी 3.20	वार्ड अनुसार शिशु लिंगानुपात.....	51
सारणी 3.21	साक्षर जनसंख्या.....	53
सारणी 3.22	साक्षरता दर.....	54
सारणी 3.23	पुरुष साक्षरता दर.....	55
सारणी 3.24	महिला साक्षरता दर.....	56
सारणी 3.25	पुरुष-महिला साक्षरता दर में अन्तर.....	57
सारणी 3.26	पुरुष-महिला साक्षरता दर में अन्तर.....	57
सारणी 3.27	वार्ड अनुसार साक्षरों की जनसंख्या.....	57
सारणी 3.28	अनुसूचित जाति की जनसंख्या (प्रतिशत).....	58
सारणी 3.29	अनुसूचित जाति की जनसंख्या.....	59
सारणी 3.30	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (प्रतिशत).....	61
सारणी 3.31	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या.....	62
सारणी 3.32	वार्ड अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या.....	63
सारणी 3.33	श्रमिक भागीदारी अनुपात.....	65
सारणी 3.34	श्रमिक बल वृद्धि दर.....	66
सारणी 3.35	सेक्टरवार श्रमिक बल का विवरण (प्रतिशत).....	67
सारणी 3.36	श्रमिक जनसंख्या.....	69
सारणी 3.37	कुल श्रमिकों की तुलना में मुख्य श्रमिकों का अनुपात (प्रतिशत).....	70
सारणी 3.38	कुल श्रमिकों की तुलना में सीमांत श्रमिकों का अनुपात (प्रतिशत).....	71
सारणी 3.39	कामकाजी पुरुषों का कार्य भागीदारी अनुपात.....	72
सारणी 3.40	कामकाजी महिलाओं का कार्य भागीदारी अनुपात.....	74
सारणी 3.41	वार्ड अनुसार श्रमिकों की भागीदारी.....	74
सारणी 3.42	नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल.....	75
सारणी 3.43	जनसंख्या परिवर्तन.....	76
सारणी 3.44	जनसंख्या प्रक्षेपण.....	77
सारणी 3.45	वर्ष 2011 अनुसार आवास आवश्यकता.....	78

## सिवनी विकास योजना | 2035

सारणी क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्र.
सारणी 3.46	निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित आवासों की मांग.....	79
सारणी 3.47	जल आपूर्ति आकलन.....	80
सारणी 4.1	सिवनी निवेश क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035.....	87
सारणी 4.2	निवेश इकाईयों का विवरण.....	92
सारणी 4.3	निवेश इकाईवार भूमि क्षेत्रफल.....	93
सारणी 4.4	असंगत भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग.....	96
सारणी 5.1	प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई.....	101
सारणी 5.2	वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई.....	103
सारणी 5.3	मार्ग संगमों का सुधार.....	105
सारणी 6.1	मुख्य उपयोग परिक्षेत्र.....	112
सारणी 6.2	आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड.....	115
सारणी 6.3	आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का 'आकार एवं निर्मित क्षेत्र.....	117
सारणी 6.4	वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड.....	117
सारणी 6.5	वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक.....	118
सारणी 6.6	वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात.....	120
सारणी 6.7	सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास मापदण्ड.....	122
सारणी 6.8	सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन.....	124
सारणी 6.9	अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान.....	125
सारणी 6.10	उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां.....	130
सारणी 7.1	योजना क्रियान्वयन की लागत.....	138
सारणी 7.2	प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक.....	143
सारणी 7.3	प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत.....	144

**सिवनी विकास योजना | 2035**



## आरेख सूची

आरेख क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्र.
आरेख 2.1	कार्यप्रणाली .....	16
आरेख 3.1	दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर.....	43
आरेख 3.2	लिंगानुपात .....	48
आरेख 3.3	शिशु लिंगानुपात.....	51
आरेख 3.4	साक्षरता दर.....	52
आरेख 3.5	पुरुष साक्षरता दर.....	55
आरेख 3.6	महिला साक्षरता दर.....	56
आरेख 3.7	अनुसूचित जाति की जनसंख्या (प्रतिशत) .....	60
आरेख 3.8	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (प्रतिशत) .....	63
आरेख 3.9	श्रमिक भागीदारी (प्रतिशत).....	67
आरेख 3.10	सेक्टरवार श्रमिक बल का विवरण (प्रतिशत) .....	68
आरेख 3.11	पुरुषों का कार्य भागीदारी अनुपात.....	73
आरेख 3.12	महिलाओं का कार्य भागीदारी अनुपात.....	73
आरेख 3.13	जनसंख्या परिवर्तन.....	76
आरेख 3.14	जनसंख्या प्रक्षेपण .....	77
आरेख 4.1	प्रस्तावित भूमि उपयोग का प्रतिशत.....	88

**सिवनी विकास योजना | 2035**

## मानचित्र सूची

मा. क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्र.
1.1	Regional Setting	2A
1.2	Location Map of Planning Area	2B
1.3	Planning Area	6A
2.1	Satellite Images	10A
2.2	Digital Elevation Model	12A
2.3	Building Footprint	18A
2.4	Contour	20A
2.5	Slope	20B
2.6	Lithology	20C
2.7	Soil Texture	20D
2.8	Groundwater Prospects	20E
2.9	Earthquakes Zones	22A
2.10	Land Value	22B
2.11	Government Land	22C
2.12	Geomorphology	22D
2.13	Waterbody Buffer	22E
2.14	Land Degradation	24A
2.15	Road Buffer	24B
2.16	Land Suitability (Model-1)	30A
2.17	Land Suitability (Model-2)	30B
2.18	Land Suitability (Model-3)	30C
3.1	Existing Landuse	34A
3.2	Ward Map	44A
3.3	Ward Wise Population Density	44B
3.4	Ward Wise Sex Ratio	46A
3.5	Ward Wise Child Population (0-6)	48A
3.6	Ward Wise Child Sex Ratio	50A
3.7	Ward Wise Literacy	52A
3.8	Ward Wise SC/ST Population	60A
3.9	Ward Wise Work Participation	66A
3.10	Urban Sprawl	74A
3.11	Existing Overhead Tank	80A
3.12	Power Supply Network	82A
3.13	Existing ATM	84A
3.14	Existing Community Toilet	84B
4.1	Proposed Landuse	86A
4.2	Planning Unit	92A
5.1	Existing Transport Network	102A
5.2	Proposed Transport Network	102B
7.1	First Phase Implementation	144A

## अध्याय-1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ

### 1.1 नगर परिचय

#### 1.1.1 स्थिति

जबलपुर राजस्व संभाग का प्रमुख जिला मुख्यालय नगर सिवनी जबलपुर के दक्षिणी सतपुड़ा पठार के संकरे उत्तर-दक्षिण खण्ड पर स्थित है। यह 22°04'29.9" उत्तरी अक्षांश एवं 79°32'45.5" पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। इसके उत्तर में जबलपुर 150 कि.मी. पूर्व में मण्डला 90 कि.मी., दक्षिण-पूर्व में बालाघाट 90 कि.मी., पश्चिम में छिन्दवाड़ा 70 कि.मी., उत्तर-पूर्व में नरसिंहपुर 130 कि.मी. और दक्षिण में महाराष्ट्र का नागपुर लगभग 130 कि.मी. दूरी पर विद्यमान है। सिवनी समुद्र सतह से 619 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।

#### 1.1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सिवनी के नामकरण को लेकर विभिन्न जनश्रुतियाँ हैं। वृक्षों (बेल) की बहुलता देखकर जगद्गुरु आदि शंकराचार्य ने इसे श्रीवनी नाम से संबोधित किया था, एक धारणा यह भी है कि जिला मुख्यालय में स्थित शिव मठ जन्ही के द्वारा स्थापित किया गया था। सिवनी श्रीवनी का अपभ्रंश है। ऐसा भी कहा जाता है कि सेवन वृक्षों की बहुलता से इसका नाम सिवनी पड़ा, इसके अतिरिक्त नामकरण को लेकर एक और धारणा प्रचलित है, जो तर्कसंगत समझी जाती है, चूँकि यह क्षेत्र कौशल और दंडकारण्य का सीमावर्ती क्षेत्र था। अतः इसे सीमणी या सिवनी कहा जाने लगा। इस जिले में कुरई से लगा सतपुड़ा श्रेणी उत्तरी भारत को अलग करता है। इस का क्रमबद्ध इतिहास सोलहवीं शताब्दी के बाद से ही पाया जाता है, जब कि प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यहाँ पाषाण काल से ही मनुष्य रहते आये हैं। जिले के बनडोल, अलोनिया, कान्हीवाड़ा, छपारा, सरेखा और सिवनी से प्राप्त पूर्ण आर्युवेदों का मिलना इसकी पुष्टि करता है। हिन्दुओं में प्रचलित पूरे अठारह पुराणों के सृष्टि - खण्ड, वाल्मिकी रामायण तथा महाभारत में वेणा या वेणु नदी का वर्णन है। वर्णित भौगोलिक स्थिति के अनुसार वह वैनगंगा नदी ही है, जो इस जिले के परतापुर (मुंडारा) ग्राम से निकलकर वृहद रूप धारण करती हुई आन्ध्र प्रदेश में प्राहिता के नाम से गोदावरी से मिली है।

प्राचीन समय में यह गढ़ा मंडला के गौड़ राज्य में आता था। गौड़ के बावनगढ़ों में से अमोदागढ़, घंसौर, कुरई खंड में करवागढ़ और चांवडीगढ़ आदि इस जिले के विभिन्न अंचलों में स्थित थे। सन् 1688 में इस क्षेत्र पर राजा नरेन्द्रशाह, सन् 1742 में राज खां पुत्र मुहम्मद खां, तत्पश्चात् इस पर नागपुर के रघुजी राजा भोंसले का अधिकार था। सिवनी नगर सन् 1774 में आबाद हुआ, तब आगीर खां छपारा, सिवनी का दीवान था। सिवनी का दीवान महल उसी समय बनाया गया। अठारहवीं शताब्दी के

## सिवनी विकास योजना | 2035

प्रथम चरण में देश के अन्य भागों की तरह यह भी अस्थिरता रही। सन् 1804 एवं 1809 में सिवनी और छपारा में आगीर खां पिंडारे ने भारी लूट-पाट की थी, लूट के माल में पिंडारे केवल सोना ही ले जा सके थे, उन्हें किसी अन्य वस्तु को हाथ लगाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, इससे सिवनी छपारा की आर्थिक समृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है।

### 1.1.3 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ

सिवनी म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 4 की उपधारा 1 के अन्तर्गत शासन की अधिसूचना पृष्ठ एफ- 49/26/249/33/73 दिनांक 22.10. 1973 के द्वारा अधिसूचित प्रदेशों के वन और खदानों वाले 'सतपुड़ा प्रदेश के अन्तर्गत है। सिवनी छोटी रेल लाइन द्वारा छिन्दवाड़ा, नैनपुर, मंडला, जबलपुर एवं नागपुर से जुड़ा है, जिसे ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तन का कार्य प्रगतिशील है। सिवनी वन सम्पदा की दृष्टि से अत्याधिक सम्पन्न है, जिसमें वनोपज लकड़ी, बांस, तेन्दुपत्ता मुख्य है। इसके अतिरिक्त वनो से गोंद, हर्रा, बहेड़ा, चिरोंजी, भिलमा, महुआ, आँवला भी प्राप्त होता है। यह नगर मुख्यतः कृषि प्रधान है, सब्जी उत्पादन के अलावा वनोपज से स्थानीय निवासी अपनी आजीविका चलाते हैं।

सिवनी नगर राज्य की राजधानी भोपाल से 350 किलोमीटर, जबलपुर से 150 किलोमीटर और छिन्दवाड़ा से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। सिवनी दक्षिण एवं उत्तर में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 स्वर्णिम चतुर्भुज द्वारा नागपुर तथा नरसिंहपुर से जुड़ा हुआ है। पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 69ए सिवनी को छिन्दवाड़ा से जोड़ता है। सिवनी नगर से प्रमुख नगरों की दूरी एवं दिशाएँ सारणी 1.1 में दी गयी हैं।



सारणी 1.1 सिवनी नगर से प्रमुख नगरों की दूरी

क्र.	नगर	सिवनी से दूरी (कि.मी. में)
1	2	3
1	भोपाल	350
2	रायपुर	300
3	जबलपुर	150
4	नागपुर	130
5	छिन्दवाड़ा	70

वर्ष 1890 में सिवनी नैरो गेज (रेल लाईन) की स्थापना हुई, जो की सिवनी को छिन्दवाड़ा एवं नैनपुर होते हुए जबलपुर से जोड़ती थी। वर्तमान में नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तन का कार्य प्रगतिशील है। सिवनी से निकटतम हवाई अड्डे की सुविधा नागपुर में है।



1.2 Seoni : Location Map




 Landuse & Urban Survey Division  
 Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal


 Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

26

*Signature*

## सिवनी विकास योजना | 2035

## 1.1.4 नगर विकास का क्रम

सिवनी नगर में सन् 1200 से 1988 के मध्य हुए प्रमुख निर्माण का विवरण निम्नानुसार है :-

1. दलसागर	—	सन् 1200
2. मठमंदिर	—	सन् 1700
3. डिस्ट्रीक कोर्ट	—	सन् 1912
4. नार्मल (एकसीलेंट) स्कूल	—	सन् 1919
5. जिला जेल	—	सन् 1925
6. कंपनी गार्डन	—	सन् 1926
7. चन्द्रलोक इन्द्रभवन	—	सन् 1928
8. कलेक्टर निवास	—	सन् 1928
9. पावर हाउस	—	सन् 1938
10. कोतवाली	—	सन् 1939
11. कलेक्टर कार्यालय	—	सन् 1948
12. विश्राम गृह	—	सन् 1954
13. पुरातत्व संग्रहालय	—	सन् 1988

## 1.2 भौतिक स्वरूप

## 1.2.1 भू-आकृति

वैनगंगा यहां की प्रमुख नदी है। दक्षिण में जिला मुख्यालय से 16 कि.मी. की दूरी पर ग्राम मुंडारा (परतापुर) से निकलकर ग्राम छपारा के पास स्वर्णम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 को पार करती हैं। वैनगंगा नदी पर भीमगढ़ बांध वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत निर्मित है, यह नदी सिवनी की जीवन रेखा है। सिवनी में वर्तमान में सात तालाब है :- बस स्टेण्ड के पास दलसागर तालाब, नगर पालिका कार्यालय के पास बुधवारी तालाब, रेल्वे स्टेशन के पास मोती तालाब, पुलिस ग्राउण्ड के पास सुखा, बोरदई, लखनवाड़ा एवं कटोरा तालाब।

## 1.2.2 जलवायु

सिवनी निवेश क्षेत्र की जलवायु सामयिक है और आमतौर पर अत्याधिक गर्मी और ठंड की भिन्नता से मुक्त है। वर्ष को चार मौसमों में विभाजित किया जा सकता है। दिसंबर से फरवरी माह तक ठंड का मौसम, मार्च से मई माह तक गर्मी का मौसम, जून के तीसरे सप्ताह से सितंबर माह के अंत तक वर्षा तथा अक्टूबर और नवंबर माह में मानसूनोत्तर काल होता है। दिसंबर तथा जनवरी माह वर्ष के सबसे ठंडे महीने होते हैं। सिवनी जिले का औसत उच्चतम तापमान 42° सेल्सीयस तथा न्यूनतम 10.2° सेल्सीयस होता है।

### 1.2.3 खनिज संपदा

खनिज संपदा की दृष्टि से सिवनी जिला अधिक सम्पन्न नहीं है, यहां पर प्राप्त होने वाले प्रमुख खनिजों का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है।

सारणी 1.2 खनिज संपदा

क्रमांक	खनिज	स्थिती	नगर से दूरी	उपयोग
1	2	3	4	5
1	रेत	हिरी नदी, बरघाट क्षेत्र, खवासा, खमरिया, कटंगी रोड	बरघाट क्षेत्र 40 कि.मी. खमरिया 55 कि.मी. कटंगी रोड 40 कि.मी.	भवन निर्माण
2	पत्थर	बड़ाकल, फुलारा	20 कि.मी.	भवन तथा सड़क
3	कोयला	आमाझीरी	54 कि.मी.	औद्योगिक
4	डोलोमाइट	पिपरवानी	55 कि.मी.	विस्फोटक

### 1.3 नियोजना हेतु प्रयास

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15(1) के अंतर्गत सिवनी निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर प्रकाशित किये जाकर दिनांक 31.10.1982 को अंगीकृत किये गये थे। सिवनी विकास योजना 2021 म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-67-2007/32 दिनांक 08.10.2008 के द्वारा अनुमोदित होकर सूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 24/10/2008 से प्रभावशील की गई थी।

भारत सरकार द्वारा "Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation" (AMRUT) योजना की उपयोजना के अन्तर्गत देश के 500 चयनित शहरों की विकास योजनाओं में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करना सुनिश्चित किया गया है। इन 500 शहरों में मध्य प्रदेश के 34 शहरों का चयन किया गया है, जिनमें सिवनी शहर भी सम्मिलित है। तदनुसार सिवनी नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, वर्ष 2035 की आवश्यकताओं को आधार मानकर सुनियोजित विकास योजना के प्रस्ताव सृजित किए गए हैं। इन योजना प्रस्तावों में नगर के अनुरूप आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ, आमोद-प्रमोद, यातायात एवं परिवहन के साथ ही नगर की अधोसंरचना के प्रस्ताव दिए गए हैं। यह योजना वर्ष 2035 की

## सिवनी विकास योजना | 2035

अनुमानित जनसंख्या 2.50 लाख को आधार मानकर तैयार की गई है एवं तदनुसार ही यातायात एवं अधोसंरचना के उन्नयन को भी ध्यान में रखा गया है।

#### 1.4 नियोजन के उद्देश्य एवं लक्ष्य

नियोजन की अवधारणा में समयानुसार बदलाव आया है, विकास योजना तैयार करना, अब संतुलित विकास पर केन्द्रित है। सिवनी विकास योजना 2035 तैयार करते समय अमृत योजना की रूपरेखा एवं मानकों के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव दिये गये हैं। सिवनी विकास योजना 2035 में निम्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है :

1. नगर का प्रकार, आकार एवं माप।
2. सघन विकास।
3. नगरीय प्रबंधन में जन-यातायात व्यवस्था, सरल एवं सामान्य पहुँच के साथ।
4. नगरीय परिवेश का पोषण एवं संरक्षण।
5. नगरीय जीवन स्तर में उत्तरोत्तर गुणात्मक सुधार एवं स्वास्थ्य में वृद्धि।
6. नगर की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विरासत का पोषण एवं परिमार्जन।
7. नगर नियोजन में नागरिकों की अधिकतम सहभागिता को प्रोत्साहन।
8. नगर के भौतिक एवं आर्थिक स्वरूप की गतिशीलता में तीव्रता लाना।
9. मूलभूत जीवन आधार प्रणाली के संसाधनों को अनुरक्षित करना।

#### 1.5 निवेश क्षेत्र

सिवनी नगर के भावी विकास को नियंत्रित एवं सुनियोजित करने हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धार 13 (1) के प्रावधानान्तर्गत म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 232/एफ-1-2/बत्तीस भोपाल दिनांक 21 जनवरी 1974 के द्वारा सिवनी निवेश क्षेत्र का गठन किया गया है।


सिवनी निवेश क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 8698.06 हेक्टेयर है। सिवनी निवेश क्षेत्र में सिवनी नगरपालिका क्षेत्र एवं 16 ग्राम सम्मिलित हैं। सिवनी नगर पालिका क्षेत्र का क्षेत्रफल 1545.54 हेक्टेयर है, जोकि कुल निवेश क्षेत्र का 17.77 प्रतिशत है। सिवनी निवेश क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल 7152.52 हेक्टेयर है जोकि कुल निवेश क्षेत्र का 82.23 प्रतिशत है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 1.3 निवेश क्षेत्र

क्रमांक	ग्रामों का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	जनसंख्या
1	2	3	4
<b>(अ) नगर पालिका क्षेत्र</b>			
1	डूंडासिवनी (आंशिक)	242.82	102343
2	ज्यारत	89.34	
3	भैरोगंज	110.93	
4	मंगलीपेठ (आंशिक)	124.56	
5	सीरदीवान	216.91	
6	सिवनी-खास	40.49	
7	सिवनी-रैयत	394.92	
8	बबरिया	212.70	
<b>(अ)</b>	<b>योग</b>	<b>1545.54</b>	<b>102343</b>
<b>(ब) ग्रामीण क्षेत्र</b>			
1	बींझावाड़ा	811.77	2240
2	मानेगाँव	211.86	907
3	बिटली	628.67	1055
4	पलारी	449.08	1779
5	छिड़िया	757.76	427
6	डोरली छतरपुर	571.38	4369
7	बोरदई	378.51	1717
8	खेरी	276.79	1435
9	सिमरिया	234.60	700
10	मरझोर	149.99	1892
11	बम्होड़ी	426.89	967
12	लखनवाड़ा	728.54	1231
13	कोनियापार	263.28	366
14	परतापुर	247.72	1259
15	लोनिया	583.12	581
16	लुघरवाड़ा	432.56	2426
17	डूंडासिवनी (आंशिक)	22.69	-
18	मंगलीपेठ (आंशिक)	90.18	
<b>(ब)</b>	<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>	<b>7152.52</b>	<b>23351</b>
<b>योग (अ + ब)</b>		<b>8698.06</b>	<b>125694</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 2011 एवं भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण



## सिवनी विकास योजना | 2035

**टीप:** सिवनी निवेश क्षेत्र हेतु प्रभावशील विकास योजना 2021 भौतिक सर्वेक्षण से तैयार की गई थी। विकास योजना 2021 हेतु निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों के अनुसार 7459.70 हेक्टेयर अंकित किया गया था। विकास योजना 2035 हेतु निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल राजस्व अभिलेख अनुसार 7459.70 हेक्टेयर है। वर्तमान में विकास योजना 2035 हेतु सेटेलाइट इमेज एवं ग्राम सीमा के डिजिटल मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र के कुल वास्तविक क्षेत्र को प्रगणित किया गया है, जिसके अनुसार निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 8698.06 हेक्टेयर होता है। यह विकास योजना जी.आई.एस. पद्धति पर स्थल की वास्तविक स्थिति अनुसार तैयार की गई है, इसीलिए विकास योजना तैयार करने के उद्देश्य से 8698.06 हेक्टेयर क्षेत्रफल को मान्य करते हुए विकास योजना के प्रस्ताव दिए गए हैं।

सिवनी निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्नलिखित अनुसूची में परिनिश्चित की गयी है :-

- उत्तर में** : ग्राम लोनिया, लूघरवाड़ा, बिंझावाड़ा, (रैयत), बोरिया, मानेगांव, तथा बिटलीकी उत्तरी सीमा तक।
- पूर्व में** : ग्राम बिटली, पलारी, तथा छिड़िया की पूर्वी सीमा तक।
- दक्षिण में** : ग्राम छिड़िया, डोरलीछतरपुर, बोरदई, खैरी, सिमरिया, मरझोर, बम्होडी तथा लखनवाड़ा की दक्षिण सीमा तक।
- पश्चिम में** : ग्राम लखनवाड़ा, कोनिया, पार तथा लोनिया की पश्चिम सीमा तक।

### 1.5.1 नगरपालिका क्षेत्र

नगरपालिका क्षेत्र का गठन सर्वप्रथम सेन्ट्रल प्रोविंस एक्ट के तहत अधिसूचना क्रमांक 337/दिनांक 17/05/1867 द्वारा हुआ। वर्तमान में सिवनी नगरपालिका क्षेत्र 24 वार्डों में विभाजित है।

**सिवनी विकास योजना | 2035**

*(The content of this table is extremely faint and illegible due to low contrast and blurring. It appears to be a large table with multiple columns and rows, possibly containing project details, financial data, or implementation schedules.)*

## अध्याय-2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

### 2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

नगर विकास एक सतत् प्रक्रिया है, जिससे नगर नियोजन के द्वारा क्षेत्रीय एवं स्थानीय संदर्भ में, नगर के विभिन्न आयामों में विकास के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों के आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है। विकास हेतु उत्तरदायी शासकीय, अर्द्ध शासकीय, सामाजिक एवं निजी संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि, विकास योजना में दिये गये भू-उपयोगों के प्रस्तावों का पालन करते हुए नियोजित विकास में अपनी सक्रिय सहभागिता निभायें; जिससे नगर अपनी आवश्यकता के अनुरूप कृषि, औद्योगिक एवं अन्य उत्पादन पर आधारित वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास हेतु कार्यक्षम वातावरण के साथ-साथ अन्य आवश्यक गतिविधियों जैसे- आवासीय, अमोद-प्रमोद, व्यावसायिक, प्रशासनिक, सार्वजनिक-अर्द्ध सार्वजनिक विकास को समाहित कर सकें।

नगर की विकास योजना बनाने के लिए यह समझना आवश्यक है कि नगरीय विकास के विभिन्न घटकों में किस प्रकार से संबंध एवं सामंजस्य स्थापित रहे। नगरीय विकास से संबंधित विभिन्न आंकड़े एकत्रित कर उनके अध्ययन के आधार पर भावी आवश्यकताओं का आकलन किया जाना भी एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। विकास योजना तैयार करने के लिए नगरीय विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर नियोजन किया जाना आवश्यक है। विकास योजना पुनर्विलोकन का लक्ष्य केन्द्र शासन की अमृत योजना अंतर्गत निर्धारित मापदंड तथा जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना है।

भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा "Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation" (AMRUT) योजना की शुरुआत जून 2015 में हुई। अमृत योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के सभी शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें अर्थात् जल-आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, बिजली, शहरी परिवहन, हरित क्षेत्र इत्यादि मुहैया कराने एवं सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेषतः गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा। इस योजना की उपयोजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के चयनित 34 शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस.तकनीक) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने के मापदण्ड (Design & Standards) दिये गये हैं।

## सिवनी विकास योजना | 2035

विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है। इन पद्धतियों से भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इसके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करने में तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है।


### 2.1.1 अमृत योजना

**“Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation” (AMRUT)** योजना की उपयोजना के मुख्य उद्देश्य है:

1. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस आधार पर मानचित्र तैयार करना।
2. अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना।
3. Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाइन के मानकों को समाहित करना।

### 2.1.2 सुदूर संवेदन

सुदूर संवेदन तकनीक के अंतर्गत भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू II (World View II) के उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का उपयोग थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। उपग्रह चित्रों का उपयोग अमृत योजना के अन्तर्गत 1:4000 पैमाने पर आधार मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। अमृत योजना में उपग्रह चित्रों के मानक, सारणी 2.1 में दर्शाये गये हैं।



## सारणी 2.1 उपग्रह चित्रों के मानक

S.No.	Description	Value	Remarks
1	2	3	4
1	Spatial Resolution	0.5 meters or better	
2	Spectral Resolution	PAN Sharpened (Bands: Panchromatic, Red, Green, Blue and Near Infrared)	IR band is optional
3	Band to Band registration	Less than 1/4th of pixel size	
4	Radiometry	10 bit or better	
5	Image Resampling	Nearest Neighbourhood	
6	Monoscopic / Stereoscopic	Plain Areas: Monoscopic Highly Hilly areas: Stereoscopic	Need of Stereoscopic to be reviewed case by case. If the city is built on terrain slope more than 15 degrees.
	Monoscopic data view angle	Less than 10 degree from nadir	In specific cases, maximum of up to 15 degrees view angle shall be allowed
	Stereoscopic	One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir	Base to Height (B/H) ratio: $0.6 < B/H < 0.8$
7	Product type	Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs)	Ortho-kit data with RPCs

स्रोत:- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

## सिवनी विकास योजना | 2035

**2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली**

भौगोलिक सूचना प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन, एवं क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है। अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स को क्लासेज एवं सब-क्लासेज में विभाजित किया गया है। इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। जो कि सारणी 2.2 में दर्शाया गया है।


**सारणी 2.2 स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब-क्लासेस**

S. No.	Spatial Layers	Source for Spatial data generation	Classification based on Use & Attributes	
			Classes	Sub Classes
1	2	3	4	5
1	Base layers 1. Road 2. Bridges 3. Water Bodies	Very high resolution satellite data	3	16
2	Urban Land use/Land cover	Very high resolution satellite data	22	48
3	Building Footprints	Very High Resolution satellite data	16	46
4	Digital Elevation Model (DEM) Type : Digital Terrain Model (DTM)	CARTO DEM – NRSC, ISRO	1	1
5	Cadastral Layer	State Revenue Department	1	
6	Boundaries 1. Planning Boundaries 2. Municipal Boundaries	Town & Country Planning Urban Local Bodies	1 1	1 1

स्रोत:- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

**2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली**

विकास योजना प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है, स्थायी एवं पूर्व क्षमता युक्त नगरीय उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना। तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु, भावी बसाहट, वर्तमान में



## सिवनी विकास योजना | 2035

विद्यमान बसाहट तथा पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार आवश्यक है, प्रस्तावित अर्थात् भविष्य के विकास के लिए भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके। अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने, नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिये। इसके साथ ही, यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव, भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर हो। एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्न लिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है:

- **धरातल विशेषताएँ**

भौतिक स्थिति, कंटूर, सामान्य अथवा अत्याधिक ढलान, भूगर्भ विशेषताएँ, मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्रोत, जलप्लावित क्षेत्र, सघन कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान, हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग।

- **भूमि उपयोग वितरण**

नगरीय विस्तार, कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू-दृश्यीकरण स्थल, नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, आमोद प्रमोद, यातायात, रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध हैं, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता।

- **जनसंख्या विशेषताएँ**

आयु समूह, लिंगानुपात, आब्रजन वितरण, भावी जनसंख्या, आगामी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर एवं व्यवसायिक संरचना।

- **आर्थिक गतिविधियाँ**

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ, आर्थिक समस्याएँ एवं संभावनाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएँ एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएँ।

- **यातायात विशेषताएँ**

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ माल वाहन, निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, सायकल पथ, पादचारी पथ, जलाशय, रेलवे, वायु सेवा एवं यातायात संरचना।

- **आवास विशेषताएँ**

उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति एवं भावी आवश्यकता, झुग्गीवासियों की आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण, भूमि तथा वित्तीय स्थिति।

- **सार्वजनिक सेवाएँ**

पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलवहन प्रणाली, विद्युत प्रदाय तथा संचार सेवाएँ।

- **सार्वजनिक सुविधाएँ**

शैक्षणिक संस्थाएँ, आमोद प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र।  
एकत्रित जानकारी एवं एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत, वर्ल्डव्यू-II (World View-II) उपग्रह चित्रों के साथ समन्वित कर विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों पर निर्धारित है, जिसमें Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाईन के अन्तर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित है।

### 2.2.1 उद्देश्य

- **भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना**

वर्ल्डव्यू-II (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी जो श्रेणी-II को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो।

- **बसाहट के विस्तार का मानचित्र तैयार करना**

विभिन्न स्थितियों पर, उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, नगर का विकास, क्रमशः विभिन्न समयावधि में हुआ है, जिसके मानचित्र तैयार करना।

- संपूर्ण सिवनी नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना
- नैसर्गिक आपदाओं का, जैसे बाढ़, भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना।
- जल स्रोत, नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय, ढलान, मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना।
- नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना एवं जिस भूमि का संरक्षण करना है, उसका मानचित्र पर अंकन करना।
- प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना।


- **जनगणना के आँकड़ें**

अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु, भारत की जनगणना वर्ष 1901 से 2011 तक के आँकड़ों को विकास योजना तैयार करने हेतु अनुमानित जनसंख्या तथा योजनाकाल में भूमि की आवश्यकता के आकलन के लिए किया गया है।

### 2.2.2 कार्यप्रणाली

अमृत योजना के अन्तर्गत एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त, स्थल मानचित्र, जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर, अमृत मानकों के अनुसार आकड़ें एकत्रित कर, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु, आधार मानचित्र तैयार किया गया। सिवनी विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन अमृत योजना के अनुसार जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली निम्नानुसार दर्शायी गई है।

आरेख 2.1 कार्यप्रणाली



### 2.2.3 जनसंख्या आकलन पद्धति

सन् 2035 की भावी जनसंख्या के आकलन करने हेतु वर्ष 1901 से 2011 तक की जनगणना जानकारी एकत्र की गई एवं विभिन्न सांख्यिकी पद्धति के आधार पर अंकगणितीय वृद्धि पद्धति, ज्यामितीय वृद्धि पद्धति एवं इंफ्रामेंटल पद्धति द्वारा प्रगणित की गई है।

## 2.3 अमृत मानकों की व्याख्या

अमृत मानकों (Design and Standard) के अनुसार, शहर के विभिन्न विभागों से आंकड़े एकत्रित किये गये हैं। इन आंकड़ों में शहर की भौगोलिक जानकारी, सांख्यिकी आंकड़े, औद्योगिक पहलू, भौतिक अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार, इत्यादि सम्मिलित है। जल प्रदाय, जल-मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन, पर्यावरण, पुरातत्व, पर्यटन, राजस्व आदि से संबंधित इत्यादि जानकारी सम्मिलित है।

### 2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping)

विकास योजना तैयार करने हेतु विभिन्न थिमेटिक मानचित्र तैयार कर विश्लेषण किया गया है।

#### 2.3.1.1 यातायात संरचना

अमृत योजना के मानकों के आधार पर, वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किये जाने हेतु उपग्रह चित्र आधारित मानचित्रों का उपयोग किया गया है। जिसमें निम्न मानकों को आधार मानकर वर्गीकृत किया गया है। जिसे निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 2.3 भू-स्थानक डाटा

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	01-01	Road	National Highway
	01-02		State Highway
	01-06		Bypass
	01-09		Major City Road
	01-10		Minor City Road
	01-11		Other Public Road
	01-12		Other Private Road
	01-15		Village road


## सिवनी विकास योजना | 2035

## 2.3.1.2 भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) हैदराबाद से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर, सिवनी नगर का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया है। भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दिए गये वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया। अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली, निम्नसारणी में उल्लेखित है:-

सारणी 2.4 बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं भू-स्थानक डाटा ।

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	06-04	Residential	House
	06-05		Group of Houses
	06-06		Apartment
2	07-01	Commercial	Retail
	07-03		General Business
	07-04		Hotel / Lodge / Restaurant
	07-13		Hostel
3	08-01	Industrial	Manufacturing
	08-08		Agro based & Food Processing
	08-09		Obnoxious
	08-10		Cottage & Household
	08-11		Other Industries
4	09-01	Mixed	Residential & Commercial
5	10-01	Educational	School
	10-05		Anganwari
			College
6	11-01	Health Services	Polytechnic
	11-02		Govt. Hospital
	11-04		Private Hospital
7	12-01	Central Govt. Property	Clinic/Dispensary
	12-02		Office
8	13-01	State Govt. Property	Quarter
			Office
9	15-02	Public & Semi-Public	Banks
	15-05		Police Station
	15-06		Cantonment/Battalion
	15-08		Crematorium Burial Ground /Grave Yard
	15-09		Guesthouse/Resthouse



## सिवनी विकास योजना | 2035

S.No	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
	15-11		Dharmashala
	15-12		Tourist Facility Centre
	15-15		Museum
	15-16		Public Library
	15-25		Public/Community Toilet
	15-28		Old age Home
	15-30		Fire Station
10	16-01	Religious	Temple
	16-05		Gurudwara
	16-09		Aashram/Math/Bhojanshala
11	17-01	Recreational	Garden
12	18-01-01	Public Utilities	Water Treatment Plant
	18-01-02		Water Pumping Station
	18-03-01		Sewage Treatment Plant
	18-04-02		Electric Sub-Station
13	21-01	Heritage	Monuments
	21-02		Fort
	21-03		Archaeological Site
14	24-01	Transportation	Bus stand /Terminus
15	25-04	Traffic related	Multi-Level Parking
16	26-02	Rural	House
	26-03		Group Of House
17	33-09	Others	Farm house
	33-10		Dairy farm
	33-17		Gaushala

## 2.3.1.3 ढलान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto-DEM (Cartosat-1 derived Digital Elevation Model) के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया। ढलान के निर्धारण हेतु ग्रिड पद्धति एवं निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है।

$$\text{ढलान का प्रतिशत} = \left( \frac{\text{ऊँचाई में अंतर}}{\text{दूरी में अंतर}} \right) \times 100$$

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल सारणी 2.5 में दिया गया है।

## सारणी 2.5 ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

क्र.	ढलान (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1.	>15	32.79	0.38%
2.	10-15	146.88	1.69%
3.	5-10	258.72	2.97%
4.	3-5	224.00	2.58%
5.	1-3	1553.92	17.87%
6.	<1	6481.75	74.52%
<b>योग</b>		<b>8698.06</b>	<b>100.00%</b>


स्रोत:- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण


## 2.3.1.4 मृदा

सम्पूर्ण जिले की मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करने हेतु "भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग" Soil & Land use Survey of India (SLUSI) जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त की गई है। उक्त मानचित्र तैयार करने में, सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाईल के विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की उपयोगिता निर्धारित की गई है जिसका उपयोग किया है। मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर, भूमि का कटाव मानचित्र, मिट्टी की बनावट का मानचित्र तथा मिट्टी की गहराई का मानचित्र तैयार किया गया। जिसकी जानकारी निम्न सारणी में दर्शायी गयी है।


## सारणी 2.6 मृदा विश्लेषण


क्र.	मिट्टी की संरचना	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Water Body	99.94	1.15%
2	Clayey	2114.51	24.31%
3	Clayey Skeletal	41.71	0.48%
4	Fine	5492.56	63.15%
5	Fine Silty	572.05	6.58%
6	Loamy	94.09	1.08%
7	Loamy Skeletal	283.20	3.26%
<b>Total</b>		<b>8698.06</b>	<b>100.00%</b>











## सारणी 2.7 लिथोलॉजी

क्र.	श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Basaltic	6837.14	78.61%
2	Laterite	1346.37	15.48%
3	SCHIST	514.55	5.92%
<b>Total</b>		<b>8698.06</b>	<b>100.00%</b>

## 2.3.1.5 जलाशय

वर्ल्डव्यू-II (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर, सिवनी, शहर में स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया है। अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली निम्न सारणी में उल्लेखित है

## सारणी 2.8 जलाशयों का वर्गीकरण

S.NO	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1	05-01	Water Bodies	River
	05-02		Stream
	05-03		Canal
	05-04		Drain
	05-05		Ponds

## 2.3.1.6 भूजल स्तर

सिवनी निवेश क्षेत्र में मुख्यतः तालाबो, नाला, नदी सम्मिलित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निवेश क्षेत्र में भू-जल स्तर मुख्यतः मध्यम है। जिसका विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

## सारणी 2.9 भू-जल विवरण

क्र.	श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Water Body	99.94	1.15%
2	Good to Moderate	66.64	0.77%
3	Moderate to poor	8202.35	94.30%
4	Poor	329.13	3.78%
<b>Total</b>		<b>8698.06</b>	<b>100.00%</b>

## सिवनी विकास योजना | 2035

**2.3.1.7 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र**

भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्ट्स (Fractures and Faults) तथा मिट्टी की जानकारी, ढलान की जानकारी एवं जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, एन.जी.आर.आई. के आंकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्रीकरण किया गया है। आपदा प्रबंधन योजना अंतर्गत सिवनी भूकंप संभावित क्षेत्र है; जो कि Zone III Moderate Damage Risk Zone (MSK VII) के अंतर्गत आता है।

**2.3.1.8 भूमि मूल्य**

महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा प्रकाशित बाजार मूल्य मार्गदर्शिका से निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत कुल वार्ड के अन्तर्गत, भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई एवं बाजार मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया है।


**2.3.1.9 ग्राम/वार्ड सीमा**


राजस्व विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया है। भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर खसरा मानचित्रों का स्पेशियल एडजस्टमेंट किया गया। ग्राम मानचित्रों का स्पेशियल एडजस्टमेंट करने के पश्चात निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गयी। नगर परिषद से प्राप्त वार्ड मानचित्र के आधार पर नगर का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया। अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग की 1:30000 का तथा 1:25000 मापक पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया।


यह मानचित्र एकीकृत वॉर्ड की विभिन्न जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। जनसंख्या के आंकड़ें जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किये गये, उनको ग्राम मानचित्रों से संबद्ध किया है। अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली, निम्नसारणी में उल्लेखित है:-


**सारणी 2.10 सीमाओं का वर्गीकरण**


S.No.	CODE	CLASS	SUB-CLASS
1	2	3	4
1.	37-05	Administrative Boundaries	Village Boundary
	37-06		Forest Boundary
	37-07		Revenue Boundary
2.	38-01	Planning Boundaries	Planning Area Boundary
	38-04		Controlled Area Boundary
3.	37-05	Municipal Boundaries	Municipal Boundary
	37-06		Ward Boundary
	37-07		Zone Boundary











## सिवनी विकास योजना | 2035

थीमेटिक मानचित्र, भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) वर्गीकरण का उपयोग कर डिजिटाइज कर निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किये गये हैं। निवेश क्षेत्र के सांख्यिकीय आँकड़ें, भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गये हैं।

**2.3.1.10 भू-आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड**

सिवनी निवेश क्षेत्र को भू-आकृति की दृष्टि से सात भागों में विभाजित किया गया है। क्षेत्र का अधिकांश भाग भू-आकृति की दृष्टि से पेडीमेंट क्षेत्र में आता है। यह जानकारी सारणी 2.11 में दर्शायी गयी है।

**सारणी 2.11 जिओमोर्फोलॉजी**

क्र.	जिओमॉर्फोलॉजी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Inselberg	6.23	0.07%
2	Mesa	31.09	0.36%
3	Pediment	7728.55	88.85%
4	Pediment-Corestone-Tor Composite	473.81	5.45%
5	Plateau Remnant	66.64	0.77%
6	Upland (Lateritic)	291.8	3.35%
7	Water Bodies (River)	99.94	1.15%
<b>Total</b>		<b>8698.06</b>	<b>100.00%</b>

**2.3.1.11 जल स्रोत बफर**

सिवनी निवेश क्षेत्र में मुख्यतः तालाबो, नाला, नदी सम्मिलित किये गये हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 115.33 हेक्टेयर है। तालाबों के चारों ओर एवं नालों के किनारे वृक्षारोपण का प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 अनुसार दिया गया है, जिससे पर्यावरण एवं संरक्षण हेतु तटीय क्षेत्र को उसके मूल स्वरूप में यथावत रखा जा सके। जल स्रोत बफर की जानकारी सारणी 2.11 में दर्शायी गई है।

**सारणी 2.12 जल स्रोत बफर क्षेत्रफल**

क्र.	बफर (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	15	249.81	2.87%
2	30	99.37	1.14%
3	45	99.42	1.14%
4	60	99.62	1.15%
<b>Total</b>		<b>548.22</b>	<b>6.30%</b>

टीप:- प्रतिशत कुल निवेश क्षेत्र 8698.06 हेक्टेयर क्षेत्रफल के आधार पर लिया गया है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## 2.3.1.12 भूमि अवक्रमण

सिवनी निवेश क्षेत्र अंतर्गत भूमि की अवक्रमण संबंधी जानकारी सारणी 2.13 में दर्शायी गई है।

सारणी 2.13 भूमि अवक्रमण

क्र.	श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Water erosion - Sheet - Moderate	584.06	6.71%
2	Water erosion - Sheet - Severe	129.26	1.49%
<b>Total</b>		<b>713.31</b>	<b>8.20%</b>

टीप:- प्रतिशत कुल निवेश क्षेत्र 8698.06 हेक्टेयर क्षेत्रफल के आधार पर लिया गया है।

## 2.3.1.13 मार्ग संरचना बफर


मार्ग संरचना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत भावी विकास के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है। सिवनी से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 69 ए एवं 44 तथा राज्य राजमार्ग 12, 26 एवं 54 गुजरते हैं जो नगर को छिन्दवाडा, नागपुर, मंडला, बालाघाट एवं कदंगी नगरों से जोड़ता है। नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु मार्गों को सम्मिलित किया गया है एवं बफर जोन, मार्ग के दोनों ओर निर्धारित किए गये हैं। जोन के अन्तर्गत बफर मार्ग संरचना की जानकारी उपरोक्त सारणी, 2.14 में दर्शायी गयी है।


सारणी 2.14 मार्ग संरचना बफर

क्र.	मार्ग बफर (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	100	1592.38
2.	200	1219.94
3.	500	3140.04
<b>योग</b>		<b>5952.36</b>

## 2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना है कि, कौनसी भूमि का विकास किया जाये एवं किस प्रकार किया जाये। इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक, विशेषताएँ, नैसर्गिक अवरोध एवं सामाजिक एवं आर्थिक समानताएँ महत्वपूर्ण हैं। मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत, भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है। भूमि उपयुक्तता का निर्धारण, भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर है, भूमि का मूल्य प्रमुखतः तीन आधार पर निर्भर होता है :-





## सिवनी विकास योजना | 2035

1. भूमि का बाजार मूल्य जो पूर्णतः विक्रय के आधार पर होता है।
2. प्राकृतिक संरचना के गुणात्मक मूल्यांकन।
3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य।

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र, के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जा सकते हैं। निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं। भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है, अपितु इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करना है, एवं भूमि के विस्तृत वर्गीकरण, विभिन्न विकास हेतु करना संभव है। इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग उपयुक्तता निर्धारण, वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव महत्वपूर्ण है। यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा, उस दशा में, उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर, विकास हेतु ग्राह्य नहीं है, का भी विकास होगा। यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होगी जो बाजार के संदर्भ से प्रभावित होती हैं। अतः उपरोक्त संदर्भ में, उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया जो इस रिपोर्ट में उल्लेखित है, वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारण की दृष्टि से देखा गया है अतः इस अध्ययन में, बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन तकनीक से प्राप्त चित्र) किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण संभव हुआ है। सिवनी नगर के संदर्भ में Composite land Suitability Analysis हेतु अपनाई गई। उदाहरण के रूप में, इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास/भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में अथवा विकास हेतु प्रतिबंधित/संरक्षित रखी जाना है। भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों का विचार किया है।

1. वर्तमान भूमि उपयोग
2. मिट्टी का प्रकार
3. ढलान का प्रतिशत
4. बाढ़ आपदा
5. जलाशय
6. मार्ग संरचना
7. जियोमॉर्फोलॉजी
8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार)

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से, नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है। सीमा की अवधारणा, भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से है। उदाहरण स्वरूप, यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है कि, अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्रोत (धन, जनशक्ति, सामग्री) आवश्यक होंगे।

अतः उक्त भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी। उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है।

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है। इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किये गये हैं।

#### 2.4.1 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता विकल्प

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि/नगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण के आधार पर विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है। भूमि उपयुक्तता के विकल्पों का वर्णन निम्न सारणी में दिया गया है।

सारणी 2.15 कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल -1 के लिए वेटेड इंडेक्स

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
1	Landuse	25	Vacant Land	9
2			Wasteland	8
3			Agriculture	7
4			Forest	0
5			Waterbody	0
6			Builtup	0
1	Geomorphology	20	Pediments	9
2			Pediment-Corestone-Tor Composite	7
3			Upland (Lateritic)	4
4			Plateau Remnant	2
5			Mesa	0
8			Inselberg	0
9			Waterbody	0
1	Ground Water Prospects	10	Poor	9
2			Moderate to Poor	7
3			Good to Moderate	5
4			Waterbody	0
1	Soil Texture	5	Loamy Skeletal	9
2			Loamy	8

## सिवनी विकास योजना | 2035

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT		
1	2	3	4	5		
3			Clayey Skeletal	7		
4			Clayey	6		
5			Fine	5		
6			Fine Silty	4		
7			Waterbody	0		
8			BU	0		
1			Road Buffer	10	100 m	9
2					200 m	7
3	500 m	5				
4	>500 m	3				
1	Water Bodies Buffer	10	>60 m	9		
2			60 m	7		
3			45 m	5		
4			30 m	3		
5			15 m	1		
1	Slope	10	0-1 %	9		
2			1-3 %	7		
3			3-5 %	5		
4			5-10 %	4		
5			10-15 %	3		
6			15-35 %	2		
1	Land Value	10	4800-5000	9		
2			5000-10000	8		
3			10000-15000	7		
4			15000-20000	6		
5			20000-25000	5		
6			25000-30000	0		
7			30000-35000	0		

सारणी 2.16 कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल -2 के लिए वेटेड इंडेक्स

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
1	Landuse	20	Vacant Land	9
2			Wasteland	8
3			Agriculture	7
4			Forest	0
5			Waterbody	0
6			Builtup	0
1	Geomorphology	10	Pediments	9
2			Pediment-Corestone-Tor Composite	7
3			Upland (Lateritic)	4
4			Plateau Remnant	2
5			Mesa	0
8			Inselberg	0
9			Waterbody	0
1	Ground Water Prospects	10	Poor	9
2			Moderate to Poor	7
3			Good to Moderate	5
4			Waterbody	0
1	Soil Texture	5	Loamy Skeletal	9
2			Loamy	8
3			Clayey Skeletal	7
4			Clayey	6
5			Fine	5
6			Fine Silty	4
7			Waterbody	0
8			BU	0
1	Road Buffer	15	100 m	9
2			200 m	7
3			500 m	5
4			>500 m	3
1	Water Bodies Buffer	15	>60 m	9
2			60 m	7
3			45 m	5
4			30 m	3
5			15 m	1
1	Slope	15	0-1 %	9

## सिवनी विकास योजना | 2035

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
2			1-3 %	7
3			3-5 %	5
4			5-10 %	4
5			10-15 %	3
6			15-35 %	2
1			Land Value	10
2	5000-10000	8		
3	10000-15000	7		
4	15000-20000	6		
5	20000-25000	5		
6	25000-30000	0		
7	30000-35000	0		

सारणी 2.17 कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल -3 के लिए वेटेड इंडेक्स


S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
1	Landuse	14	Vacant Land	9
2			Wasteland	8
3			Agriculture	7
4			Forest	0
5			Waterbody	0
6			Builtup	0
1	Geomorphology	12	Pediments	9
2			Pediment-Corestone-Tor Composite	7
3			Upland (Lateritic)	4
4			Plateau Remnant	2
5			Mesa	0
8			Inselberg	0
9			Waterbody	0
1	Ground Water Prospects	12	Poor	9
2			Moderate to Poor	7
3			Good to Moderate	5
4			Waterbody	0


## सिवनी विकास योजना | 2035


S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	2	3	4	5
1	Soil Texture	12	Loamy Skeletal	9
2			Loamy	8
3			Clayey Skeletal	7
4			Clayey	6
5			Fine	5
6			Fine Silty	4
7			Waterbody	0
8			BU	0
1	Road Buffer	14	100 m	9
2			200 m	7
3			500 m	5
4			>500 m	3
1	Water Bodies Buffer	12	>60 m	9
2			60 m	7
3			45 m	5
4			30 m	3
5			15 m	1
1	Slope	12	0-1 %	9
2			1-3 %	7
3			3-5 %	5
4			5-10 %	4
5			10-15 %	3
6			15-35 %	2
1	Land Value	12	4800-5000	9
2			5000-10000	8
3			10000-15000	7
4			15000-20000	6
5			20000-25000	5
6			25000-30000	0
7			30000-35000	0

स्रोत:- भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण

टीप: भूमि उपयोग, जियोमॉर्फोलॉजी एवं जलाशय बफ़र को मूल्यांकन वरीयता प्रदान की गई है।







## सिवनी विकास योजना | 2035

घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई, जो 8 मानचित्रों का एकीकरण परिणाम है। इन मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई स्लिवर पॉलीगोन निर्मित हुए। उक्त पॉलीगॉन को संस्पर्शी पॉलीगोन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड (Minimum Mappable Unit) है। एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान हैं, जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक हैं। प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई।

संयुक्त उपयोगिता संकेतक (Composite Suitability Index) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया। सी.एस.आय. को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया। इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है, अर्थात् न्यूनतम, अधिकतम सी.एस.आय. का औसत एवं स्तरीय डेविएशन (Standard Deviation) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है।

सी.एस.आय. मूल्यांकन का अधिक होना नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का द्योतक होगा। कम सी.एस.आय. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता से है।

## सारणी 2.18 Land Suitability Area

## [Model-1]

Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3
Highly Suitable	5925.66	68.13%
Moderately Suitable	951.24	10.94%
Less Suitable	110.00	1.26%
Not Suitable	1711.16	19.67%
<b>Grand Total</b>	<b>8698.06</b>	<b>100.00%</b>

## [Model-2]

Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3
Highly Suitable	1738.75	19.99%
Moderately Suitable	5142.27	59.12%
Less Suitable	188.07	2.16%
Not Suitable	1628.97	18.73%
<b>Grand Total</b>	<b>8698.06</b>	<b>100.00%</b>

## सिवनी विकास योजना | 2035

## [Model-3]

Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1	2	3
Highly Suitable	2003.97	23.04%
Moderately Suitable	5240.75	60.25%
Less Suitable	175.84	2.02%
Not Suitable	1277.5	14.69%
<b>Grand Total</b>	<b>8698.06</b>	<b>100.00%</b>

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु [Model-1], [Model-2] एवं [Model-3] तैयार किए गए, जिन्हें उपरोक्त सारणी में दर्शाया गया है। निवेश क्षेत्रांतर्गत [Model-1] में अधिकतम उपयुक्त भूमि 5925.66 हेक्टेयर (68.13 प्रतिशत) प्राप्त हुई। अतः [Model-1] का चयन अंतिम रूप से सिवनी विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया।

## 2.5 भूमि उपयोग का आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात् भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाइडलाइन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है। पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है। इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानचित्र वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है। इसी कार्यप्रणाली के आधार पर सिवनी निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई, जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है।

## अध्याय-3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण

### 3.1 विकास योजना 2021 क्रियान्वयन परिदृश्य

विकास योजना क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु यह वांछनीय है कि विगत वर्षों में हुए विकास में यह आंकलित किया जावे कि नगर में यातायात प्रणाली की कार्यक्षमता कैसी है, तथा वर्तमान यातायात प्रणाली के साथ भविष्य के क्षेत्रों की संबद्धता किस प्रकार होगी। विकसित क्षेत्र में चिन्हित असंगत भूमि उपयोगों की वर्तमान में स्थिति क्या है। इसके साथ ही पूर्व प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन का विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत स्तर क्या है। आर्थिक रूप से कमजोर तथा आवास विहीन परिवारों की स्थिति का भी आकलन आवश्यक है जिससे पुनर्विलोकन के समय उन बिन्दुओं का समावेश किया जा सके; जिससे क्षेत्र का कार्यक्षम विकास हो सके। प्रबंधन के अभाव में योजना के प्रभावित होने के बिन्दु निम्नानुसार है :-

- विकास योजना क्रियान्वयन हेतु विकास प्राधिकरण का गठन नहीं होना।
- संस्थागत संरचना के लिए भूमि आपूर्ति एवं नगरीय भूमि प्रबंधन प्रक्रिया का अभाव।
- क्रियान्वयन से सम्बद्ध संस्थाओं में आवश्यक समन्वय एवं रूचि का अभाव।
- नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों का समय पर उपलब्ध न होना।
- निजी निवेश के लिए संसाधनों को प्रोत्साहित करने में अपेक्षित प्रणाली का विकास न होना।
- योजना क्रियान्वयन के सतत् पर्यवेक्षण तथा क्रियान्वयन के पूर्व अनुभवों के आधार पर संशोधन प्रणाली का विकास न होना।

अतः क्रियान्वयन संबंधी प्रभावी नियंत्रण के अभाव में अधिकांश क्षेत्रों में अवांछनीय, अनाधिकृत कॉलोणियों का विकास, गंदी बस्तियों का विकास तथा भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना रहित क्षेत्रों का विकास हुआ है।

### 3.2 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

निवेश क्षेत्र में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र के अतिरिक्त 16 राजस्व ग्राम समाहित है। निवेश क्षेत्र की वर्ष 2011 में जनसंख्या 125694 एवं क्षेत्रफल 8698.06 हेक्टेयर है। वर्ष 2019 के वर्तमान भूमि उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार 1460.36 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है। विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का भूमि उपयोग अनुसार विवरण सारणी 3.1 में दिया गया।

## सिवनी विकास योजना | 2036


सिवनी विकास योजना 2021 में नगर की जनसंख्या 1.75 लाख अनुमानित कर विकास प्रस्ताव दिए गये थे। विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत वर्तमान भू-उपयोग के क्रियान्वयन का आकलन किया गया है।

## सारणी 3.1 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन\*

क्र.	भूमि उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टेयर में)		विकसित क्षेत्रफल 2019 (हेक्टेयर में)		विकास के लिए उपलब्ध भूमि
		क्षेत्र	प्रतिशत	क्षेत्र	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7
1	आवासीय	839.34	59.07%	620.94	47.88%	218.40
2	वाणिज्यिक	58.00	4.08%	21.89	3.06%	36.11
3	मिश्रित	-	-	12.23	1.99%	-12.23
4	औद्योगिक	28.00	1.97%	25.89	1.60%	2.11
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	128.06	9.01%	185.66	8.32%	-57.60
6	सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं	15.00	1.06%	16.30	1.59%	-1.30
7	आमोद-प्रमोद	111.35	7.84%	147.97	9.91%	-36.62
8	यातायात एवं परिवहन	241.23	16.98%	429.48	25.65%	-188.25
<b>योग</b>		<b>1420.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>1460.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>-39.38</b>

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

\*सिवनी विकास योजना 2021 के अध्याय 4 की सारणी क्रमांक 4-सा-2 प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन 2021 के अनुसार क्रियान्वयन का मूल्यांकन।



## सिवनी विकास योजना 2035

## सारणी 3.2 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार)

क्र.	भूमि उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टेयर में)		विकसित क्षेत्रफल 2019 (हेक्टेयर में)		क्रियान्वयन का प्रतिशत	विकास के लिए उपलब्ध भूमि
		क्षेत्र	प्रतिशत	क्षेत्र	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	1255.35	49.42%	620.94	47.88%	49.46%	634.41
2	वाणिज्यिक	39.64	1.56%	21.89	3.06%	55.22%	17.75
3	मिश्रित	-	-	12.23	1.99%	-	-12.23
4	औद्योगिक	47.96	1.89%	25.89	1.60%	53.98%	22.07
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	202.40	7.97%	185.66	8.32%	91.73%	16.74
6	सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं	18.54	0.73%	16.30	1.59%	87.92%	2.24
7	आमोद-प्रमोद	488.95	19.25%	147.97	9.91%	30.26%	340.98
8	यातायात एवं परिवहन	487.38	19.19%	429.48	25.65%	88.12%	57.90
<b>योग</b>		<b>2540.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>1460.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>57.49%</b>	<b>1079.86</b>

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

टीप :- सिवनी विकास योजना 2021 के अध्याय 4 की सारणी क्रमांक 4-सा-2 प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन 2021 के अनुसार क्रियान्वयन के मूल्यांकन एवं विकास योजना 2021 (मानचित्र) दोनों के प्रस्तावित क्षेत्रों में भिन्नताएं मिलती हैं लेकिन विकास योजना का मानचित्र ही विकास योजना क्रियान्वयन का मुख्य आधार होता है, इस कारण से विकास योजना 2021 के प्रस्तावित मानचित्र के क्षेत्रों को आधार मानते हुए क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया है।

अतः विकास योजना 2035 की गणनाएं करने हेतु विकास योजना 2021 के प्रस्तावित मानचित्र में दर्शित क्षेत्रों को आधार मानते हुए विकास योजना तैयार की गई है।

### 3.2.1 आवासीय

सिवनी विकास योजना 2021 में आवासीय उपयोग के अंतर्गत 1255.35 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 620.94 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। आवासीय उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 49.46 प्रतिशत रहा है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

**3.2.2 वाणिज्यिक**

वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत 39.64 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 21.89 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। वाणिज्यिक उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 55.22 प्रतिशत रहा है।

**सारणी 3.3 वाणिज्यिक विकास**

क्र.	विवरण/प्रकार	विकास योजना 2021 के अनुसार प्रस्तावित स्थल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2019
1	2	3	4	5
1.	कृषि उपज मण्डी	सिमरिया (निवेश क्षेत्र से बाहर)	16.55 हेक्टेयर	क्रियान्वित (निवेश क्षेत्र से बाहर)
2.	थोक सब्जी मण्डी	ग्राम खैरी	—	क्रियान्वित नहीं
3.	भवन निर्माण सामग्री	प्रस्तावित यातायात नगर	—	क्रियान्वित नहीं
4.	यातायात नगर	ग्राम पलारी	20.00	क्रियान्वित नहीं
5.	तेल एवं पेट्रोल डिपो	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में	—	क्रियान्वित नहीं
6.	पशुवध गृह	स्थानीय प्रशासन द्वारा चयनित	—	क्रियान्वित नहीं

**3.2.3 मिश्रित**

सिवनी विकास योजना 2021 में मिश्रित भूमि उपयोग प्रस्तावित नहीं किया गया था। वर्तमान में सिवनी निवेश क्षेत्र में मिश्रित भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 12.23 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शहर का विकास अब मिश्रित उपयोग की तरफ बढ़ रहा है।

**3.2.4 औद्योगिक**

औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत 47.96 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 25.89 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। औद्योगिक उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 53.98 प्रतिशत रहा है। जन सामान्य के आर्थिक जीवन में सुधार के लिये नगर के औद्योगिक आधार में सुधार करने की आवश्यकता है।

### 3.2.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

सामान्य नागरिकों को सुविधाओं एवं सेवा प्रदान करने के अतिरिक्त सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक भूमि उपयोग के अन्तर्गत शिक्षा, अस्पताल, सामाजिक-सांस्कृतिक तथा अन्य सुविधाएं आती हैं। सिवनी नगर जिला मुख्यालय के साथ-साथ तहसील मुख्यालय भी है अतः नगर में अनेक शासकीय कार्यालय, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक-सांस्कृतिक, जन उपयोगी सुविधाओं एवं सेवा केन्द्र इत्यादि विद्यमान हैं।

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत 202.40 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 185.56 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 91.73 प्रतिशत रहा है।

### 3.2.6 सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं

सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं उपयोग के अंतर्गत 18.54 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 16.30 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 87.92 प्रतिशत रहा है। ग्राम बीझांवाड़ा में 16.55 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रस्ताव दिया गया था, जिसका विकास क्रियान्वित नहीं हुआ किन्तु वर्तमान में ग्राम छिड़िया में 4.00 हेक्टेयर भूमि का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपयोग किया जाता है।

### 3.2.7 आमोद-प्रमोद

आमोद-प्रमोद उपयोग के अंतर्गत 488.95 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 147.97 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। आमोद-प्रमोद उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 30.26 प्रतिशत रहा है। इसका मुख्य कारण पहाड़ों पर एवं राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण एवं वैनगंगा नदी एवं नालों के किनारे कुछ भाग में पर्यावरण वानिकी का विकास है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 3.4 आमोद-प्रमोद विकास

क्र.	विवरण/प्रकार	विकास योजना 2021 के अनुसार प्रस्तावित स्थल	क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2019
1	2	3	4	5
1.	स्टेडियम	ग्राम बिटली	10.00	क्रियान्वित नहीं
2.	मेला-मैदान	ग्राम लखनवाड़ा	20.00	क्रियान्वित नहीं
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बायपास के किनारे वृक्षारोपण	मार्ग	-	मार्ग क्रियान्वित

स्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश/जी.आई.एस. सर्वेक्षण

## 3.2.8 यातायात एवं परिवहन

यातायात एवं परिवहन उपयोग के अंतर्गत 487.38 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2021 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 429.48 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। यातायात एवं परिवहन उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 88.12 प्रतिशत रहा है।

नगर में सभी प्रकार की ताण्डिका गतिविधियाँ नगर के मध्य संगणित हैं, जिससे यातायात/पार्किंग इत्यादि की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। नगर का वर्तमान सड़क नेटवर्क अस्त-व्यस्त है और बहुत सी जगहों पर सड़कों की चौड़ाई एक समान नहीं है। इसलिये नगर से गुजरने वाले इस मुख्य मार्ग पर यातायात सुलभ बनाने के लिये तत्काल कदम उठाया जाना चाहिये।

## सारणी 3.5 यातायात एवं परिवहन विकास

क्रमांक	विवरण	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)/स्थल	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2019
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44	60.00	क्रियान्वित
2.	नगरीय मार्ग		क्रियान्वित नहीं
	एम. आर क्र.1	30.00	
	एम. आर क्र.2	24.00	
3.	एम. आर क्र.3	24.00	क्रियान्वित नहीं
	एस. आर क्र. 1	12.00	
	एस. आर क्र. 2	12.00	
4.	एस. आर क्र. 3	18.00	क्रियान्वित नहीं
	ट्रक स्थानक	ग्राम पलारी	
5.	बस डिपो	ग्राम पलारी में 5 हेक्टेयर	क्रियान्वित नहीं

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्रमांक	विवरण	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)/स्थल	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2019
1	2	3	4
6.	क्षेत्रीय पिकअप स्टेशन	रेलवे स्टेशन गणेश चौक मण्डला तिराहा बायपास मार्ग संगम	क्रियान्वित नहीं

## 3.2.9 जलाशय

सिवनी निवेश क्षेत्र में वर्तमान में कुल 7 तालाब/जलाशय है। जिनके विवरण निम्नानुसार है :-

## सारणी 3.6 जलाशय

क्रमांक	तालाब/ जलाशय का नाम	क्षेत्र लगभग (हेक्टेयर)	तालाबों की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	दल सागर (सिवनी खास)	17.28	पानी भरा हुआ है ।
2.	सुखा तालाब (स्टेडियम के पास)	3.84	अंश: भाग में स्टेडियम एवं शेष भाग में बारिश में पानी भरता है ।
3	बुधवारी तालाब	4.48	पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 की ओर मेढ पर वाणिज्यिक गतिविधियों संचालित एवं अन्य भाग में पानी भराव है ।
4	मोती तालाब (मठ)	2.24	पानी भरा हुआ है ।
5	बोरदई तालाब	2.88	पानी भरा हुआ है ।
6	लखनवाड़ा तालाब	1.28	पानी भरा हुआ है ।
7	कटीरा तालाब	0.96	पानी भरा हुआ है ।

## 3.3 विकास योजना में उपांतरण

सिवनी विकास योजना 2021 प्रभावशील होने के उपरांत राज्य शासन द्वारा म.प्र., नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23(क) के विकास योजना में निम्न भूमि उपयोग उपान्तरित किये हैं, जिनका समावेश सिवनी विकास योजना 2035 में किया गया है, जिसका विवरण सारणी में दर्शाया गया है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 3.7 भूमि उपयोग उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना 2021 में प्रस्तावित भूमि उपयोग	उपान्तरित भू-उपयोग	विकास की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	डूंडा सिवनी	30/128, 30/129/1, 30/129/2	3.40	कृषि	आवासीय	क्रियान्वित

नोट:- सिवनी विकास योजना 2021 में उपांतरित उपयोग विकास योजना 2035 का भाग है एवं अन्य उपांतरित उपयोग सम्मिलित माने जावेंगे।

## 3.4 असंगत भूमि उपयोग

सिवनी विकास योजना-2021 में असंगत भूमि उपयोग को वर्तमान स्थल से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित था, यह कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जिसका विवरण सारणी 3.7 में दर्शाया गया है।

## सारणी 3.8 असंगत भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

क्र.	असंगत भूमि उपयोग	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर प्रस्तावित भूमि उपयोग	क्रियान्वयन की स्थिति 2019
1	2	4	5	6
1.	थोक, सब्जी मण्डी	पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 पर ग्राम खैरी में शासकीय भूमि	मार्ग चौड़ीकरण, पार्किंग एवं वाणिज्यिक (आवासीय खैरी ग्राम में)	क्रियान्वित नहीं
2.	फुटकर सब्जी बाजार	पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 पर ग्राम खैरी में शासकीय भूमि	मार्ग चौड़ीकरण, पार्किंग एवं वाणिज्यिक (आवासीय खैरी ग्राम में)	क्रियान्वित नहीं
3.	ओल्ड डिस्टिलरी	-	म.प्र.गृह नि.म. द्वारा पुनर्धनत्वीकरण योजना के अन्तर्गत कार्यालय/आवासीय	क्रियान्वित नहीं
4.	डिस्टिलरी	नवीन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में	यातायात एवं परिवहन	क्रियान्वित नहीं
5.	मछली बाजार	कटंगी मार्ग पर नाले के पास	मार्ग चौड़ीकरण, यातायात एवं परिवहन	क्रियान्वित नहीं

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र.	असंगत भूमि उपयोग	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर प्रस्तावित भूमि उपयोग	क्रियान्वयन की स्थिति 2019
1	2	4	5	6
6.	घास बाजार	ग्राम बोर्ड में	मार्ग चौड़ीकरण, यातायात एवं परिवहन	क्रियान्वित नहीं
7.	पशुवध गृह/मटन मार्केट	स्थानीय प्रशासन द्वारा चयन अनुसार	मार्ग चौड़ीकरण, यातायात एवं परिवहन	क्रियान्वित नहीं
8.	शीतगृह डीमर मोहल्ला	प्रस्तावित यातायात नगर	आवासीय	क्रियान्वित नहीं
9.	गैस गोदाम (सिरदिवान स्थित)	वर्तमान बायपास के बाहर कृषि भूमि पर	पर्यावरण वानिकी	क्रियान्वित
10.	गैस गोदाम (लुघरवाड़ा)	वर्तमान बायपास के बाहर कृषि भूमि पर	पर्यावरण वानिकी	क्रियान्वित नहीं
11.	बाल सम्प्रेक्षण गृह	नवीन जेल के पास ग्राम नगझर में	आडीटोरियम एवं नगर उद्यान	क्रियान्वित नहीं
12.	लोहा बाजार	प्रस्तावित यातायात नगर	मार्ग चौड़ीकरण	क्रियान्वित नहीं
13.	पेट्रोल पम्प बस स्टेण्ड के पास एवं दलसागर के सामने वाले	वर्तमान बायपास पर	मार्ग चौड़ीकरण, यातायात एवं परिवहन	क्रियान्वित नहीं
14.	महावीर छविगृह एवं अशोक छविगृह	प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में	वाणिज्यिक, यातायात एवं परिवहन	क्रियान्वित नहीं
15.	बस डिपो	लुघरवाड़ा	बस स्टेण्ड का विस्तार	क्रियान्वित नहीं
16.	पुरानी कृषि उपज मण्डी	ग्राम सिमरिया में नवीन क्षेत्र में	वाणिज्यिक, यातायात एवं परिवहन	क्रियान्वित

स्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश/जी.आई.एस. सर्वेक्षण

## सिवनी विकास योजना | 2035

**3.5 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण****3.5.1 निवेश क्षेत्र की जनसंख्या**

जनगणना 2011 के अनुसार सिवनी निवेश क्षेत्र की कुल जनसंख्या 125694 है जिसमें 102343 जनसंख्या नगरीय और 23351 जनसंख्या ग्रामीण है।

सारणी 3.9 निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

क्रमांक	क्षेत्र	जनसंख्या			जनसंख्या वृद्धि दर (1991-2011)
		1991	2001	2011	
1	2	3	4	5	6
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>					
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	64532	89801	102343	58.59
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>					
1	बींझावाड़ा	1353	1931	2240	65.56
2	मानेगाँव	413	656	907	119.61
3	बिटली	801	840	1055	31.71
4	पलारी	772	1039	1779	130.44
5	छिड़िया	291	353	427	46.74
6	डोरली छतरपुर	1226	2777	4369	256.36
7	बोरदई	856	1242	1717	100.58
8	खैरी	998	1198	1435	43.79
9	सिमरिया	531	615	700	31.83
10	मरझोर	332	757	1892	469.88
11	बम्होड़ी	781	838	967	23.82
12	लखनवाड़ा	999	1198	1231	23.22
13	कोनियापार	288	354	366	27.08
14	परतापुर	458	593	1259	174.89
15	लोनिया	399	513	581	45.61
16	लुघरवाड़ा	1536	2128	2426	57.94
ग्रामीण क्षेत्र		12034	17032	23351	94.04
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>76566</b>	<b>106833</b>	<b>125694</b>	<b>64.16</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

सिवनी निवेश क्षेत्र में पिछले दशक में हुए 18861 की कुल जनसंख्या वृद्धि में से, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान क्रमशः 12542 और 6319 है। अनुपात में, सिवनी निवेश क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 81.42 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या और 18.58 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है। पिछले दशक में नगरीय तथा ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर क्रमशः 13.

## सिवनी विकास योजना | 2035


97 और 37.10 प्रतिशत थी। वर्ष 2001-2011 के बीच सिवनी निवेश क्षेत्र की दशकीय वृद्धि दर 17.65 प्रतिशत थी।

## सारणी 3.10 दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत)

क्रमांक	क्षेत्र	दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर	
		2001	2011
1	2	3	4
1	नगर पालिका क्षेत्र	39.16	13.97
2	ग्रामीण क्षेत्र	41.53	37.10
सिवनी निवेश क्षेत्र		39.53	17.65

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

## आरेख 3.1 दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर



## 3.5.1.1 वार्ड वार जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, सिवनी नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या 102343 है। वर्तमान में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र 24 वार्डों में विभाजित है।


## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 3.11 वार्ड की जनसंख्या


वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम	परिवारों की संख्या	जनसंख्या 2011
1	2	3	4
1	महामाया वार्ड	1290	5719
2	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड	673	3331
3	अकबर वार्ड	1550	6475
4	शास्त्री वार्ड	1217	5078
5	सी.बी.रमन वार्ड	1078	4529
6	कबीर वार्ड	1537	6370
7	टैगोर वार्ड	1258	5475
8	महावीर वार्ड	544	2493
9	गुरुनानक वार्ड	597	2913
10	मेजर ध्यानचंद वार्ड	614	3189
11	सुभाष वार्ड	475	2183
12	गांधी वार्ड	1190	5939
13	शहीद वार्ड	1247	6017
14	अशोक वार्ड	458	2415
15	संजय वार्ड	700	3346
16	आजाद वार्ड	712	3356
17	विवेकानंद वार्ड	1023	4473
18	तिलक वार्ड	670	3003
19	रानी दुर्गावती वार्ड	720	3305
20	कस्तुरबा वार्ड	960	4222
21	किदवई वार्ड	720	3155
22	अम्बेडकर वार्ड	1025	4760
23	भगतसिंह वार्ड	1590	7793
24	पृथ्वीराज चौहान वार्ड	600	2804
<b>कुल</b>		<b>22448</b>	<b>102343</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

उक्त सारणी से यह ज्ञात होता है कि सिवनी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्र. 23 की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसकी जनसंख्या 7793 है। नगर के वार्ड क्र. 11 सबसे कम जनसंख्या वाला वार्ड है, इसकी जनसंख्या 2183 है।



**Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal**



## सिवनी विकास योजना 2035

## 3.5.1.2 जनसंख्या घनत्व

वर्तमान में अनुमानित जनसंख्या 1,50,000 का आकलन करते हुए निवेश क्षेत्र का सकल जनसंख्या घनत्व, विकसित क्षेत्र का सकल जनसंख्या घनत्व एवं निवासी जनसंख्या घनत्व क्रमशः 17.25, 120.83 एवं 186.63 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है।

## सारणी 3.12 वार्ड वार जनसंख्या घनत्व विवरण

क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	जनसंख्या (2011)	जनसंख्या घनत्व
1	2	3	4	5
1	महामाया वार्ड	140.55	5719	41
2	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड	86.47	3331	39
3	अकबर वार्ड	288.91	6475	18
4	शास्त्री वार्ड	113.52	5078	40
5	सी.बी.रमन वार्ड	215.42	4529	30
6	कबीर वार्ड	102.68	6370	29
7	टैगोर वार्ड	53.54	5475	102
8	महावीर वार्ड	44.59	2493	133
9	गुरुनानक वार्ड	45.04	2913	134
10	मेजर ध्यानचंद वार्ड	30.21	3189	109
11	सुभाष वार्ड	16.45	2183	170
12	गांधी वार्ड	10.15	5939	287
13	शहीद वार्ड	7.46	6017	293
14	अशोक वार्ड	16.14	2415	277
15	संजय वार्ड	16.79	3346	251
16	आजाद वार्ड	7.44	3356	335
17	विवेकानंद वार्ड	10.26	4473	311
18	तिलक वार्ड	7.07	3003	342
19	रानी दुर्गावती वार्ड	8.51	3305	393
20	कस्तुरबा वार्ड	8.93	4222	376
21	किदवई वार्ड	103.29	3155	63
22	अम्बेडकर वार्ड	47.94	4760	66
23	भगतसिंह वार्ड	55.81	7793	85
24	पृथ्वीराज चौहान वार्ड	108.37	2804	72
	<b>कुल</b>	<b>1545.54</b>	<b>102343</b>	<b>66.22</b>

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 3.13 वार्ड अनुसार जनसंख्या घनत्व विश्लेषण

Ward Wise Population Density (Minimum Value-18 Maximum Value-393)			
S.No.	Range	Total Wards	Ward Number
1	2	3	4
1	0-50	6	1, 2, 4, 5, 6, 18
2	50-100	4	3, 21, 22, 23
3	100-200	5	7, 12, 13, 19, 24
4	200-300	4	9, 11, 17, 20
5	300-400	5	8, 10, 14, 15, 16


स्त्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण

## 3.5.2 जनसंख्या लिंगानुपात

जनगणना 2011 के अनुसार, सिवनी निवेश क्षेत्र का कुल लिंगानुपात 953 है। सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 945 है और सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में लिंगानुपात 955 है।

## सारणी 3.14 पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या

क्र	क्षेत्र	1991		2001		2011	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>							
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	33485	31047	46310	43491	52352	49991
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>							
1	बींझावाड़ा	669	684	1044	887	1119	1121
2	मानेगाँव	210	203	332	324	455	452
3	बिटली	408	393	438	402	546	509
4	पलारी	374	398	535	504	886	893
5	छिड़िया	152	139	187	166	227	200
6	डोरली छतरपुर	631	595	1471	1306	2250	2119
7	बोरदई	435	421	617	625	872	845
8	खैरी	517	481	642	556	762	673
9	सिमरिया	264	267	306	309	348	352
10	मरझोर	160	172	395	362	973	919
11	बम्होड़ी	399	382	439	399	498	469
12	लखनवाड़ा	514	485	618	580	635	596
13	कोनियापार	149	139	190	164	199	167



## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र	क्षेत्र	1991		2001		2011	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
14	परतापुर	231	227	299	294	640	619
15	लोनिया	203	196	261	252	314	267
16	लुघरवाड़ा	813	723	1132	996	1281	1145
	ग्रामीण क्षेत्र	6129	5905	8906	8126	12005	11346
	सिवनी निवेश क्षेत्र	39614	36952	55216	51617	64357	61337

स्त्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011


## सारणी 3.15 जनसंख्या लिंगानुपात

क्रमांक	क्षेत्र	लिंगानुपात		
		1991	2001	2011
1	2	3	4	5
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>				
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	927	939	955
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>				
1	बीझावाड़ा	1022	850	1002
2	मानेगाँव	967	976	993
3	बिटली	963	918	932
4	पलारी	1064	942	1008
5	छिड़िया	914	888	881
6	डोरली छतरपुर	943	888	942
7	बोरदई	968	1013	969
8	खैरी	930	866	883
9	सिमरिया	1011	1010	1011
10	मरझोर	1075	916	945
11	बम्होड़ी	957	909	942
12	लखनवाड़ा	944	939	939
13	कोनियापार	933	863	839
14	परतापुर	983	983	967
15	लोनिया	966	966	850
16	लुघरवाड़ा	889	880	894
	ग्रामीण क्षेत्र	963	912	945
	सिवनी निवेश क्षेत्र	933	935	953

स्त्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

## सिवनी विकास योजना | 2035

आरेख 3.2 लिंगानुपात



सारणी 3.16 वार्ड अनुसार लिंगानुपात

Ward Wise Sex Ratio (Minimum Value-910 Maximum Value-1035)			
S.No.	Range	Total Wards	Ward Number
1	2	3	4
1	900-925	4	2, 12, 13, 17
2	925-950	6	1, 6, 11, 22, 23, 24
3	950-975	3	16, 19, 21
4	975-1000	8	3, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20
5	>1000	3	8, 9, 18


स्त्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण

## 3.5.3 शिशु जनसंख्या

शिशुओं की जनसंख्या की बात करें तो 0 से 6 साल के आयु वर्ग में शिशुओं की जनसंख्या दयनीय है क्योंकि यह वर्ग विभिन्न बीमारियों के संपर्क में सबसे अधिक आता है जिससे मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। जनसंख्या के इस समूह के आंकड़ों का विश्लेषण योजनाकारों को पहले से ही शिशुओं की देखभाल के लिये आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने की सुविधा प्रदान करता है, विशेष रूप से टीकाकरण और संबंधित चिकित्सा सहायता।

चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे बीमारियों से अधिक ग्रसित रहते हैं। शिशुओं की जनसंख्या की व्यापक जानकारी प्रशासन को ग्रामीण या नगरीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिये पूर्व में आगाह कर सकती है।

जनगणना 2011 के अनुसार, सिवनी निवेश क्षेत्र का कुल शिशु लिंगानुपात 904 है। सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात 908 है और सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में शिशु



## सिवनी विकास योजना | 2035

लिंगानुपात 903 है। वर्ष 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों में यह देखा गया है कि सिवनी निवेश क्षेत्र के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में वृद्धि हुई है।

## सारणी 3.17 शिशु जनसंख्या

क्र	क्षेत्र	1991		2001		2011	
		बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>							
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	5357	5083	6072	5372	5645	5097
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>							
1	बींझावाड़ा	120	160	133	131	130	141
2	मानेगाँव	40	46	42	48	50	53
3	बिटली	113	100	80	79	84	85
4	पलारी	72	85	95	68	128	139
5	छिड़िया	35	25	40	20	30	29
6	डोरली छतरपुर	148	150	250	223	330	313
7	बोरदई	97	95	94	117	112	107
8	खैरी	98	82	97	75	96	75
9	सिमरिया	56	51	36	42	55	44
10	मरझोर	26	31	80	45	109	82
11	बम्होड़ी	73	54	75	72	61	56
12	लखनवाड़ा	84	91	90	95	85	68
13	कोनियापार	30	28	31	26	23	14
14	परतापुर	52	48	45	38	76	67
15	लोनिया	29	30	37	23	36	19
16	लुघरवाड़ा	131	124	159	141	139	110
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>		1204	1200	1384	1243	1544	1402
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>6561</b>	<b>6283</b>	<b>7456</b>	<b>6615</b>	<b>7189</b>	<b>6499</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

## सिवनी विकास योजना | 2035


## सारणी 3.18 वार्ड अनुसार शिशु जनसंख्या

Ward Wise Child Population (0-6) (Minimum Value-08 Maximum Value-13)			
S.No.	Range	Total Wards	Ward Number
1	2	3	4
1	8	3	2, 5, 8
2	9-10	4	4, 7, 11, 24
3	10-11	10	1, 3, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21
4	11-12	5	12, 15, 16, 22, 23
5	12-13	2	10,19

स्त्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण

## सारणी 3.19 शिशु लिंगानुपात

क्रमांक	क्षेत्र	लिंगानुपात		
		1991	2001	2011
1	2	3	4	5
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>				
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	949	885	903
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>				
1	बींझावाड़ा	1333	985	1095
2	भार्नेगाँव	1150	1143	1060
3	बिटली	885	988	1012
4	पलारी	1181	716	1086
5	छिड़िया	714	500	967
6	डोरली छतरपुर	1014	892	948
7	बोरदई	979	1245	955
8	खैरी	837	773	781
9	सिमरिया	911	1167	800
10	मरझोर	1192	563	752
11	बम्होड़ी	740	960	918
12	लखनवाड़ा	1083	1056	800
13	कोनियापार	933	839	609
14	परतापुर	923	844	882
15	लोनिया	1034	622	528
16	लुघरवाड़ा	947	887	791
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>		997	898	908
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		958	887	904




## सारणी 3.20 वार्ड अनुसार शिशु लिंगानुपात

Ward Wise Child Sex Ratio (Minimum Value-727 Maximum Value-1351)			
S.No.	Range	Total Wards	Ward Number
1	2	3	4
1	700-800	01	2
2	800-900	11	1, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 24
3	900-1000	9	4, 6, 10, 15, 17, 18, 20, 22, 23
4	>1000	3	8, 9, 16

स्त्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण

## आरेख 3.3 शिशु लिंगानुपात



## 3.5.4 साक्षरता

साक्षरता प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में से एक है जो किसी भी क्षेत्र के विकास पथ की रूपरेखा तैयार करने में सहायक है। सिवनी निवेश क्षेत्र की साक्षरता दर 88.30 है। निवेश क्षेत्र अंतर्गत, सिवनी ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर 78.6 है तथा सिवनी नगर पालिका क्षेत्र की साक्षरता दर 90.46 है। पिछले दशक की तुलना में, 2011 में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों में यह देखा गया है कि सिवनी निवेश क्षेत्र के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है।

जनगणना 2011 के अनुसार, सिवनी निवेश क्षेत्र में कुल साक्षरों की संख्या 98896 है जिसमें साक्षर पुरुषों और साक्षर महिलाओं की संख्या क्रमशः 53258 और 45638 है। वर्ष 2011 में निवेश क्षेत्र में साक्षरता दर 88.30 प्रतिशत थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता क्रमशः 93.16 और 83.22 प्रतिशत थी। सिवनी निवेश क्षेत्र में वर्ष 2001 में पुरुष

## सिवनी विकास योजना | 2035


एवं महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर 14.11 प्रतिशत था जो 2011 में घटकर 9.94 प्रतिशत हो गया।


जनगणना 2011 के अनुसार, सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में कुल साक्षरों की संख्या 82858 है जिसमें साक्षर पुरुषों और साक्षर महिलाओं की संख्या क्रमशः 44236 और 38622 है। वर्ष 2011 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में साक्षरता दर 90.46 प्रतिशत थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 94.71 और 86.03 प्रतिशत थी। सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में वर्ष 2001 में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर 12.78 प्रतिशत था जो 2011 में घटकर 8.68 प्रतिशत हो गया।

जनगणना 2011 के अनुसार, सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में कुल साक्षरों की संख्या 16038 है जिसमें साक्षर पुरुषों और साक्षर महिलाओं की संख्या क्रमशः 9022 और 7016 है। वर्ष 2011 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर 78.60 प्रतिशत थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 86.24 और 70.56 प्रतिशत थी। सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2001 में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर 21.76 प्रतिशत था जो 2011 में घटकर 15.68 प्रतिशत हो गया।

जनगणना 2011 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर, सिवनी नगर पालिका क्षेत्र की साक्षरता दर से कम है। निवेश क्षेत्र में सबसे अधिक साक्षरता दर 90.46 प्रतिशत, सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में दर्ज की गयी है। निवेश क्षेत्र में सबसे कम साक्षरता दर 65.91 प्रतिशत, बिटली में दर्ज की गयी है। निवेश क्षेत्र में महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर से कम है। इसलिये, महिला साक्षरता दर में वृद्धि के लिये अधिक ध्यान देना होगा।

आरेख 3.4 साक्षरता दर





## सिवनी विकास योजना 2035

## सारणी 3.21 साक्षर जनसंख्या

क्र	क्षेत्र	2001			2011		
		साक्षर पुरुष	साक्षर महिला	साक्षरों की संख्या	साक्षर पुरुष	साक्षर महिला	साक्षरों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>							
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	37490	30643	68133	44236	38622	82858
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>							
1	बींझावाड़ा	807	505	1312	872	723	1595
2	मानेगाँव	230	165	395	337	286	623
3	बिटली	267	161	428	351	233	584
4	पलारी	370	261	631	639	515	1154
5	छिड़िया	92	70	162	152	113	265
6	डोरली छतरपुर	965	663	1628	1609	1215	2824
7	बोरदई	401	291	692	660	545	1205
8	खैरी	464	279	743	585	393	978
9	सिमरिया	215	144	359	247	192	439
10	मरझोर	294	254	548	801	703	1504
11	बम्होड़ी	315	200	515	382	291	673
12	लखनवाड़ा	450	286	736	465	335	800
13	कोनियापार	132	74	206	138	95	233
14	परतापुर	214	156	370	509	413	922
15	लोनिया	181	143	324	250	172	422
16	लुघरवाड़ा	858	574	1432	1025	792	1817
ग्रामीण क्षेत्र		6255	4226	10481	9022	7016	16038
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>43745</b>	<b>34869</b>	<b>78614</b>	<b>53258</b>	<b>45638</b>	<b>98896</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 3.22 साक्षरता दर

क्रमांक	क्षेत्र	साक्षरता दर		
		1991	2001	2011
1	2	3	4	5
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>				
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	80.57	86.95	90.46
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>				
1	बींझावाड़ा	60.86	78.70	81.01
2	मानेगाँव	39.76	69.79 <sup>1</sup>	77.49
3	बिटली	38.44	62.85	65.91
4	पलारी	45.85	72.03	76.32
5	छिड़िया	40.26	55.29	72.01
6	डोरली छतरपुर	53.02	70.66	75.79
7	बोरदई	37.95	67.12	80.44
8	खैरी	47.92	72.42	77.37
9	सिमरिया	54.72	66.85	73.04
10	मरझोर	53.45	86.71	88.42
11	बम्हांडी	58.72	74.53	79.18
12	लखनवाड़ा	56.92	72.66	74.21
13	कोनियापार	46.09	69.36	70.82
14	परतापुर	58.94	72.55	82.62
15	लोनिया	62.94	71.52	80.23
16	लुघरवाड़ा	64.32	78.34 <sup>1</sup>	83.46
ग्रामीण क्षेत्र		53.03	72.76	78.60
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>76.41</b>	<b>84.75</b>	<b>88.30</b>

स्त्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011


## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 3.23 पुरुष साक्षरता दर

क्रमांक	क्षेत्र	पुरुष साक्षरता दर		
		1991	2001	2011
1	2	3	4	5
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>				
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	89.02	93.17	94.71
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>				
1	बींझावाड़ा	75.77	88.58	88.17
2	मानेगाँव	51.18	79.31	83.21
3	बिटली	50.51	74.58	75.97
4	पलारी	56.62	84.09	84.30
5	छिड़िया	50.43	62.59	77.16
6	डोरली छतरपुर	65.01	79.03	83.80
7	बोरदई	50.89	76.67	86.84
8	खैरी	62.77	85.14	87.84
9	सिमरिया	72.12	79.63	84.30
10	मरझोर	71.64	93.33	92.71
11	बम्होड़ी	78.53	86.54	87.41
12	लखनवाड़ा	74.19	85.23	84.55
13	कोनियापार	59.66	83.02	78.41
14	परतापुर	73.18	84.25	90.25
15	लोनिया	71.26	80.80	89.93
16	लुघरवाड़ा	78.45	88.18	89.75
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>		67.27	83.16	86.24
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>85.78</b>	<b>91.59</b>	<b>93.16</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

## आरेख 3.5 पुरुष साक्षरता दर




## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 3.24 महिला साक्षरता दर

क्रमांक	क्षेत्र	महिला साक्षरता दर		
		1991	2001	2011
1	2	3	4	5
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>				
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	71.41	80.39	86.03
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>				
1	बींझावाड़ा	45.23	66.80	73.78
2	मानेगाँव	27.39	59.78	71.68
3	बिटली	26.28	49.85	54.95
4	पलारी	35.46	59.86	68.30
5	छिड़िया	29.82	47.95	66.08
6	डोरली छतरपुर	40.00	61.22	67.28
7	बोरदई	24.54	57.28	73.85
8	खैरी	32.33	58.00	65.72
9	सिमरिया	37.96	53.93	62.34
10	मरहोर	36.17	80.13	83.99
11	बम्होड़ी	39.02	61.16	70.46
12	लखनवाड़ा	38.07	58.97	63.45
13	कोनियापार	31.53	53.62	62.09
14	परतापुर	44.69	60.94	74.82
15	लोनिया	54.22	62.45	69.35
16	लुघरवाड़ा	48.25	67.13	76.52
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>		<b>38.13</b>	<b>61.40</b>	<b>70.56</b>
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>66.31</b>	<b>77.48</b>	<b>83.22</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

## आरेख 3.6 महिला साक्षरता दर



## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 3.25 पुरुष-महिला साक्षरता दर में अन्तर

क्रमांक	क्षेत्र	1991	2001	2011
1	2	3	4	5
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	17.61	12.78	8.68
2	ग्रामीण क्षेत्र	29.14	21.76	15.68
3	सिवनी निवेश क्षेत्र	19.47	14.11	9.94

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

## सारणी 3.26 पुरुष-महिला साक्षरता दर में अन्तर



स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

## सारणी 3.27 वार्ड अनुसार साक्षरों की जनसंख्या

Ward Wise Literacy (Minimum Value-72 Maximum Value-88)			
S.No.	Range	Total Wards	Ward Number
1	2	3	4
1	72-73	2	19, 22
2	73-80	9	7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23
3	80-82	5	1, 3, 6, 9, 20
4	82-85	4	4, 10, 14, 24
5	85-88	4	2, 8, 5, 11

स्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण

## 3.5.5 अनुसूचित जाति

वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 13830 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 14169 हो गयी है। पिछले दशक में सिवनी निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या वृद्धि दर 2.45 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में

## सिवनी विकास योजना | 2035

अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12.95 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में घटकर 11.27 प्रतिशत हो गयी है।

वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 9770 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 10690 हो गयी है। पिछले दशक में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या वृद्धि दर 9.42 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 10.88 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में घटकर 10.45 प्रतिशत हो गयी है।

वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 4060 थी जो वर्ष 2011 में घटकर 3479 हो गयी है। पिछले दशक में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या वृद्धि दर 14.31 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 23.84 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में घटकर 14.90 प्रतिशत हो गयी है।

## सारणी 3.28 अनुसूचित जाति की जनसंख्या (प्रतिशत)

क्र	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जाति पुरुष प्रतिशत	अनुसूचित जाति महिला प्रतिशत	अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत	अनुसूचित जाति पुरुष प्रतिशत	अनुसूचित जाति महिला प्रतिशत	अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>							
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	10.78	10.98	10.88	10.47	10.42	10.45
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>							
1	बींझावाड़ा	34.48	31.00	32.88	5.63	5.80	5.71
2	मानेंगाँव	31.63	29.01	30.34	29.67	30.75	30.21
3	बिटली	1.37	1.74	1.55	0.73	1.18	0.95
4	पलारी	12.15	10.32	11.26	18.06	18.25	18.16
5	छिड़िया	3.74	4.22	3.97	4.41	5.00	4.68
6	डोरली छतरपुर	4.62	4.29	4.47	6.18	6.23	6.20
7	बोरदई	10.21	9.44	9.82	9.40	8.05	8.74
8	खैरी	12.15	12.59	12.35	14.70	12.93	13.87
9	सिमरिया	20.92	20.71	20.81	22.70	24.15	23.43
10	मरझोर	19.75	19.61	19.68	14.39	15.67	15.01
11	बम्होड़ी	9.11	10.78	9.90	7.03	7.68	7.34

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जाति पुरुष प्रतिशत	अनुसूचित जाति महिला प्रतिशत	अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत	अनुसूचित जाति पुरुष प्रतिशत	अनुसूचित जाति महिला प्रतिशत	अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
12	लखनवाड़ा	66.02	65.86	65.94	67.56	70.13	68.81
13	कोनियापार	10.53	15.24	12.71	10.05	12.57	11.20
14	परतापुर	7.36	6.46	6.91	14.38	12.12	13.26
15	लोनिया	52.11	51.59	51.85	19.75	24.34	21.86
16	लुघरवाड़ा	55.30	56.22	55.73	16.71	16.51	16.61
ग्रामीण क्षेत्र		24.10	23.55	23.84	14.79	15.01	14.90
सिवनी निवेश क्षेत्र		12.93	12.96	12.95	11.28	11.27	11.27

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

## सारणी 3.29 अनुसूचित जाति की जनसंख्या


क्र	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जाति पुरुष	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जाति पुरुष	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>							
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	4994	4776	9770	5481	5209	10690
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>							
1	बींझावाड़ा	360	275	635	63	65	128
2	मानेगाँव	105	94	199	135	139	274
3	बिटली	6	7	13	4	6	10
4	पलारी	65	52	117	160	163	323
5	छिड़िया	7	7	14	10	10	20
6	डोरली छतरपुर	68	56	124	139	132	271


## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जाति पुरुष	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जाति पुरुष	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
7	बोरदई	63	59	122	82	68	150
8	खैरी	78	70	148	112	87	199
9	सिमरिया	64	64	128	79	85	164
10	मरझोर	78	71	149	140	144	284
11	बम्होड़ी	40	43	83	35	36	71
12	लखनवाड़ा	408	382	790	429	418	847
13	कोनियापार	20	25	45	20	21	41
14	परतापुर	22	19	41	92	75	167
15	लोनिया	136	130	266	62	65	127
16	लुघरवाड़ा	626	560	1186	214	189	403
ग्रामीण क्षेत्र		2146	1914	4060	1776	1703	3479
सिवनी निवेश क्षेत्र		7140	6690	13830	7257	6912	14169

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

## आरेख 3.7 अनुसूचित जाति की जनसंख्या (प्रतिशत)





## सिवनी विकास योजना | 2035

**3.5.6 अनुसूचित जनजाति**

वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8232 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 10275 हो गयी है। पिछले दशक में सिवनी निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वृद्धि दर 24.82 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 7.71 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 8.17 प्रतिशत हो गयी है।

वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 5870 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 7123 हो गयी है। पिछले दशक में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वृद्धि दर 21.35 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 6.54 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 6.96 प्रतिशत हो गयी है।

वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2362 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 3152 हो गयी है। पिछले दशक में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वृद्धि दर 33.45 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 13.87 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में घटकर 13.50 प्रतिशत हो गयी है।

**सारणी 3.30 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (प्रतिशत)**

क्रमांक	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>							
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	6.32	6.77	6.54	6.80	7.13	6.96
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>							
1	बींझावाड़ा	11.59	9.02	10.41	13.85	15.25	14.55
2	मानेगाँव	20.78	17.59	19.21	19.34	17.92	18.63
3	बिटली	53.42	53.48	53.45	55.86	57.37	56.59
4	पलारी	35.14	36.51	35.80	31.94	31.24	31.59
5	छिड़िया	42.25	41.57	41.93	38.77	37.50	38.17
6	डोरली छतरपुर	11.28	12.25	11.74	9.82	9.44	9.64
7	बोरदई	12.16	10.56	11.35	11.01	10.53	10.77
8	खैरी	8.41	8.81	8.60	9.06	8.62	8.85
9	सिमरिया	24.51	27.83	26.18	20.69	21.31	21.00

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्रमांक	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
10	मरझोर	2.53	3.04	2.77	5.04	4.68	4.86
11	बम्होड़ी	0.23	0	0.12	1.00	0.21	0.62
12	लखनवाड़ा	5.99	7.07	6.51	4.41	3.36	3.90
13	कोनियापार	1.58	1.22	1.41	4.02	4.79	4.37
14	परतापुर	11.37	10.54	10.96	9.69	10.50	10.09
15	लोनिया	2.68	3.17	2.92	3.18	3.37	3.27
16	लुघरवाड़ा	6.98	7.13	7.05	6.17	5.94	6.06
ग्रामीण क्षेत्र		13.83	13.91	13.87	13.48	13.52	13.5
सिवनी निवेश क्षेत्र		7.53	7.89	7.71	8.05	8.31	8.17

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

## सारणी 3.31 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या


क्र	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>							
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	2927	2943	5870	3560	3563	7123
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>							
1	बींझावाड़ा	121	80	201	155	171	326
2	मानेगाँव	69	57	126	88	81	169
3	बिटली	234	215	449	305	292	597
4	पलारी	188	184	372	283	279	562
5	छिड़िया	79	69	148	88	75	163
6	डोरली छतरपुर	166	160	326	221	200	421
7	बोरदई	75	66	141	96	89	185
8	खैरी	54	49	103	69	58	127
9	सिमरिया	75	86	161	72	75	147
10	मरझोर	10	11	21	49	43	92
11	बम्होड़ी	1	0	1	5	1	6

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
12	लखनवाड़ा	37	41	78	28	20	48
13	कोनियापार	3	2	5	8	8	16
14	परतापुर	34	31	65	62	65	127
15	लोनिया	7	8	15	10	9	19
16	लुधरवाड़ा	79	71	150	79	68	147
ग्रामीण क्षेत्र		1232	1130	2362	1618	1534	3152
सिवनी निवेश क्षेत्र		4159	4073	8232	5178	5097	10275

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

## आरेख 3.8 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (प्रतिशत)



## सारणी 3.32 वार्ड अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

Ward Wise SC/ST Population (Minimum Value-1 Maximum Value-37)			
S.No.	Range	Total Wards	Ward Number
1	2	3	4
1	1 - 5	7	8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
2	6-10	4	13, 16, 23, 24
3	11-20	4	2, 5, 17, 20
4	21-30	7	1, 3, 4, 6, 7, 18, 21
5	31-40	2	19, 22

स्रोत: जी.आई.एस. विश्लेषण

### 3.5.7 कार्यशील जनसंख्या

रोजगार के विभिन्न संसाधनों के राष्ट्रीय वर्गीकरण के आधार पर नगर में निवासरत कार्यशील जनसंख्या के गुणात्मक प्रभाव की विवेचना की जाती है, जिसके तहत कृषि एवं उस पर आधारित/आश्रित श्रमिक गृह उद्योग एवं उत्पादन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक तथा व्यापार/व्यवसाय एवं सेवा में कार्यरत श्रमिक को समाहित किया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार श्रमिकों को काश्तकार, कृषि श्रमिक, घरेलू उद्योग श्रमिक एवं अन्य श्रमिक की श्रेणियों में बाँटा गया है। इन श्रेणियों की परिभाषा नीचे उल्लिखित है।

- काश्तकार : भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो व्यक्ति सरकारी, निजी कृषि भूमि या संस्थान की भूमि पर कृषि करता हो एवं बदले में वह भू-स्वामी को पैसे या कृषि उत्पाद हिस्से के स्वरूप में भुगतान करता हो उसे काश्तकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- कृषि श्रमिक : भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, जो व्यक्ति पैसा या हिस्से के लिये किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर श्रम करता हो उसे कृषि श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- घरेलू उद्योग श्रमिक : भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, जो उद्योग घर के भीतर या ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों द्वारा केवल घर के परिसर के भीतर आयोजित किया जाता है उसे घरेलू उद्योग कहते हैं। घरेलू उद्योग में श्रमिकों के बड़े अनुपात में परिवार के सदस्य होते हैं। यह उद्योग पंजीकृत कारखाने के पैमाने पर नहीं चलता है।
- अन्य श्रमिक : भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, इस श्रेणी में सरकारी कर्मचारी, नगरपालिका कर्मचारी, शिक्षक, कारखाने के कर्मचारी, वृक्षारोपण कार्यकर्ता, व्यापार, वाणिज्य, व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, खनन, निर्माण, राजनीतिक या सामाजिक कार्य, पुजारियों, मनोरंजन कलाकारों को सम्मिलित किया गया है।

श्रमजीवी जनसंख्या (कामकाजी जनसंख्या) और कार्य भागीदारी दर किसी भी क्षेत्र के व्यावसायिक वितरण को उजागर करती है। वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में श्रमिकों की कुल संख्या 31753 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 43678 हो गई है। पिछले दशक में सिवनी निवेश क्षेत्र में श्रमिक बल वृद्धि दर 37.56 प्रतिशत था। वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में कार्य भागीदारी दर 29.72 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 34.75 हो गई है।

वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में श्रमिकों की कुल संख्या 25080 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 34190 हो गयी है। पिछले दशक में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में श्रमिक बल वृद्धि दर 36.32 प्रतिशत था। वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में कार्य भागीदारी दर 27.93 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 33.41 हो गयी है।

वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों की कुल संख्या 6673 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 9488 हो गयी है। पिछले दशक में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिक वृद्धि दर 42.18

## सिवनी विकास योजना | 2035

प्रतिशत था। वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में कार्य भागीदारी दर 39.18 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 40.63 हो गयी है।

## सारणी 3.33 श्रमिक भागीदारी अनुपात

क्रमांक	क्षेत्र	व्यक्तियों का कार्य भागीदारी दर	
		2001	2011
1	2	3	4
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>			
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	27.93	33.41
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>			
1	बींझावाड़ा	36.10	37.46
2	मानेगाँव	44.05	44.65
3	बिटली	47.02	51.66
4	पलारी	32.53	44.97
5	छिड़िया	38.53	52.69
6	डोरली छतरपुर	27.66	41.27
7	बोरदई	36.71	47.79
8	खैरी	49.83	41.18
9	सिमरिया	53.33	43.57
10	मरझोर	35.54	33.99
11	बम्होड़ी	48.93	38.06
12	लखनवाड़ा	44.16	36.56
13	कोनियापार	52.82	36.07
14	परतापुर	51.94	40.83
15	लोनिया	33.92	35.97
16	लुघरवाड़ा	37.22	34.91
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>		39.18	40.63
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		29.72	34.75


स्त्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

## सिवनी विकास योजना | 2035


## सारणी 3.34 श्रमिक बल वृद्धि दर

क्रमांक	क्षेत्र	श्रमिक बल वृद्धि दर
1	2	3
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>		
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	36.32
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>		
1	बींजावाड़ा	20.37
2	मानेगाँव	40.14
3	बिटली	37.97
4	पलारी	136.69
5	छिड़िया	65.44
6	डोरली छतरपुर	134.77
7	बोरदई	78.07
8	खैरी	-1.01
9	सिमरिया	-7.01
10	मरझोर	139.03
11	बम्होड़ी	-10.24
12	लखनवाड़ा	-14.93
13	कोनियापार	-29.41
14	परतापुर	66.88
15	लोनिया	20.11
16	लुघरवाड़ा	6.94
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>		42.18
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>37.56</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011



आरेख 3.9 श्रमिक भागीदारी (प्रतिशत)



वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र काशतकार 6.41 प्रतिशत थे, जो वर्ष 2011 में घटकर 3.77 प्रतिशत हो गये। वर्ष 2001 में निवेश क्षेत्र में कृषि श्रमिक 6.59 प्रतिशत थे, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 6.63 प्रतिशत हो गये। वर्ष 2001 में निवेश क्षेत्र में गृह उद्योग श्रमिक 3.84 प्रतिशत थे, जो वर्ष 2011 में घटकर 3.40 प्रतिशत हो गये। वर्ष 2001 में निवेश क्षेत्र में अन्य श्रमिक 83.16 प्रतिशत थे, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 86.20 प्रतिशत हो गये। उक्त आकड़ों से यह संज्ञान में आता है की, श्रमिकों का रुझान प्राथमिक सेक्टर से द्वितीयक तथा तृतीयक सेक्टर की ओर बढ़ रहा है।

सारणी 3.35 सेक्टरवार श्रमिक बल का विवरण (प्रतिशत)


क्रमांक	क्षेत्र	कुल काशतकार	कुल कृषि श्रमिक	कुल गृह उद्योग श्रमिक	कुल अन्य श्रमिक	कुल श्रमिक
1	2	3	4	5	6	7
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>						
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	1.13	2.04	3.64	93.19	100
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>						
1	बींझावाड़ा	17.16	19.31	1.43	62.10	100
2	मानेगाँव	8.40	14.81	0.49	76.30	100
3	बिटली	4.40	61.28	0.55	33.77	100
4	पलारी	4.38	12.50	2.25	80.87	100
5	छिड़िया	17.33	11.11	2.67	68.89	100
6	डोरली छतरपुर	4.71	12.15	2.50	80.64	100

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्रमांक	क्षेत्र	कुल काश्तकार	कुल कृषि श्रमिक	कुल गृह उद्योग श्रमिक	कुल अन्य श्रमिक	कुल श्रमिक
1	2	3	4	5	6	7
7	बोरदई	12.68	16.75	4.19	66.38	100
8	खैरी	15.06	49.41	7.61	27.92	100
9	सिमरिया	30.16	23.61	0.33	45.90	100
10	मरझोर	5.44	6.53	3.89	84.14	100
11	बम्होड़ी	22.01	61.96	0.82	15.21	100
12	लखनवाड़ा	27.56	26.89	0.67	44.88	100
13	कोनियापार	42.42	37.88	0.00	19.70	100
14	परतापुर	19.07	35.60	0.00	45.33	100
15	लोनिया	29.67	21.53	1.91	46.89	100
16	लुघरवाड़ा	18.89	14.88	4.60	61.63	100
	ग्रामीण क्षेत्र	13.29	23.13	2.53	61.05	100
	सिवनी निवेश क्षेत्र	3.77	6.63	3.40	86.20	100

स्रोत: भारत की जनगणना 2001

### आरेख 3.10 सेक्टरवार श्रमिक बल का वितरण (प्रतिशत)



वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र तथा सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में क्रमश 78.98 और 21.02 प्रतिशत श्रमिक कार्यरत थे। लेकिन, वर्ष 2011 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या घटकर 78.28 प्रतिशत हो गयी और सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या बढ़कर 21.72 प्रतिशत हो गयी।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 3.36 श्रमिक जनसंख्या

क्र	क्षेत्र	2001					2011				
		कुल काश्तकार	कुल कृषि श्रमिक	कुल गृह उद्योग श्रमिक	कुल अन्य श्रमिक	कुल श्रमिक	कुल काश्तकार	कुल कृषि श्रमिक	कुल गृह उद्योग श्रमिक	कुल अन्य श्रमिक	कुल श्रमिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>											
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	179	230	1109	23562	25080	387	699	1244	31860	34190
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>											
1	बींझापाड़ा	219	198	6	274	697	144	162	12	521	839
2	गानेगाँव	60	167	0	62	289	34	60	2	309	405
3	बिटली	67	134	4	190	395	24	334	3	184	545
4	पलारी	24	79	1	234	338	35	100	18	647	800
5	छिड़िया	35	17	0	84	136	39	25	6	155	225
6	डोरली छतरपुर	49	50	2	667	768	85	219	45	1454	1803
7	बोरदई	93	84	14	265	456	103	136	34	539	812
8	खैरी	228	207	3	159	597	89	292	45	165	591
9	सिमरिया	130	141	3	54	328	92	72	1	140	305
10	मरझोर	29	64	16	160	269	35	42	25	541	643
11	बम्होड़ी	221	150	0	39	410	81	228	3	56	368
12	लखनवाड़ा	211	109	29	180	529	124	121	3	202	450
13	कोनियापार	122	56	1	8	187	56	50	0	26	132
14	परतापुर	131	145	4	28	308	98	183	0	233	514
15	लोनिया	65	62	5	42	174	62	45	4	98	209
16	लुघरवाड़ा	172	201	22	397	792	160	126	39	522	847
ग्रामीण क्षेत्र		1856	1864	110	2843	6673	1261	2195	240	5792	9488
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>2035</b>	<b>2094</b>	<b>1219</b>	<b>26405</b>	<b>31753</b>	<b>1648</b>	<b>2894</b>	<b>1484</b>	<b>37652</b>	<b>43678</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

## सिवनी विकास योजना | 2035

वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में कुल श्रमिकों की तुलना में मुख्य श्रमिकों का अनुपात 86.79 था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 87.16 हो गया।

## सारणी 3.37 कुल श्रमिकों की तुलना में मुख्य श्रमिकों का अनुपात (प्रतिशत)

क्रमांक	क्षेत्र	कुल श्रमिकों में मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत	
		2001	2011
1	2	3	4
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>			
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	90.90	90.49
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>			
1	बींझावाड़ा	83.64	92.97
2	मानेगाँव	55.71	94.57
3	बिटली	75.44	35.96
4	पलारी	76.04	77.75
5	छिड़िया	52.21	87.11
6	डोरली छतरपुर	70.70	71.05
7	बोरदई	77.63	45.20
8	खैरी	50.42	36.89
9	सिमरिया	51.52	98.36
10	मरझोर	66.91	88.96
11	बम्होड़ी	69.51	92.93
12	लखनवाड़ा	61.06	99.78
13	कोनियापार	100.00	61.36
14	परतापुर	99.68	76.46
15	लोनिया	81.03	95.69
16	लुघरवाड़ा	75.76	88.67
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>		71.33	75.16
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>86.79</b>	<b>87.16</b>

स्त्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में कुल श्रमिकों की तुलना में सीमांत श्रमिकों का अनुपात 13.21 था जो वर्ष 2011 में घटकर 12.84 हो गया।

## सिवनी विकास योजना | 2035

सारणी 3.38 कुल श्रमिकों की तुलना में सीमांत श्रमिकों का अनुपात (प्रतिशत)

क्रमांक	क्षेत्र	कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत	
		2001	2011
1	2	3	4
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>			
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	9.10	9.51
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>			
1	बींझावाड़ा	16.36	7.03
2	मानेगाँव	44.29	5.43
3	बिटली	24.56	64.04
4	पलारी	23.96	22.25
5	छिड़िया	47.79	12.89
6	डोरली छतरपुर	29.30	28.95
7	बोरदई	22.37	54.80
8	खैरी	49.58	63.11
9	सिमरिया	48.48	1.64
10	मरझोर	33.09	11.04
11	बम्होड़ी	30.19	7.07
12	लखनवाड़ा	38.94	0.22
13	कोनियापार	0.00	38.64
14	परतापुर	0.32	23.54
15	लोनिया	18.97	4.31
16	लुघरवाड़ा	24.24	11.33
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>		28.67	24.84
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		13.21	12.84

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में पुरुष कार्य भागीदारी दर 45.81 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 52.54 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में पुरुष कार्य भागीदारी दर 45.11 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 51.84 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष कार्य भागीदारी दर 49.40 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 55.58 प्रतिशत हो गया।

## सिवनी विकास योजना | 2035


## सारणी 3.39 कामकाजी पुरुषों का कार्य भागीदारी अनुपात

क्रमांक	क्षेत्र	कामकाजी पुरुष कार्य भागीदारी अनुपात	
		2001	2011
1	2	3	4
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>			
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	45.11	51.84
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>			
1	बींझावाड़ा	43.77	55.05
2	मानेगाँव	51.20	60.66
3	बिटली	53.42	57.88
4	पलारी	46.54	58.58
5	छिड़िया	52.41	60.79
6	डोरली छतरपुर	43.03	54.80
7	बोरदई	51.38	58.37
8	खैरी	53.43	54.07
9	सिमरिया	56.21	56.61
10	मरझोर	48.10	52.11
11	बम्होड़ी	53.53	54.62
12	लखनवाड़ा	53.72	55.28
13	कोनियापार	49.47	52.26
14	परतापुर	56.52	54.38
15	लोनिया	48.66	52.55
16	लुघरवाड़ा	51.24	55.35
ग्रामीण क्षेत्र		49.40	55.58
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		<b>45.81</b>	<b>52.54</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011


## सिवनी विकास योजना | 2035

आरेख 3.11 पुरुषों का कार्य भागीदारी अनुपात



वर्ष 2001 में सिवनी निवेश क्षेत्र में महिला कार्य भागीदारी दर 12.52 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 16.08 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2001 में सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में महिला कार्य भागीदारी दर 9.63 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 14.10 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2001 में सिवनी ग्रामीण क्षेत्र में महिला कार्य भागीदारी दर 27.97 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में घटकर 24.82 प्रतिशत हो गया। निवेश क्षेत्र में पुरुष समकक्ष की तुलना में महिला कार्य भागीदारी दर बहुत कम है।

आरेख 3.12 महिलाओं का कार्य भागीदारी अनुपात



## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 3.40 कामकाजी महिलाओं का कार्य भागीदारी अनुपात

क्रमांक	क्षेत्र	कामकाजी महिला कार्य भागीदारी अनुपात	
		2001	2011
1	2	3	4
<b>नगर पालिका क्षेत्र</b>			
1	सिवनी नगर पालिका क्षेत्र	9.63	14.10
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>			
1	बींझावाड़ा	27.06	19.89
2	मानेगाँव	36.73	28.54
3	बिटली	40.05	44.99
4	पलारी	17.66	31.47
5	छिड़िया	22.89	43.50
6	डोरली छतरपुर	10.34	26.90
7	बोरदई	22.24	35.86
8	खैरी	45.68	26.60
9	सिमरिया	50.49	30.68
10	मरझोर	21.82	14.80
11	वाहोड़ी	43.86	20.47
12	लखनवाडा	33.97	16.61
13	कोनियापार	56.71	16.77
14	परतापुर	47.28	26.82
15	लोनिया	18.65	16.48
16	लुघरवाड़ा	21.29	12.05
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>		27.97	24.82
<b>सिवनी निवेश क्षेत्र</b>		12.52	16.08

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

## सारणी 3.41 वार्ड अनुसार श्रमिकों की भागीदारी

Ward Wise Work Participation (Minimum Value-28 Maximum Value-38)			
S.No.	Range	Total Wards	Ward Number
1	2	3	4
1	25-28	1	10
2	28-31	2	9, 23
3	31-33	13	1, 2, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24
5	33-35	2	3, 4
4	35-37	6	5, 7, 11, 16, 19, 22



### 3.6 नगर के मुख्य कार्यकलाप

सिवनी नगर जिला मुख्यालय होने के कारण जिला स्तरीय प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र है, जहां राज्य शासन के विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय है। इसके साथ ही नगर शैक्षणिक गतिविधियों का भी केंद्र है।

नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर की प्राप्ति ही नियोजन का मुख्य लक्ष्य है। आर्थिक संसाधनों के कुशलतम भू-उपयोग में नगर नियोजन की आवश्यकता अनिवार्य होती है। उदार आर्थिक नीतियों तथा वैश्वीकरण के फलस्वरूप नगरीय व्यवस्था में तेजी से आ रहे बदलावों के परिप्रेक्ष्य में नगर के निम्न मुख्य कार्यकलापों पर विचार किया जाना आवश्यक है—

1. जिला मुख्यालय स्तरीय प्रशासकीय केन्द्र ।
2. कृषि उत्पाद संबंधी व्यापार वाणिज्यिक केन्द्र ।
3. क्षेत्रीय स्तरीय शैक्षणिक केन्द्र ।
4. जिला स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र ।
5. वनोपज आधारित केन्द्र ।

### 3.7 नगरीय विस्तार

सिवनी निवेश क्षेत्र का नगरीय विस्तार क्रम का विश्लेषण अलग-अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर किया गया है। मानचित्र में नगर का प्राकृतिक विकास क्रम एवं दिशा स्पष्ट है। प्राकृतिक विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी 3.42 में स्पष्ट है।

सारणी 3.42 नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

क्र.	नगरीय विस्तार	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	2006 तक	313.28
2.	2006-2008	397.76
3.	2008-2019	749.32
	कुल	1460.36

वर्ष 2006 के पूर्व नगरीय गतिविधियाँ प्रमुखतः सिवनी के संस्पर्शी क्षेत्र तक केंद्रित थी, किन्तु वर्ष 2006-2019 की समयावधि में नगर विस्तार छिंदवाड़ा, जबलपुर, नागपुर एवं बालाघाट मार्ग के आस-पास के क्षेत्र में हुआ है।

### 3.8 गंदी बस्तियाँ

सिवनी में गंदी बस्तियों में 7,444 झुग्गी झोपड़ियाँ हैं तथा 7,444 परिवार निवास करते हैं। इस प्रकार गंदी बस्ती में निवास कर रही जनसंख्या नगर की कुल जनसंख्या का लगभग 33.16 प्रतिशत है।

### 3.9 अनुमानित जनसंख्या


सिवनी निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 1991 में 76566 थी, जो 2001 में 106833 तथा 2011 में बढ़कर 125694 हो गई। जनसंख्या परिवर्तन का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 3.43 जनसंख्या परिवर्तन

क्रमांक	वर्ष	जनसंख्या
1	2	3
1	1901	11864
2	1911	13839
3	1921	12772
4	1931	16081
5	1941	20570
6	1951	25024
7	1961	30274
8	1971	38396
9	1981	54017
10	1991	76566
11	2001	106833
12	2011	125694

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

आरेख 3.13 जनसंख्या परिवर्तन



## सिवनी विकास योजना | 2035


नगर की भावी आवश्यकताओं का निर्धारण मुख्यतः भावी अनुमानित जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। नगर की जनसंख्या अनुमानित करने में विभिन्न घटक जैसे नगर की जनसंख्या वृद्धि दर, आर्थिक रूप रेखा, शासन की औद्योगिक नीति आदि को विशेष महत्व दिया जाना आवश्यक है। सिवनी नगर की जनसंख्या का अनुमान उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुये तथा क्षेत्रीय महत्व आदि को भी दृष्टिगत रखते हुये किया गया है। वर्ष 2035 की भावी जनसंख्या के आकलन करने हेतु, वर्ष 1991 से 2011 तक की जनगणना जानकारी एकत्र की गई, एवं विभिन्न सांख्यिकी पद्धति के आधार पर अंकगणितीय वृद्धि पद्धति, ज्यामितीय वृद्धि पद्धति, इंक्रीमेंटल वृद्धि पद्धति, घातांकीय वृद्धि पद्धति एवं सी.ए.जी.आर वृद्धि पद्धति द्वारा की गई।

## सारणी 3.44 जनसंख्या प्रक्षेपण

वर्ष	अंकगणितीय वृद्धि पद्धति	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	इंक्रीमेंटल वृद्धि पद्धति	घातांकीय वृद्धि पद्धति	सी.ए.जी.आर वृद्धि पद्धति
1	2	3	4	5	6
2021	150258	161633	159689	167298	157283
2031	174822	207848	108728	226043	195522
2035	184648	237563	213676	256243	241928

स्रोत:- भारत की जनगणना 2011

## आरेख 3.14 जनसंख्या प्रक्षेपण



**सिवनी विकास योजना | 2035**

अतः अनुमानित जनसंख्या हेतु अधिकतम जनसंख्या 2,56,243 घातांकीय वृद्धि पद्धति का उपयोग करते हुये प्रक्षेपित की गई है, जिसके आधार पर वर्ष 2035 की जनसंख्या 2.50 लाख, अनुमानित करते हुये विकास योजना के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।

**3.10 आवास आवश्यकता**

वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर के अंतर्गत 22,448 परिवार 13,665 आवासों में निवास करते हैं। इस आधार पर परिवार का आकार 4.60 व्यक्ति आता है जबकि प्रति आवास व्यक्तियों की औसत संख्या 7.50 आती है। प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता के मान से 9,079 आवासों की कमी के साथ परिवार का आकार बड़ा परिलक्षित होता है। इसका प्रमुख कारण संयुक्त परिवार एवं परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना है।

वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर की गन्दी बस्ती में 7,444 परिवार हैं। सारणी 3.45 में जनगणना 2011 अनुसार कुल आवास आवश्यकता की विस्तृत जानकारी दर्शित है।

**सारणी 3.45 वर्ष 2011 अनुसार आवास आवश्यकता**

क्रमांक	विवरण	संख्या
1	2	3
1	वर्ष 2011 में आवासों की कमी	9,079
2	गंदी बस्ती क्षेत्र एवं जीर्ण-शीर्ण आवास	7,444
<b>योग</b>		<b>16,523</b>

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में वर्तमान आवासों की कुल संख्या 18,227 हैं। वर्ष 2035 के लिये परिवार आकार 4.50 मानकर सिवनी निवेश क्षेत्र में अतिरिक्त 44,413 आवास इकाइयों की आवश्यकता होगी।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 3.46 निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित आवासों की मांग

क्र.	विवरण	आवासीय इकाईयों की आवश्यकता	
		2011	2035
1	2	3	4
1	जनसंख्या	102343	2,50,000
2	अतिरिक्त जनसंख्या	-	1,47,657
3	औसत परिवार आकार	4.6	4.5
4	अतिरिक्त परिवार	-	32,813
5	वर्ष 2035 में 90 प्रतिशत परिवारों की आवास आवश्यकता	-	29,531
6	वर्ष 2011 की आवास आवश्यकता को सम्मिलित करते हुए आवास आवश्यकता	16,532	46,063
7	वर्ष 2019 तक निर्मित अतिरिक्त आवास	-	4,562
8	वर्ष 2011 से वर्ष 2019 तक निर्मित अतिरिक्त आवास को घटाकर आवास आवश्यकता	-	41,501
9	निवास योग्य रहवासी इकाईयों (18227) की प्रतिवर्ष एक प्रतिशत की दर से पुनर्स्थापना	-	2,912
<b>कुल आवास आवश्यकता</b>			<b>44,413</b>

स्रोत.—सिवनी नगर पालिका क्षेत्र भारत की जनगणना 2011

## 3.11 भौतिक अधोसंरचना

वर्ष 2035 तक सिवनी निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 2.50 लाख तक पहुंचना अनुमानित है। नगर अधोसंरचना के घटकों का विकास जैसे जल प्रदाय, निकासी नालियां तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को इस प्रकार प्रस्तावित किया जाना है, जिससे नगरवासियों को स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त नगर विकास योजना, वृहद् पर्यावरणीय प्रबंध योजना तथा नगरीय जल प्रदाय एवं पर्यावरणीय सुधार योजना के प्रस्ताव भी यथा आवश्यक उचित सुधारों के साथ इस विकास योजना में समाविष्ट किया जाना है।

## 3.11.1 जल प्रदाय

सिवनी नगर में वर्तमान स्थिति के अनुसार जल प्रदाय का प्रमुख जल स्रोत भीममगढ़ जलाशय (डैम) एवं बावरिया जलाशय (तालाब) हैं। नगर में जल प्रदाय हेतु पांच जल संग्रहण टंकिया उपलब्ध हैं, जिनकी कुल क्षमता 8.00 एम.एल.डी. है, जिसके माध्यम से शहर में जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक नल कूपों एवं कुओं से जल प्रदाय किया जाता है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## 3.11.1.1 मांग का आकलन एवं जल प्रदाय स्रोत (Demand &amp; Gap Analysis)

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन की जल प्रदाय एवं उपचार हेतु जारी निर्देशिका में यह सुझाव दिया गया है कि उन बड़े शहरों में जहां जल प्रदाय रास्ता अस्तित्व में हो या बनाई जाने वाली हो वहां प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन 150 लीटर पानी प्रदाय किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय बिल्डिंग संहिता, जल प्रदाय की आधारभूत आवश्यकता निकासी एवं स्वच्छता प्रबंध संहिता (आई.एस.: 1172-1983) में न्यूनतम 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय ऐसे सभी निवासियों के लिये जहां मल निकासी के लिये पूर्ण तेज बहाव (फलस) व्यवस्था हो, किये जाने का अनुमोदन किया गया है।

अतः 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय पाइप लाइन से किया जाये तो इस दर से शहर में निम्नानुसार जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी :-

## सारणी 3.47 जल आपूर्ति आकलन

क्रमांक	वर्ष	जनसंख्या	जल आपूर्ति मात्रा (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन )	कुल जल आपूर्ति मात्रा (एम.एल.डी. में)
1	2	3	4	5
1	2011	1,02,343	135	13.81
2	2035	2,50,000	135	33.75


सिवनी नगर में वर्तमान जल प्रदाय हेतु ग्राम बंडोल में 10.00 एम.एल.डी एवं बावरिया में 8.20 एम.एल.डी के जल शोधन संयंत्र स्थित है। अतः नगर में कुल 18.20 एम.एल.डी. शोधन क्षमता एवं जल प्रदाय करने हेतु कुल जल संग्रहण क्षमता 8.00 एम.एल.डी. उपलब्ध है। जिसके अनुसार वर्तमान में शहर में केवल 78 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की जल प्रदाय क्षमता है।

वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 2.50 लाख के लिए 8.00 एम.एल.डी की जल संग्रहण क्षमता अनुसार जल प्रदाय क्षमता मात्र 32 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन होगी, जिसे बढ़ाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय की सुविधा किए जाना प्रस्तावित है। जल प्रदाय सुविधा हेतु 25.75 एम.एल.डी की अतिरिक्त जल संग्रहण सुविधा एवं 15.55 एम.एल.डी की जल शोधन सुविधा को विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

## 3.11.1.2 जल वितरण व्यवस्था

यह प्रस्तावित है कि वर्ष 2035 तक पर्याप्त प्रदाय दबाव सहित नगर की 100 प्रतिशत जनसंख्या को पाइप द्वारा जल प्रदाय व्यवस्था में सम्मिलित किया जावे। वर्तमान में नगर लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या को ही पाइप द्वारा जल प्रदाय उपलब्ध है। वर्तमान की अवरोधित जल प्रदाय व्यवस्था के स्थान पर सुरक्षित एवं पीने योग्य गुणवत्ता वाले जल की निरंतर जल प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।

पेयजल के दुरुपयोग का रोकने तथा प्रदाय व्यवस्था में उच्चतर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सेवा मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त



## सिवनी विकास योजना | 2035

जब तक उन्हें जल के वास्तविक उपयोग पर आधारित न किया जावे। जल दरों की व्यवस्था का निर्माण दक्षताओं हेतु आवश्यक है।

### 3.11.2 नालियां तथा मल उपचार

घरेलू मल निकासी हेतु सेनेटिरी नालियां तथा वर्षा जल की निकासी हेतु वर्षा जल प्रवाह नालियां, इस प्रकार पृथक-पृथक नालियां उपलब्ध कराई जाएगी। शहर में निकासी व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए हैं:-

1. 100 प्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था।
2. जल निकासी व्यवस्था का निर्धारण तथा सेवाओं पर निगरानी।
3. अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु उपचारण, पुर्नचक्रीकरण व पुनः उपयोग।
4. वाणिज्यिक स्थानों, बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सशुल्क शौचालय।
5. पर्यटकों की सुविधा हेतु चलित-शौचालय अथवा स्वच्छ आधुनिक (मॉड्यूलर)/ जैविक शौचालय की व्यवस्था।
6. जन सामान्य हेतु उक्त सभी व्यवस्थायें आर्थिक रूप से वहन किए जाने योग्य होंगी।

#### 3.11.2.1 अपशिष्ट जल प्रवाह

अपशिष्ट जल प्रवाह की दर जनसामान्य को प्रदाय की गई जल की दर तथा भू-जल रिसावों की दर पर निर्भर करती है। सामान्य व्यवहार के अनुसार अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल प्रवाह में परिवर्तित होता है। सामान्यतः अधिकांश क्षेत्र में पाईप लाईनों का स्तर भूमि जल स्तर के ऊपर होना प्रस्तावित है और इसलिए भूमि जल रिसाव को अनदेखा कर दिया जाता है। भूमि जल रिसाव के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट वैज्ञानिक तथा तकनीकी अध्ययन अनुसार तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जिससे जल संसाधन का अधिकतम संरक्षण किया जा सके।

#### • फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट

सिवनी नगर में शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट जल प्रबंधन/उपचार के लिए ग्राम सिवनी में 72 के0एल0डी0 की क्षमता का फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थित है। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 2.50 लाख के लिए फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट केवल घरों के शौचालय/सेप्टिक टैंक से निकलने वाले मल एवं अपशिष्ट जल के उपचारण हेतु उपयोगी है। इसके द्वारा सामान्यतः अपशिष्ट जल का उपचारण नहीं किया जाता है, जो कि अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत होता है।

वर्तमान में शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप अपशिष्ट जल, अनुपचारित ही नालियों के माध्यम से बड़े नालों में प्रवाहित हो रहा है। अतः

## सिवनी विकास योजना | 2035

नगर के नियोजित विकास के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं सीवरेज प्रणाली का विकास किया जाना प्रस्तावित है। उक्त हेतु विकास योजना में ग्राम मरझोर में स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के समीप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या 2.50 लाख अनुसार 27 एम.एल.डी. अपशिष्ट जल उपचार हेतु शोधन संयंत्र की आवश्यकता है।

### 3.11.2.2 वर्षा जल निकासी

सिवनी शहर में स्थित पहाड़ियों के कारण पानी का निकास बहुत जल्दी हो जाता है। शहर में स्थित मध्य तथा निचले क्षेत्र में भूमिगत अथवा खुले नालों की व्यवस्था के अभाव में पानी की निकासी नहीं हो पाती है, जिससे इन क्षेत्रों में पानी भर जाता है। नगर के मध्य तथा निचले क्षेत्रों में भूमिगत नालियों एवं खुली नालियों की अत्यंत आवश्यकता है। जिससे जल निकासी सुगमता से हो सके।


### 3.11.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

नगर में प्रतिदिन लगभग 33 टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। ठोस अपशिष्ट के विसर्जन हेतु ग्राम छिड़िया में लगभग 4 हेक्टेयर भूमि प्रशासन द्वारा नगरपालिका सिवनी को आवंटित की गई है। नगर पालिका सिवनी द्वारा इस भूमि को लेण्ड फिल साइट के रूप में उपयोग में लायी जाती है। नगर पालिका सिवनी द्वारा बैज्ञानिक तरीके से बायोडिग्रेडेबल एवं नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे का पृथक्कीकरण करके ठोस अपशिष्ट निष्पादन की कार्यवाही की जा रही है।

सिवनी शहर से निकलने वाले कचरे को नगरपालिका की कचरा संग्रहण वाहन (Door To Door Collection) के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है तदोपरांत ट्रेचिंग ग्राउण्ड क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का शोधन किया जाता है, जिसमें वर्तमान में घरों एवं शहर के अन्य हिस्सों से प्राप्त होने वाला गीला एवं सूखा कचरा (ठोस अपशिष्ट पदार्थ), को जैविक एवं अकार्बनिक प्रक्रिया से जैविक खाद के रूप में तैयार किया जाता है।

सिवनी शहर के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निम्नलिखित योजना प्रस्तावित है—

- तालाबों एवं मार्गों के किनारों पर नागरिकों द्वारा गंदगी फैलने वाले, गंदगी के स्थानों का चिन्हित करने के उपरांत उन जगहों पर कचरा पेटी लगाई जाना चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया का बेहतर प्रबंधन सिवनी नगर पालिका द्वारा किया जाना चाहिये।



**3.11.4 विद्युत प्रदाय**

नगर में विद्युत वितरण ग्राम लुघरवाड़ा (एन.टी.पी.सी) द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विद्युत पॉलिसी-2005 के मापदण्ड अनुसार वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या अनुसार एन.टी.पी.सी द्वारा विद्युत प्रदाय की क्षमता पर्याप्त है।

**3.12 सामाजिक अघोसंरचना****3.12.1 अग्निशमन**

सिवनी नगर का वर्तमान में अग्निशमन केंद्र नगर पालिका कार्यालय परिसर में स्थित है, जिसके द्वारा शहर में आगजनी की स्थिति को नियंत्रण किया जाता है। शहर की प्रस्तावित वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर नवीन अग्निशमन केन्द्र सिवनी नगर पालिका द्वारा विकसित किया जाना एवं अग्निशमन वाहनों की संख्या में वृद्धि करना प्रस्तावित है।

**3.12.2 पुलिस कार्यालय**

सिवनी नगर में मुख्यतः 3 पुलिस थाने स्थित हैं जो की क्रमशः ग्राम सिवनी रैयत में नगर पालिका के समीप, ग्राम झूंडासिवनी एवं ग्राम लखनवाड़ा में स्थित हैं। एक अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु पुलिस थाना बालाघाट मार्ग पर स्थित है। वर्तमान में शहर के अंदर यातायात पुलिस कार्यालय/थाना उपलब्ध ना होने के कारण यातायात पुलिस कार्यालय/थाना निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

**3.12.3 वाचनालय**

नगर में 02 वाचनालय संचालित हैं। शहर की प्रस्तावित वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर नवीन वाचनालय विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

**3.12.4 श्मशान घाट /कब्रिस्तान**

वर्तमान में नगर में श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान कटंगी मार्ग पर ग्राम डोरली छतरपुर में स्थित है। साथ ही मविष्य में श्मशान घाट/कब्रिस्तान प्रस्तावित किया जाना उचित होगा।

**3.12.5 धोबी घाट**

नगर में वर्तमान में धोबी घाट दलसागर तालाब एवं मठ मंदिर तालाब में संचालित है, जिसके तालाबों का जल प्रदूषित होता है। अतः इस समस्या के निदान हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा सूखा तालाब का विकास धोबी घाट के रूप में किया जा सकता है।

**3.12.6 दूरसंचार**


सिवनी नगर में दूरसंचार के साधन में विभिन्न कम्पनियों के कुल 89 (बी.एस.एन. एल., आईडिया, ऐयरटेल, रिलायंस) मोबाईल टॉवर स्थापित हैं। जो शहर में सुचारु रूप से संचार सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त नगर में 08 डाक घर एवं 02 दूरभाष केंद्र हैं।


**3.12.7 सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं**

सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं वर्तमान में ए.टी.एम. एवं वर्तमान सार्वजनिक शौचालयों की जानकारी मानचित्र में दर्शायी गयी है।

**3.12.8 सी.एन.जी. गैस वितरण सेवा**

वर्तमान में सिवनी नगर में खाना बनाने में एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों के माध्यम से घरों में पहुंचाई जाती है। प्रस्तावित विकास योजना 2035 में सी.एन.जी. गैस पाइप लाइन द्वारा गैस की सप्लाई दी जाना प्रस्तावित है।





## अध्याय-4 प्रस्तावित भूमि उपयोग

भूमि उपयोग योजना को नगरीय और ग्रामीण समुदायों के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक दक्षता, स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भूमि, संसाधनों, सुविधाओं और सेवाओं के वैज्ञानिक, कलात्मक, और व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है।

भूमि उपयोग योजना का लक्ष्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिये सुविधाजनक, न्याय संगत, स्वस्थ, कुशल और आकर्षक वातावरण बनाकर लोगों और उनके समुदायों के कल्याण को आगे बढ़ाना है।

### 4.1 विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन

सिवनी विकास योजना 2021 प्रस्तावित जनसंख्या 1.75 लाख हेतु दिनांक 24.10.2008 से प्रभावशील की गई थी। भारत सरकार द्वारा सिवनी नगर को अमृत गाईड लाईन के अनुसार विकास योजना तैयार करने हेतु वर्ष 2018 में चयन किया गया एवं सिवनी विकास योजना 2021 की समयावधि पूर्ण होने को है। अतः नगर के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन किया जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 2.50 लाख हेतु तैयार की गई है। जिसमें वर्तमान विकसित क्षेत्र को समाहित कर नवीन प्रस्ताव दिये गये हैं, जो नगर के विकास के साथ नगरीय जीवन स्तर के उन्नयन एवं आर्थिक विकास हेतु उपयोगी होंगे।

### 4.2 योजना अवधारणा

नगर का नैसर्गिक आकार नदी, नाले, पहाड़ एवं नगर के मध्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग तथा क्षेत्रीय मार्गों पर निर्भर करता है। नगर का वर्तमान विस्तार मुख्यतः सिवनी-बालाघाट मार्ग, सिवनी-कटंगी मार्ग, सिवनी-नागपुर मार्ग, एवं सिवनी-जबलपुर तथा सिवनी-छिन्दवाड़ा मार्ग के किनारे-किनारे है। नगर का विकास तथा मुख्य गतिविधियां भी इन मार्गों के आस-पास संचालित होती है। नगर का भौतिक विकास प्राकृतिक एवं मानव निर्मित बाधाओं से प्रभावित होता है।

वर्तमान में छिन्दवाड़ा चौक, नगरपालिका चौक, रानी लक्ष्मीबाई चौक, गणेश चौक, सब्जी मण्डी एवं कृषि उपज मण्डी नगर स्तरीय कार्यकलापों के केन्द्र है। मिश्रित भू-उपयोग के वर्तमान स्वरूप को भी विकास योजना में यथावत रखा जाना प्रस्तावित है। क्षेत्रीय यातायात हेतु बाय-पास मार्ग का प्रस्ताव, स्टेडियम, उद्यान हेतु प्रस्ताव विकास योजना के प्रमुख प्रस्तावों में शामिल है।

**सिवनी विकास योजना | 2035**

वर्तमान में हो रहे विकास की दिशा को दृष्टिगत रखते हुये नगर का भावी विकास एवं स्वरूप का निर्धारण किया गया है, फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रों को प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना एवं यातायात के द्वारा समुचित रूप में जोड़े जाने की भी आवश्यकता है, ताकि इन सभी क्षेत्रों में आपसी सह-संबंध एवं युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इस प्रकार नगर का विकास एकीकृत रूप से हो सकेगा।

नगर के मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने की दिशा में प्रस्तावित विभिन्न क्षेत्र में इस हेतु उचित प्रावधान किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये नवीन प्रस्ताव रखे गये हैं, ताकि मध्य क्षेत्र में इन गतिविधियों का केन्द्रीकरण हो सके। नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय सुविधाओं के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर सुविधाओं को प्रस्तावित किया गया है।

**4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता**

सिवनी विकास योजना 2021 के अनुसार सिवनी निवेश क्षेत्र की, वर्ष 2019 में जनसंख्या 1.50 लाख प्रक्षेपित की गई है, एवं वर्ष 2035 तक वृद्धिगत जनसंख्या 2.50 लाख अनुमानित की गई है।

विकसित क्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं, परिवहन एवं आमोद-प्रमोद क्षेत्र में सम्मिलित हैं। रिक्त भूमि, जलाशय, वन क्षेत्र, ग्रामीण निर्मित क्षेत्र एवं कृषि भूमि सम्मिलित नहीं है।

यू.आर.डी.पी.एफ.आई. मानक अनुसार मध्यम श्रेणी के नगरों के लिए 100 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशंसित है। सिवनी हेतु 70 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर प्रस्तावित जनसंख्या घनत्व की अनुशंसा की जाती है। इस संदर्भ में वर्ष 2035 तक सिवनी निवेश क्षेत्र में विकास योजना प्रस्ताव निर्धारित करने हेतु क्षेत्रफल की गणना की गई है एवं इस गणना के अनुसार लगभग 3600 हेक्टेयर भूमि कुल 2.5 लाख जनसंख्या (वर्ष 2035) के लिये आवश्यक होगी। सिवनी निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग हेतु भूमि का चयन करने हेतु समन्वित भूमि उपयोग उपयुक्तता का विश्लेषण किया गया है, जिसका मुख्य आधार भौगोलिक विशेषताएँ एवं पर्यावरणीय घटकों का संयुक्त रूप से "Multicriteria Index" के माध्यम से विश्लेषण है।

**4.4 विकास योजना 2035 के प्रस्ताव**

अतीत एवं वर्तमान जनसांख्यिकीय संरचना, स्थलाकृति, वनस्पति, जीव, परिवहन तंत्र, भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना और भविष्य की जनसंख्या जैसे कारकों को ध्यान में रखकर सिवनी निवेश क्षेत्र के लिये प्रस्तावित विकास योजना 2035 का भूमि उपयोग इस प्रकार तैयार किया गया है। सिवनी निवेश क्षेत्र का प्रस्तावित और मौजूदा भूमि उपयोग का ब्यौरा नीचे उल्लिखित है।



## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 4.1 सिवनी निवेश क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

क्र.	भूमि उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टेयर में)	विकसित क्षेत्र 2019			उच्चावचन/ निम्नावन	प्रस्तावित क्षेत्र 2035		
			क्षेत्रफल	प्रतिशत	उपयोगिता दर		क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत	उपयोगिता दर
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1.	आवासीय	1255.35	620.94	47.88%	5.36	634.41	1902.41	48.37%	7.61
2.	वाणिज्यिक	39.64	21.89	3.06%	0.34	17.75	41.76	1.06%	0.17
3.	मिश्रित	0.00	12.23	1.99%	0.22	-12.23	265.10	6.74%	1.06
4.	औद्योगिक	47.96	25.89	1.60%	0.18	22.07	261.34	6.65%	1.05
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	202.40	185.66	8.32%	0.93	16.74	416.67	10.59%	1.67
6.	सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ	18.54	16.30	1.59%	0.18	2.24	24.10	0.61%	0.10
7.	आमोद-प्रमोद	488.95	147.97	9.91%	1.11	340.98	506.75	12.89%	2.03
8.	यातायात एवं परिवहन	487.38	429.48	25.65%	2.87	57.90	514.65	13.09%	2.06
<b>योग</b>		<b>2540.22</b>	<b>1460.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>11.19</b>	<b>1079.86</b>	<b>3932.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>15.73</b>


स्रोत : जी.आई.एस. विश्लेषण

टीप:-

1. वर्ष 2019 की जनसंख्या 1,50,000 प्रक्षेपित करते हुए वर्तमान भूमि उपयोगिता दर की गणना की गई है।
2. वर्ष 2035 की प्रक्षेपित जनसंख्या 2,50,000 के अनुसार भूमि उपयोगिता दर की गणना की गई है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

आरेख 4.1 प्रस्तावित भूमि उपयोग का प्रतिशत



#### 4.4.1 आवासीय

आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये नगर के चारों दिशाओं में दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो सके। आवासीय उपयोग के अंतर्गत वर्तमान आवासीय सहित 1902.41 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 48.37 प्रतिशत है।

#### 4.4.2 वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान वाणिज्यिक को यथावत् रखते हुये मुख्य मार्गों प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के समीप प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि विकसित हो रहे आवासीय क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके। वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान वाणिज्यिक सहित 41.76 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 1.06 प्रतिशत है।

#### 4.4.3 मिश्रित

विगत वर्षों में नगरीय विकास के मूल्यांकन से यह परिलक्षित होता है कि मुख्य मार्गों पर आवश्यकता के अनुसार आवासीय, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास होता है। नियोजन कि दृष्टि से इस प्रकार के उपयोग

## सिवनी विकास योजना | 2035

नगर विकास में गतिशील आयामों के लिए आधार भूत पर्यावरण उत्पन्न करते हैं; जिससे क्षेत्र में गतिशीलता रहती है।

आवासीय परिसरों में बाजार के आर्थिक बल के कारण सामाजिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। बाजार के आर्थिक बल होने के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है, अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे। भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 265.10 हेक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है। मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि का 6.74 प्रतिशत है।

उक्त हेतु विकास योजना में प्रस्तावित मार्ग एम.आर. 1 पर पूर्व दिशा की ओर 60 मीटर, हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित बायपास मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग तक नगर की ओर 100 मीटर एवं नागपुर-जबलपुर तथा बालाघाट मार्ग पर मार्ग चौड़ाई के दो गुना मिश्रित भूमि उपयोग (विकास योजना मानचित्र के प्रस्ताव अनुसार) प्रस्तावित किया गया है।

#### 4.4.4 औद्योगिक

नगर में औद्योगिक विकास, स्थानीय खनिज के आधार पर स्थापित होने वाले प्रदूषण रहित एवं लघु व मध्यम औद्योगिक इकाईयों के रूप में प्रस्तावित है। औद्योगिक इकाईयों के लिए बबरिया मार्ग के वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों के समीप एवं ग्राम बिठली में कुल 265.10 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित भूमि का 6.65 प्रतिशत है। ग्राम बिठली के प्रस्तावित औद्योगिक भूमि उपयोग के अंतर्गत 30 मीटर गहराई तक प्रस्तावित वृक्षारोपण सम्मिलित है।

#### 4.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

सिवनी निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 416.67 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 10.59 प्रतिशत है।

#### 4.4.6 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें

सिवनी निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 24.10 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 0.61 प्रतिशत है।

##### 4.4.6.1 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

वर्तमान में सिवनी नगर में अपशिष्ट जल प्रबंधन की सुविधा नहीं है। नगर के विकास एवं नागरिकों के भावी विकास के लिए ग्राम मरझोर में सीवेज ट्रीटमेंट हेतु लगभग 4 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

**4.4.6.2 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्थल**

सिवनी नगर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ग्राम छिड़िया में ट्रेनिंग ग्राउण्ड प्रस्तावित किया गया है।

**4.4.7 आमोद प्रमोद**

सार्वजनिक उद्यानों और खुले स्थलों को सामान्य तौर पर किसी नगर के फेफड़ों के रूप में माना जाता है क्योंकि ये सीमान्त क्षेत्र तक लोगों के सामाजिक एवं भौतिक स्वास्थ्य का दिग्दर्शन कराते हैं। प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिये सार्वजनिक उद्यानों, खुले स्थलों, खेल के मैदानों तथा अन्य मनोरंजन सुविधाओं का व्यवस्थित एवं युक्तिसंगत वितरण होना चाहिये। अतः विभिन्न प्रकार की मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु एक युक्तिसंगत योजना विकसित की गयी है। सिवनी निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 506.75 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 12.89 प्रतिशत है।

**4.4.7.1 खुला स्थल प्रणाली**

विकास योजना ऐसे खुले स्थलों की प्रणाली को प्रस्तावित करती है जो वर्तमान प्राकृतिक संरचनाओं के भू-दृश्यीकरण विकास के साथ-साथ आमोद-प्रमोद एवं पर्यावरणीय कार्यकलापों को पूर्ण करने में विशिष्टता रखती है। योजना में शहर के प्रमुख खुले स्थलों को प्राकृतिक जल निकास गलियारों के साथ और वर्तमान भू-दृश्यीकरण उप आकृतियों के नये विकास के साथ समाहित करते हुये प्रस्तावित किया है।

**4.4.7.2 नगर उद्यान**

शहर में वर्तमान में एक नगरीय उद्यान (कम्पनी गार्डन) स्थित हैं। इसके अतिरिक्त एक नगर उद्यान के लिये निम्नलिखित प्रस्ताव दिए गए हैं :-

1. ग्राम सिवनी खास में दल सागर के पीछे ।
2. ग्राम लखनवाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग से लगकर ।
3. ग्राम डूंडा सिवनी में रेलवे लाइन के समीप बालाघाट मार्ग पर ।
4. ग्राम डूंडा सिवनी में प्रस्तावित पर्यावरण वानिकी के समीप ।
5. ग्राम मरझोर में नागरपुर मार्ग के समीप ।
6. ग्राम सीरदीवान में बी.जे.पी कार्यालय के समीप ।
7. ग्राम डोरली छतरपुर में प्रस्तावित पर्यावरण वानिकी से संस्पर्शी ।

#### 4.4.7.3 मेला मैदान

ग्राम लखनवाड़ा में वैनगंगा नदी के किनारे मेला मैदान/प्रदर्शनी स्थल हेतु प्रस्ताव दिये गए हैं।

#### 4.4.7.4 स्टेडियम तथा खेल परिसर

वर्तमान में सिवनी नगर में पुलिस लाइन में सूखा तलाब के समीप एक स्टेडियम एवं बुधवारी तालाब के समीप एक हॉकी स्टेडियम, कुल दो स्टेडियम विद्यमान हैं। इसमें स्थानीय स्तर की खेल गतिविधियां आयोजित की जाती रही हैं। यह स्टेडियम नगर की 2035 तक की खेलकूद आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त नहीं है। इस कारण एक स्टेडियम का विकास हाउसिंग बोर्ड के बायपास से लगकर ग्राम बिटली में किया जाना प्रस्तावित है।

#### 4.4.8 यातायात एवं परिवहन

भविष्य की जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने और निवेश क्षेत्र के भीतर निरन्तरता बढ़ाने, नई सड़कों का निर्माण तथा वर्तमान सड़कों को चौड़ा करने का प्रस्ताव है। सिवनी निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 514.65 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 13.09 प्रतिशत है।

##### 4.4.8.1 बरा स्थानक

वर्तमान में निजी बस स्थानक हेतु पर्याप्त स्थान है, किन्तु शासकीय बस स्थानक हेतु भविष्य की भावी जनसंख्या वृद्धि एवं यातायात दबाव की दृष्टि से स्थान पर्याप्त नहीं है, अतः वर्तमान बस स्टेण्ड से लगे हुए बस डिपो के क्षेत्र को अकार्यक्षम भू-उपयोग की श्रेणी में रखते हुए उक्त सम्पूर्ण स्थान को बस स्टेण्ड के रूप में विकसित किया जाकर बस डिपो हेतु ग्राम पलारी बायपास मार्ग पर बस डिपो हेतु 5 हेक्टेयर भूमि का प्रावधान किया गया है।

##### 4.4.8.2 पिकअप स्टेशन

1. मण्डला मार्ग एवं वर्तमान बायापास मार्ग संगम पर।
2. ग्राम खैरी में स्वर्णम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर।

##### 4.4.8.3 ट्रक स्थानक

वर्तमान में नगर में ट्रक स्थानक की कोई व्यवस्था नहीं है, विकास योजना में ट्रक स्थानक हेतु राज्य राजमार्ग क्रमांक 19 सिवनी-बालाघाट मार्ग व वर्तमान बायपास के मध्य ग्राम पलारी में लगभग 20 हेक्टेयर भूमि यातायात नगर हेतु प्रस्तावित की गई है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## 4.5 निवेश इकाईयाँ

सिवनी निवेश क्षेत्र को 2 निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया है। विकास योजना में इन निवेश इकाईयों को आधार मानकर प्रस्ताव दिये गये हैं। ये निवेश इकाईयाँ वाणिज्यिक, आवासीय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आमोद-प्रमोद की दृष्टि से आत्मनिर्भर होगी। निवेश इकाई निर्धारण में जनसंख्या एवं मानव निर्मित सीमाओं को आधार माना गया है। प्रत्येक निवेश इकाई को मुख्य कार्यकेन्द्र एवं यातायात संरचना से युक्तियुक्त रूप से जोड़ा गया है, ताकि ये इकाईयाँ सर्व-सुविधाओं के साथ आत्म निर्भर हो सकें।

## 4.5.1 क्षेत्रफल वितरण

विकास योजना 2035 के प्रस्तावों में सिवनी निवेश क्षेत्र को 2 स्वसक्षम निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया है। नागपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को निवेश इकाई सीमा माना गया है। इस मार्ग से निवेश क्षेत्र सीमा तक का पूर्व भाग, निवेश इकाई क्रमांक-1, तथा मार्ग की पश्चिम दिशा का निवेश क्षेत्र की सीमा तक का भाग निवेश इकाई क्रमांक-2 के अंतर्गत लिया गया है। निवेश इकाईवार क्षेत्र का विभाजन सारणी 4.2 में दर्शित है:

सारणी 4.2 निवेश इकाईयों का विवरण

क्रमांक	निवेश इकाई	कूल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1	निवेश इकाई क्रमांक-1	4880.07
2	निवेश इकाई क्रमांक-2	3817.99
	योग	8698.06

- निवेश इकाई क्रमांक -1

इस निवेश इकाई में नागपुर-जबलपुर पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 से निवेश क्षेत्र सीमा तक पूर्व भाग सम्मिलित है। इस इकाई में 4480.07 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है।

- निवेश इकाई क्रमांक -2

इस निवेश इकाई में नागपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से निवेश क्षेत्र सीमा तक पश्चिम भाग सम्मिलित है। इस इकाई में 3817.99 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है।

निवेश इकाईवार वर्तमान एवं प्रस्तावित उपयोग का वर्गीकरण सारणी 4.3 में दर्शाया गया है।



## सारणी 4.3 निवेश इकाईवार भूमि क्षेत्रफल

निवेश इकाई	प्रस्तावित (हेक्टेयर में)	कृषि एवं अन्य भूमि	निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	4	5	6
1	2172.25	2707.82	4880.07
2	1475.98	2342.01	3817.99
<b>कुल</b>	<b>3648.23</b>	<b>5049.83</b>	<b>8698.06</b>

## 4.6 अनौपचारिक सेक्टर

बेरोजगार एवं सीमित रूप से रोजगार से जुड़े कर्मी जो रोजगार की तलाश में हैं अथवा आर्थिक उन्नति के लिये आशान्वित है, अनौपचारिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये वर्ग शहर की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा आवासीय क्षेत्र के लिये सेवा जनसंख्या के रूप में भी कार्य करते हैं।

अनौपचारिक गतिविधियां मुख्य रूप से कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर, यातायात केन्द्रों एवं बड़े आवासीय समूहों के आस-पास स्थापित हो जाती है। चूंकि आर्थिक गतिविधियों में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिये औपचारिक वर्ग के साथ-साथ अनौपचारिक गतिविधियों के लिये भी विकास योजना में प्रस्ताव रखे गये हैं।

**अनौपचारिक गतिविधि क्षेत्रों की योजना, व्यापार एवं विभिन्न प्रकार के उपयोग परिक्षेत्र के नियंत्रित विकास में समाहित एवं सम्मिलित कर निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित है:-**

- सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फुटकर दुकानों का प्रावधान करना जैसे - नगर केन्द्र खण्ड स्तरीय दुकानें व सुविधा दुकान क्षेत्र।
- थोक व्यापार एवं यातायात नगर क्षेत्र में सेवा प्रदान करना।
- संस्थागत क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद, औद्योगिक क्षेत्रों एवं अवसान केन्द्रों पर खाद्य सेवा प्रदान करने वाली सेवा दुकानें उपलब्ध कराना।
- आवासीय क्षेत्रों के निकट सेवा दुकानें।
- निर्माण स्थलों के समीप अस्थाई रहवास की व्यवस्था करना।

**अनौपचारिक सेक्टर को नियोजित आवासीय विकास क्षेत्र में निम्नानुसार समाहित किया जाना प्रस्तावित है:-**

## सिवनी विकास योजना | 2035

- परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय अनौपचारिक सेक्टर के लिये प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु भूमि सुरक्षित रखना।
- अभिन्यास स्वीकृति के समय अनौपचारिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रावधान भी समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है।
- अनौपचारिक सेक्टर इकाई का विकास क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जावे।

## 4.7 गंदी बस्ती क्षेत्र

सिवनी नगरीय क्षेत्र में गंदी बस्तियां हैं। गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु यह आवश्यक है कि इनकी रोकथाम, विकास, निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम चलाया जावे। इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना प्रस्तावित है।

1. भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन एवं परिक्षेत्रिक नियमों का निर्धारण एवं उनका पालन।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि का निश्चित समय सीमा में उसी वर्ग के लिये विकास।
3. गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु सावधानीपूर्वक सुविधाओं का विकास।
4. जिन गंदी बस्ती क्षेत्रों को वर्तमान स्थान पर पर्यावरण सुधार कर रखा जाना संभव नहीं हो, उनको स्थानांतरित कर नवीन स्थल पर पुनर्स्थापना करना।

## 4.8 पुनर्विकास नीति

शहर की विकास प्रक्रिया के कारण कुछ वर्तमान निर्मित क्षेत्र शहरी विकास की दृष्टि से केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जिससे इनका भू-मूल्य अधिक हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों को पुनर्विकास क्षेत्र के रूप में चयनित किया जावेगा। ऐसे क्षेत्रों की विकास नीति निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा संचालित की जावेगी :-

1. उच्च मूल्य वाली अकार्यक्षम भू-उपयोग अंतर्गत भूमि/क्षेत्र जिस भूमि का अन्य सक्षम उपयोग हेतु मांग अधिक है, उन्हें पुनर्घनत्वीकरण/पुनर्विकास क्षेत्रों के रूप में चयनित किया जावे।
2. पुनर्विकास परियोजना को विशेष परियोजना के रूप में माना जावेगा। इन परियोजनाओं का रूपांकन, नगरीय रूपांकन के दृष्टिकोण के आधार पर करने के पश्चात निवेश प्रस्ताव तैयार किये जावेंगे।
3. उपयोग एवं गतिविधियों का निर्धारण, निष्पादन स्तर एवं अनुकूलता स्तर जिन्हें आसपास के उपयोग द्वारा प्रभावित किया गया है, निर्धारित होगा जिसकी परियोजना को परिक्षेत्र की योजना के रूप में तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

4. स्वीकार्य विकास का घनत्व उपयोगिता एवं अधोसंरचना का यातायात दबाव की वाहन क्षमता और इसका समीकरण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा निर्धारित होगा।

यदि मध्य क्षेत्र में उन्नत पर्यावरण एवं यातायात सुधार की दृष्टि से पुनर्विकास योजना तैयार की जाती है तो उस स्थिति में फर्शी क्षेत्र अनुपात उस क्षेत्र हेतु निर्धारित फर्शी क्षेत्र अनुपात से 0.25 अधिक मान्य किया जा सकेगा।

भू-स्वामी अपने भूखण्ड में से कुछ भूखण्डीय क्षेत्र सार्वजनिक उपयोग जैसे-सड़क, फुटपाथ, पार्किंग इत्यादि हेतु छोड़ता है तो उसे शेष भूखण्ड में सामान्य स्वीकार्य एफ.ए. आर. एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी जाकर स्थानीय संस्था को समर्पित किये गये भूखण्ड क्षेत्र की भूमि को दो गुना तक फर्शी क्षेत्र अनुपात में जोड़ा जा सकेगा।

### 4.9 ग्राम आबादी विस्तार

सिवनी निर्वेश क्षेत्र में स्थित ग्राम आबादी जो विकास योजना के कृषि क्षेत्र में स्थित है, उनका विस्तार (जिसमें सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना का विकास भी सम्मिलित है) वर्तमान ग्राम आबादी क्षेत्र के आसपास, वर्तमान ग्राम आबादी से 200 मीटर की परिधि में सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा से किया जा सकेगा।

### 4.10 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

कमजोर आय वर्ग के लिए प्रत्येक आवासीय कालोनी में छोटे भूखण्डों का प्रावधान किया जाता है। यह वर्ग प्रायः रोजगार अस्थायी ठेला, गुमटी आदि की स्थापना के माध्यम से प्राप्त करता है। अतः कमजोर आय वर्ग के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में उल्लेखित प्रावधान तथा शासन द्वारा समय-समय पर इन वर्गों के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया प्रावधान स्वीकार्य होगा।

### 4.11 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

विभिन्न गतिविधियों की पुनर्स्थापना से रिक्त हुए स्थल के उपयोग के प्रस्ताव निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 4.4 असंगत भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

क्र.	असंगत भूमि उपयोग	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	4	5
1.	थोक, सब्जी मण्डी	पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 पर ग्राम खैरी में शासकीय भूमि	मार्ग चौड़ीकरण, पार्किंग एवं वाणिज्यिक (आवासीय खैरी ग्राम में)
2.	फुटकर सब्जी बाजार	पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 पर ग्राम खैरी में शासकीय भूमि	मार्ग चौड़ीकरण, पार्किंग एवं वाणिज्यिक (आवासीय खैरी ग्राम में)
3.	ओल्ड डिस्टिलरी	-	म.प्र.गृह नि.म. द्वारा पुर्न-घनत्वियकरण योजना के अन्तर्गत कार्यालय/आवासीय
4.	डिस्टिलरी	नवीन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में	यातायात एवं परिवहन
5.	मछली बाजार	कटंगी मार्ग पर नाले के पास	मार्ग चौड़ीकरण, यातायात एवं परिवहन
6.	घास बाजार	ग्राम बोरदई में	मार्ग चौड़ीकरण, यातायात एवं परिवहन
7.	पशुवध गृह/मटन मार्केट	स्थानीय प्रशासन द्वारा चयन अनुसार	मार्ग चौड़ीकरण, यातायात एवं परिवहन
8.	शीतगृह डीमर मोहल्ला	प्रस्तावित यातायात नगर	आवासीय
9.	गैस गोदाम (लुघरवाड़ा)	वर्तमान बायपास के बाहर कृषि भूमि पर	पर्यावरण वानिकी
10.	बाल सम्प्रेक्षण गृह	नवीन जेल के पास ग्राम नगझर में	आडीटोरियम एवं नगर उद्यान
11.	लोहा बाजार	प्रस्तावित यातायात नगर	मार्ग चौड़ीकरण
12.	पेट्रोल पम्प 1. बस स्टेण्ड के पास 2. दलसागर के सामने	वर्तमान बायपास पर	मार्ग चौड़ीकरण, यातायात एवं परिवहन
13.	महावीर एवं अशोक छविगृह	प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में	वाणिज्यिक, यातायात एवं परिवहन
14.	बस डिपो	लुघरवाड़ा	बस स्टेण्ड का विस्तार

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र.	असंगत भूमि उपयोग	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर प्रस्तावित भूमि उपयोग
1	2	4	5
15.	बुधवारी तालाब के तट पर दुकानें	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र	पर्यावरण वानिकी एवं तालाब किनारे वृक्षारोपण

**4.11.1 कार्यकेन्द्र ।**

वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा प्रशासनिक गतिविधियां, नगर की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। यह गतिविधियां यातायात के मुख्य उदित केन्द्र होने से इनका नियोजन इस प्रकार किया गया है कि जिससे आवासीय क्षेत्र से इनके मध्य न्यूनतम यात्रा समय द्वारा सुविधाजनक सुरक्षित एवं तीव्र गति द्वारा पहुँच सुनिश्चित हो सके।

**4.11.2 व्यापार एवं वाणिज्यिक**

वाणिज्यिक गतिविधि केन्द्रों का वर्गीकरण नगर एवं निवेश इकाई स्तर पर किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रमुख चयनित मार्गों को गतिविधि कोरीडोर के रूप में चिह्नित किया गया है। इनमें आवासीय उपयोग के साथ-साथ स्थल विशेष एवं भविष्य की आवश्यकता अनुसार अन्य व्यवसायिक गतिविधियाँ जैसे-शैक्षणिक, संस्थागत, वाणिज्यिक एवं सेवा उद्योग आदि स्वीकार्य होंगी।

**4.11.3 नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र**

नगर स्तर की वाणिज्यिक गतिविधियां वर्तमान में मध्य क्षेत्र एवं उससे संलग्न क्षेत्र में केन्द्रित हैं। मध्य क्षेत्र में भीड़-भाड़ के कारण नगर स्तर की गतिविधियां नवीन नगरीय/उपनगरीय केन्द्रों एवं सामुदायिक केन्द्रों में प्रस्तावित की गई है।

**4.11.4 कार्यालय**

कुछ जिला स्तरीय एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय वर्तमान में सघन बहु आयामी विकसित क्षेत्र में कार्यरत है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में यातायात पार्किंग आदि समस्याएँ पैदा होती है। अतः इन कार्यालयों को स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है।



## अध्याय-5 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना

### 5.1 प्रस्तावित यातायात संरचना

सिवनी नगर स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 पर स्थित होने के कारण यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही नगर के मध्य से छिन्दवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 69ए एवं बालाघाट मंडला राजमार्ग गुजरने के कारण सड़क मार्ग से भी प्रदेश तथा देश के अन्य प्रमुख मार्गों से जुड़ा है, जिससे यात्री यातायात तथा माल यातायात आदि की सुविधा उपलब्ध है। सुगम यातायात हेतु, क्षेत्रीय मार्गों तथा अन्तर नगरीय मार्गों के तंत्र में सुधार आवश्यक है। सिवनी नगर की यातायात संरचना निम्न पहलुओं के आधार पर प्रस्तावित की गई है

- दक्ष एवं बहु आयामी परिवहन प्रणाली की व्यवस्था।
- मंदगति वाहनों के सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं विकास।
- मुख्य गतिविधि केन्द्रों एवं आबादी क्षेत्र के बीच सुविधाजनक एवं सुरक्षित पहुंच मार्ग का प्रावधान।
- मुख्य गतिविधि केन्द्रों जैसे-यातायात, वाणिज्यिक, शैक्षणिक एवं मुख्य कार्य केन्द्रों में पादचारी मार्गों का प्रावधान।
- समस्याग्रस्त क्षेत्रों के यातायात तंत्र में सुधार।
- मुख्य मार्गों पर सीधे पहुंच को नियोजित करना जो मुख्य मार्ग गतिविधि क्षेत्र से होकर जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों को पृथक से मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु अतिरिक्त पहुंच मार्गों का प्रावधान।
- मिश्रित यातायात के अनुरूप सुसंगठित मार्गसंरचना,
- क्षेत्रीय एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण,
- वर्तमान नगर तथा प्रस्तावित क्षेत्र के मध्य सुगम मार्ग संरचना,
- आवश्यकता अनुसार चौराहों एवं तिराहों का विकास,
- सुगम यातायात हेतु ओव्हर ब्रिज एवं समतल पारण का प्रावधान

### 5.2 यातायात की वर्तमान स्थिति

वर्तमान परिवहन व्यवस्था के अध्ययन से ज्ञात होता है कि, नगर में वाहनों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। नगर में मोटर साईकल, स्कूटर, साईकल, कार, ऑटोरिक्शा आदि यातायात के प्रमुख साधन हैं। तीव्र गति एवं मंदगति वाहनों द्वारा नगरीय मार्गों का मिश्रित उपयोग करना सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के लिये समस्या है। अतः यातायात

## सिवनी विकास योजना | 2035

प्रबंधन के लिये नीति तैयार करने की आवश्यकता है। नगर में जनसामान्य द्वारा यातायात के साधन के रूप में साईकल, स्कूटर, मोटर साईकल आदि का उपयोग किया जाता है।

### 5.3 प्रस्तावित यातायात प्रणाली

कार्यान्वयन मार्गानुक्रम के अनुसार मार्गों का वर्गीकरण किया गया है। ऐसा करते समय निर्धारित विविध गतिविधियों का आपस में तथा आवासीय क्षेत्रों से सहसंबंध का ध्यान रखा गया है। नगर में विभिन्न प्रकार के मार्गों का अनुक्रम निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

1. क्षेत्रीय मार्ग
2. वृत्तीय मार्ग
3. बायपास मार्ग
4. मुख्य मार्ग
5. खण्ड स्तरीय मार्ग
6. उपखण्डस्तरीय मार्ग
7. स्थानीय मार्ग
8. पादचारी मार्ग

वर्तमान में छिन्दवाड़ा, नागपुर, जबलपुर, बालाघाट, मडला आदि मार्ग नगर के बाहर से परिवर्तित किए गये हैं जिसका विकास हो चुका है। विकास योजना 2035 के प्रस्तावों को तैयार करते समय विकास योजना 2021 में प्रस्तावित यातायात संरचना को ध्यान में रखा जाकर, नगर के विभिन्न मार्गों एवं कार्यस्थलों को जोड़ने हेतु मार्ग प्रस्तावित किये गये हैं।

#### 5.3.1 क्षेत्रीय/बायपास मार्ग

सिवनी नगर के बाहर स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 एवं छिन्दवाड़ा मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 69 ए तथा बालाघाट-मंडला राजमार्ग गुजरते हैं। नगर के मध्य से क्षेत्रीय मार्ग कटंगी एवं अमरवाड़ा गुजरते हैं। यह मार्ग नगर के मध्य से गुजरने के कारण यातायात का अधिक दबाव रहता है। इन मार्गों का यातायात कम करने के लिये वर्तमान बायपास मार्ग उपलब्ध है। इन मार्गों से आनेवाला यातायात का आवागमन, नगर के बाहर से सुगम हो सकेगा।

नगर में स्थित वर्तमान बायपास जिसे म.प्र.गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित किया गया है, नगर की पूर्व दिशा की ओर से गुजरता है, जिसकी चौड़ाई 50 मीटर है। मार्ग चौड़ाई के अन्तर्गत बायपास का रूपांकन में सर्विस लेन के साथ 3-3 मीटर मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण (ग्रीन वर्ज) प्रस्तावित है तथा उक्त मार्ग जबलपुर से नागपुर पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 को जोड़ता है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

**5.3.2 मुख्य नगरीय मार्ग**

यह मार्ग मुख्यतः नगर के सम्पूर्ण यातायात प्रवाह को वहन करने के साथ नगर के विभिन्न कार्य केन्द्रों, गतिविधि केन्द्रों तथा आमोद-प्रमोद के स्थानों को जोड़ते हैं। संभावित यातायात बाहुल्य को ध्यान में रखते हुए 18, 24, 36 एवं 42 मीटर चौड़ाई की मार्ग संरचना प्रस्तावित की गई है। विकास योजना 2021 में कुल 10 मुख्य मार्ग प्रस्तावित किये गये थे, इनमें से एक भी मार्ग का विकास नहीं हुआ है। इन मार्गों को युक्ति-युक्त रूप से पुनः प्रस्तावित करते हुए, विकास योजना 2035 के लिये नये मार्गों का समावेश करते हुए प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 18, 24, 36 मीटर प्रस्तावित है।

**5.3.3 खण्ड स्तरीय मार्ग एवं उपखण्ड स्तरीय मार्ग**

यह मार्ग वृत्त खण्ड स्तर के यातायात हेतु तथा मुख्य मार्ग से दूसरे मुख्य मार्ग को जोड़ने हेतु प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 18.0 मीटर प्रस्तावित की गई है तथा उपखण्ड मार्ग खण्ड मार्ग को जोड़ने हेतु प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 12.0 मीटर प्रस्तावित है।

**5.3.4 स्थानीय मार्ग**

समीपस्थ आवासीय क्षेत्र में आवागमन हेतु स्थानीय मार्ग श्रृंखला प्रस्तावित है, इसकी संरचना के मानक विकास नियमन में निर्धारित है। आवासीय क्षेत्रों में इन मार्गों की चौड़ाई 7.5 से 12.0 मीटर तक, स्थल पर उपलब्धता अनुसार प्रस्तावित की जावेगी।

**5.4 मार्गों की चौड़ाई**


विकास योजना में प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई को प्रस्तावित किया गया है। जिसे सारणी में दर्शाया गया है।


**सारणी 5.1 प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई**

क्रमांक	मार्ग का नाम	विकास योजना-2021 में प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में	पुनर्विलोकन उपरांत प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग		
(अ)	रा.रा.मार्ग क्र. 69 ए (सिवनी से छिन्दवाड़ा) नगर पालिका सीमा में	24	24
(ब)	रा.रा.मार्ग क्र. 69 ए (सिवनी से छिन्दवाड़ा) शेष भाग	36	राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा निर्धारित

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्रमांक	मार्ग का नाम	विकास योजना-2021 में प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में	पुनर्विलोकन उपरांत प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में
1	2	3	4
2.	राज्य राजमार्ग		
(अ)	राज्य राजमार्ग क्रमांक 26 (नगर पालिका सीमा में)	24	24
(ब)	राज्य राजमार्ग क्रमांक 26 (शेष भाग)	36	36
(स)	राज्य राजमार्ग क्रमांक 12 (नगर पालिका सीमा में)	24	24
(द)	राज्य राजमार्ग क्रमांक 12 (शेष भाग)	36	36
(इ)	राज्य राजमार्ग क्रमांक 54 (रेलवे क्रासिंग से बायपास तक)	24	24
(फ)	राज्य राजमार्ग क्रमांक 54 (शेष भाग)	36	36
3.	मुख्य मार्ग (Major Road)		
(अ)	एम.आर. क्र. 1 (नागपुर रोड बायपास मार्ग संगम से ग्राम लुघरवाड़ा जबलपुर मार्ग तक)	30	30
4.	वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग (Sector Road)		
(अ)	वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 1 (ग्राम लुघरवाड़ा जबलपुर रोड से बबरिया मार्ग तक)	24	24
(ब)	वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 2 (ग्राम लुघरवाड़ा एम. आर. 1 से बालाघाट मार्ग पर रेलवे क्रासिंग तक)	24	24
5.	उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग (Sub-Sector Road)	18	18
(अ)	उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 1 (एम. आर. 1 से जबलपुर मार्ग तक)	18	18
(ब)	उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 2 (एस. आर. 2 से बालाघाट मार्ग पलारी की सीमा तक)	—	18
(स)	उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 3 (बालाघाट मार्ग से मंडला मार्ग तक)	—	18
(द)	उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 4 (कटंगी मार्ग से वर्तमान बायपास तक)	18	18
(इ)	उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 5 (जबलपुर मार्ग से वर्तमान बायपास मार्ग तक)	18	18





## सिवनी विकास योजना | 2036

क्रमांक	मार्ग का नाम	विकास योजना-2021 में प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में	पुनर्विलोकन उपरांत प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में
1	2	3	4
(अ)	उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 6 (उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग क्र. 5 से वर्तमान बायपास तक)	—	18
7.	स्थानीय मार्ग	—	12
8.	ग्रामीण पहुँच मार्ग	—	18
9.	प्रधानमंत्री सड़क मार्ग	—	24

प्रमुख नगरीय मार्गों की वर्तमान एवं प्रस्तावित चौड़ाई निम्न सारणी में दर्शायी गयी है  
सारणी 5.2 वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

क्र.	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
(अ)	<b>वाणिज्यिक मार्ग</b>		
1	*नगर पालिका चौक से काली चौक तक (नेहरूमार्ग)	8	12
2	*गणेश चौक से शुक्रवारी चौक	8	12
3	*शुक्रवारी चौक से कटंगी नाका रेल्वे क्रॉसिंग तक	10	12
4	छिन्दवाड़ा चौक से कटंगी मार्ग (मठ मंदिर मार्ग) रेल्वे क्रॉसिंग तक	14	18
5	*मठ चौक से बुधवारी तक (आजाद मार्ग)	6	12
6	दलसागर के पास से काली चौक तक	8	12
7	*महारानी लक्ष्मी बाई चौक से झूंडा सिवनी तिराहा तक	16	24
8	*छिन्दवाड़ा चौक से छिन्दवाड़ा मार्ग रेल्वे क्रॉसिंग तक	23	24
(ब)	<b>अन्य मार्ग</b>		
1	बाहुबलि चौक से अम्बेडकर चौक तक (सिंधिया मार्ग)	16	18
2	*बाहुबलि चौक से बबरिया मार्ग नगर पालिका सीमा तक	16	18
3	पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 से स्टेट बैंक तक	17	18
4	बाहुबलि चौक से पालिटेक्निक तक	16	18

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र.	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
5	पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 से जिला उद्योग केन्द्र से होते हुए बीझावाड़ा मार्ग नगर पालिका सीमा तक	17	18
6	जिला उद्योग केन्द्र से बाबरिया मार्ग तक	22	24
7	डुड़ासिवनी तिराहे से बायपास मार्ग तक (मण्डला मार्ग)	22	24
8	बरघाट नाका से नगर पालिका सीमा तक	23	24
9	गांधी चौक से भैरोगंज चौक तक	17	18
10	भैरोगंज चौक से स्टेडियम तक	9	12
11	भैरोगंज चौक से मुगंवानी मार्ग (नगर पालिका सीमा तक)	13	18
12	मुगंवानी मार्ग (शेष भाग)	30	36
13	भैरोगंज चौक से परतापुर मार्ग (नगर पालिका सीमा तक)	10	12
14	परतापुर मार्ग (शेष भाग)	20	24
15	भैरोगंज चौक से बस स्टेण्ड तक (दल सागर मार्ग)	13	15
16	धर्मशाला चौक से हजरी गोदाम तक	7	12
17	छिंदवाड़ा मार्ग से मरझोर मार्ग नगर पालिका सीमा तक	9	12
18	*पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7	24-36	45

टीप : \*आवासीय सह वाणिज्यिक मार्ग।

जहां मार्गों की चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध है वहां वर्तमान चौड़ाई यथावत रखी जावेगी। सिवनी विकास योजना में दिये गये प्रस्ताव एवं निवेश क्षेत्र के निहित ग्रामों को परस्पर जोड़ने वाले ग्राम मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई न्यूनतम 18.00 मीटर निर्धारित की जाकर उससे संलग्न क्षेत्रों पर विकास की अनुमति दी जावेगी।

#### 5.4.1 मार्ग संगम, तिराहा एवं चौराहा सुधार

नगर में यातायात यांत्रिकी में सुधार की बहुत संभावना है, जिससे वर्तमान मार्गों की यातायात संवहन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यह क्षमता बढ़ाने हेतु मार्ग को चौड़ा करना तथा संबंधित प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 5.3 मार्ग संगमों का सुधार

1. गणेश चौक	2. छिन्दवाड़ा चौक
3. काली चौक	4. महारानी लक्ष्मीबाई चौक
5. शुक्रवारी चौक	6. मण्डला (डूडा सिवनी) तिराहा
7. बाहुबली चौक	8. स्टेशन तिराहा
9. नगरपालिका तिराहा	10. कचहरी चौक

## 5.4.2 बस स्थानक

वर्तमान में निजी बस स्थानक हेतु पर्याप्त स्थान है, किन्तु शासकीय बस स्थानक हेतु भविष्य की भावी जनसंख्या वृद्धि एवं यातायात दबाव की दृष्टि से स्थान पर्याप्त नहीं हैं। अतः वर्तमान बस स्टेण्ड से लगे हुए बस डिपों के क्षेत्र को असंगत भू-उपयोग की श्रेणी में रखते हुए उक्त सम्पूर्ण स्थान को बस स्टेण्ड के रूप में विकसित किया जाकर बस डिपो हेतु ग्राम पलारी बायपास मार्ग पर बस डिपों हेतु 5 हेक्टेयर भूमि एवं ग्राम खैरी में स्वर्णिम चतुर्भुज से लगकर शासकीय भूमि पर पिकअप स्टेशन का प्रावधान किया गया है।


## 5.4.3 वाहन विराम केंद्र

नगर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर विशेष कर सघन गतिविधि वाले क्षेत्र के समीप, मार्गों के किनारे, वाहन विराम हेतु स्थल नियत करना, मार्गों के प्रभावी यातायात वहन क्षमता को बनाये रखने के लिए बहुत आवश्यक है। अतः सभी मुख्य कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, औद्योगिक केन्द्रों एवं अवसान केन्द्रों के निकट वाहन विराम हेतु स्थान निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

1. बस स्टेण्ड	2. रेल्वे स्टेशन
3. महारानी लक्ष्मीबाई चौक	4. औद्योगिक क्षेत्र ग्राम बाबरिया
5. वैनगंगा कार्यालय के पास	6. दलसागर तालाब के सामने
7. छिन्दवाड़ा चौक	8. कलेक्टर कार्यालय परिसर

इसके अतिरिक्त जीर्ण-शीर्ण आवासीय स्थल, नजूल एवं स्थानीय निकाय की भूमि पर, मार्ग चौड़ीकरण के प्रस्ताव के साथ-साथ वाहन विराम स्थल हेतु स्थान उपलब्ध कराये जा सकते हैं। स्थानीय निकायों को इस संबंध में पहल करना प्रस्तावित है।

सिवनी विकास योजना | 2035



## अध्याय-6 विकास नियमन

### 6.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे :-

- निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास।
- भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तिकरण, संविलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है।
- समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास।
- किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो।
- ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर है, भूमि का विकास, भवनों का निर्माण/परिवर्तन एवं तोड़ना।

### 6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने हेतु सक्षम हैं।
2. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है। यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करना पड़ेगा। ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यदि किसी विवाद/विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा, जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा।
3. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं, तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किए गए हैं। उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल, तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग

## सिवनी विकास योजना | 2035

- के रूप में सम्मिलित हैं। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं।
4. वर्तमान भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाये अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जावेगा।
  5. आस-पास विद्यमान/निर्मित एवं धारा-30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम 1973 की धारा-27, 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग, जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उप-दर्शित नहीं है अथवा उप-दर्शित है, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जावेगी।
  6. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा, स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे।
  7. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होगी।
  8. संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि, यदि विकास योजना प्रकाशन की तिथि पर वैध है तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्यास का व्यापक भूमि उपयोग मान्य किया जावेगा।
  9. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में, राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो।
  10. ऐसे क्षेत्र जहां जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो, उसके लिये आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगा।
  11. विकास अनुज्ञा के लिये प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जायेगा।
  12. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएं, उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होगी। उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रगणित करते हुये एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी।

## सिवनी विकास योजना | 2035

13. नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर/स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये दी जायेगी, परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
14. विकास योजना में नदी, नालों एवं तालाबों के दोनों ओर दर्शाया गया वृक्षारोपण सांकेतिक स्वरूप का है। नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 30 मीटर तक एवं नालों की स्थिति में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम 50(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा, इस भूमि पर मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा।
15. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं। यदि झुग्गी-झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्रोतों के क्षेत्र, आमोद-प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्य होगा।
16. विकास योजना में दर्शाया गया मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह गरीब द्वारा छोटा/बड़ा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई-चौड़ाई नापी जाये, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाये। लंबाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू-उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1:4000 की माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया जाये। विकास योजना में दर्शाित वर्तमान भूमि उपयोग, स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किए जाये तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण/अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।
17. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विकास नियम-परिक्षेत्रिक नियमों की आवश्यकता हो सकती है किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जायेगी।
18. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमायें, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जायेगा।
19. विकास योजना में दर्शाित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे। उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग ही अधिमान्य होंगे।

## सिवनी विकास योजना | 2035

20. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिये गये हैं। नियमनों में यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
21. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर, खसरो के आधार पर ही किया जायेगा।
22. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किये जा सकेंगे।

## 6.3 परिभाषायें

<b>उपयोग परिक्षेत्र</b>	:- मुख्य भू-उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र।
<b>उपयोग परिसर</b>	:- उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो।
<b>अभिन्यास</b>	:- अभिन्यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो।
<b>भूमि उपयोग मानचित्र</b>	:- सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा।
<b>परिक्षेत्रिक योजना</b>	:- निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधित हो।
<b>नगरीय ग्राम</b>	:- भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे।

## सिवनी विकास योजना | 2035

- नगरीय विरासत का क्षेत्र** :- नगरीय विरासत से तात्पर्य है, ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो।
- विकसित क्षेत्र** :- विकसित क्षेत्र से तात्पर्य विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग।
- एकल/संयुक्त परिवार हेतु भूखण्डीय विकास** :- अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखण्डीय विकास से तात्पर्य, परिवार हेतु भूखण्डीय विकास (अभिन्यास) का भूखण्डों में उप-विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार, संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो।
- मिश्रित उपयोग** :- मिश्रित उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है जो कि इस विकास योजना में उल्लेखित किया गया है। इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियां मान्य होंगी।
- ऊँचे भवनों का विकास** :- ऊँचे भवनों का विकास, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (38) सहपाठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगा।
- फर्शी क्षेत्र अनुपात** :- फर्शी क्षेत्र अनुपात से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (30) के अनुसार।
- भवन की ऊँचाई** :- उल्लेखित न हो तो भवन की ऊँचाई से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (9) के अनुसार।
- संवेदनशील क्षेत्र** :- परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय, ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र कहलाएगा। इसके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे।

अन्य परिभाषायें व नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।

#### 6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

निवेश क्षेत्र को निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किये गये हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, का नियंत्रण विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना के भू-उपयोग/प्रस्तावों के अधीन

## सिवनी विकास योजना | 2035

निर्धारित होगा। निर्धारित मुख्य भू-उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, आमोद-प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं, जलाशय एवं कृषि। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6.1 में दिया गया है।

सारणी 6.1 मुख्य उपयोग परिक्षेत्र

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
1	आवासीय	आवासीय	(आर 1)
		भू-तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय	(आर 2)
		मध्यम घनत्व	(आर 3)
		निम्न घनत्व	(आर 4)
2	वाणिज्यिक	शहर केन्द्र	(सी 1)
		उपनगर केन्द्र	(सी 2)
		सामुदायिक केन्द्र	(सी 3)
		स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र	(सी 4)
		सुविधा व्यावसायिक केन्द्र	(सी 5)
		मण्डी	(सी 6)
		वर्गीकृत बाजार	(सी 7)
3	औद्योगिक	सेवा उद्योग	(आई 1)
		सामान्य उद्योग	(आई 2)
		विशेष उद्योग	(आई 3)
4	मनोरंजन	उद्यान	(जी 1)
		हरित क्षेत्र या उपरोक्त वर्णित क्षेत्र	(जी 2)
		क्षेत्रीय उद्यान (प्राणिशास्त्र या वनस्पतिशास्त्र उद्यान)	(जी 3)
		प्राकृतिक क्षेत्रों या भू-दृश्य क्षेत्रोंका संरक्षण	(जी 4)
		खेल मैदान	(जी 5)
		स्टेडियम	(जी 6)
		झील के सामने का विकास	(जी 7)
		प्रदर्शनी मैदान	(जी 8)
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों/शिक्षा और अनुसंधान/स्वास्थ्य/सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियां	(पी)

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
6	विशेष प्रयोजन	पर्यटन प्रबर्धन परिक्षेत्र	(एस पी 1)
		संरक्षित परिक्षेत्र	(एस पी 2)
		शुष्क पत्तन या कंटेनर डिपो	(एस पी 3)
		तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो	(एस पी 4)
		भवन निर्माण सामग्री यार्ड	(एस पी 5)
		प्रदूषणकारी उद्योग	(एस पी 6)
		सेज (एस.ई.जेड)	(एस पी 7)
		खनन क्षेत्र	(एस पी 8)
		आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य	(एस पी 9)
		अन्य	(एस पी 10)
7	परिवहन	बस स्टैण्ड या टर्मिनस	(टी 1)
		बस पिकअप स्टेशन	(टी 2)
		सड़कें	(टी 3)
		रेल्वे स्टेशन	(टी 4)
		रेल्वे लाइन	(टी 5)
		बस डिपो	(टी 6)
		ट्रांसपोर्ट नगर	(टी 7)
		हैलीपेड / हवाई अड्डा	(टी 8)
		मेट्रो रेल स्टेशन	(टी 9)
8	सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं	जल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 1)
		मल शोधन संयंत्र / आक्सीकरण ताल	(पीयूएफ 2)
		विद्युत सब स्टेशन	(पीयूएफ 3)
		ट्रेडिंग ग्राउण्ड	(पीयूएफ 4)
		ट्रंकलाइन कॉरीडोर, जल / मल / अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइनें / गैस या तेल पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएं	(पीयूएफ 5)
		रेडियो / टी.वी. स्टेशन	(पीयूएफ 6)
		दूरसंचार केन्द्र	(पीयूएफ 7)
		अग्नि नियंत्रण स्टेशन	(पीयूएफ 8)
		ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र / अपघटन संयंत्र	(पीयूएफ 9)
जल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 1)		

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
		जल-मल शोधन संयंत्र विद्युत सब स्टेशन ट्रेचिंग ग्राउण्ड ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र / अपघटन संयंत्र कब्रिस्तान / शमशान घाट	(पीयूएफ 2) (पीयूएफ 3) (पीयूएफ 4) (पीयूएफ 9) (पीयूएफ 10)
9	जल निकाय	नदियां झील / तालाब / जलाशय नाला / नहर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	(डब्ल्यू 1) (डब्ल्यू 2) (डब्ल्यू 3) (डब्ल्यू 4)
10	कृषि	कृषि भूमि ग्राम आबादी विस्तार	(ए 1) (ए 2)

टीप :- उपरोक्त सारणी में भूमि विकास नियम, 2012 में दर्शित समस्त भू-उपयोग परिक्षेत्र एवं उप-परिक्षेत्र वर्णित हैं, जिनमें से सिवनी नगर की आवश्यकता के अनुसार लिये गये हैं।

#### 6.4.1 आवासीय

##### 6.4.1.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे। आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6.2 में दिए गए हैं।

1. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है। इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित है। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें, जल प्रदाय, जल-मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे।
2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1:1.5 से 1:3 होना चाहिए, किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जायेगा।
3. भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू-तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई

## सिवनी विकास योजना | 2035

सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है एवं सारणी में दर्शाये भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है।

4. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तों) नियम, 1998 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप निम्न आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किये जाएँगे।
5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट-अ) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः निम्न आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये।
6. पहुँच मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई से दोगुनी गहराई तक मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे मिश्रित उपयोग भवनों के पुनर्निमाण में भी अनुज्ञात किए जा सकेंगे।

## सारणी 6.2 आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. मी.)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) न्यूनतम	विकास का प्रकार	नू-आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में	अधिकतम फर्शों क्षेत्र अनुपात	एम.ओ.एस्त. (मी.) में				भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी.में)	अधिकतम उंचाई (मी.में)	एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय इकाइयाँ
						अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू			
1	4.0X8.0	32	पंक्ति	60	1.25	3.00	0.0	0.0	0.0	7.5	9.5	2
2	4.0X12.0	48	पंक्ति	60	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9.5	2
3	5.0X15.0	75	पंक्ति	60	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9.5	2
4	7.0X15.0	105	पंक्ति	50	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9.5	2
5	9.0X15.0	135	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.00	1.5	2.5	0.0	7.5	12.5	3
6	11.10X18.0	200	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.00	2.5	2.5	0.0	9.0	12.5	4
7	12.0X18.0	216	अर्धपृथक्कृत	42	1.25	3.5	2.5	3.0	0.0	9.0	12.5	4
8	12.0X24.0	288	पृथक्कृत	40	1.25	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5	4
9	12.0X24.0	360	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	2.5	3.0	3.0	12.0	12.5	5
10	15.0X27.0	405	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5	5
11	18.0X30.0	540	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5	7
12	20.0X30.0	600	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5	7
13	25.0X30.0	750	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7
14	30.0X33.0	990	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7

## सिवनी विकास योजना | 2035

## नोट :-

1. उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की है जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।
2. मिश्रित उपयोग के अंतर्गत ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है, उनमें भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे। (आवासीय इकाई छोड़कर)
3. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है।
4. ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हों, को इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस., आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए। ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जायेगी। किन्तु ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जायेगी।
5. घनत्विय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में 4.8 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जावेगा।
6. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी।
7. झुग्गियों की पुर्नस्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे।
8. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष 12 मीटर से कम चौड़ा मार्ग होने पर केवल 4 आवासीय इकाईयां मान्य होंगी।
9. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार/क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा।

## 6.4.1.2 वर्तमान आवासीय क्षेत्र

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास सारणी 6.3 में दर्शित मापदण्डों से नियंत्रित होगा:

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 6.3 आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

भूखण्ड का क्षेत्र	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3
90 वर्गमीटर से कम	75%	1.25
90 से 180 वर्गमीटर तक	66%	1.00
180 वर्गमीटर से	60%	1.00

टीप: मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाले भूखण्डों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा।

## 6.4.1.3 आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कॉलोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गए हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जाएगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास/निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

## 6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र

## सारणी 6.4 वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

क्र.	भूखण्ड का आकार (मीटर में)	क्षेत्र (वर्गमीटर में)	मार्ग की चौड़ाई (मीटर में)	भवन रेखा (मीटर में मार्ग के मध्य से)	अग्र कॉरीडोर	भू-आच्छादन	फर्शी क्षेत्र अनुपात
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	6.0 X 9.0	54	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
2.	9.0 X 15.0	135	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
3.	9.0 X 15.0	135	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
4.	12.0 X 18.0	216	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
5.	12.0 X 18.0	216	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
6.	18.0 X 30.0	540	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
7.	30.0 X 33.0	990 से अधिक	12 या अधिक	9.0	3.0	40	1.5

## सिवनी विकास योजना | 2035

## टीप :-

- 18 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार फर्शी क्षेत्र अनुपात देय होगा।
  - 18 मीटर तक 1.75
  - 24 मीटर से अधिक 2.0
- यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में लागू होंगे। सारणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांको के मानक लागू होंगे।
- वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जायेगी।
- भवन रेखा मार्गों की चौड़ाई निम्नानुसार निर्धारित की जा सकेगी।

मार्ग चौड़ाई	भवन रेखा (मार्ग मध्य से )
12.0 मीटर	09 मीटर
18.0 मीटर	13.5 मीटर
24.0 मीटर	15.0 मीटर

- अग्र कॉरिडोर की भूमि का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग निषेध होगा।
- वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक सारणी 6.5 में वर्णित हैं।

## सारणी 6.5 वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

क्र.	वर्ग	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3
1.	भूखण्डों का क्षेत्र	अधिकतम 50 प्रतिशत
2.	परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र	अधिकतम 40 प्रतिशत
3.	खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र	न्यूनतम 10 प्रतिशत (8 : 2)
4.	मार्गों की चौड़ाई - बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई - दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिये न्यूनतम चौड़ाई - दुकानों के सामने पदचारी की न्यूनतम चौड़ाई	12 मीटर  18 मीटर 6 मीटर
5.	दुकानों के आकार	मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर
6.	विराम स्थल	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

## सिवनी विकास योजना | 2035

**6.4.2.1 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र**

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक क्षेत्रों में पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

1. मार्गों की चौड़ाई, विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप हो।
2. फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुये फर्शी क्षेत्र निर्धारित होगा।
3. वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर स्थित हो, उस मार्ग की चौड़ाई के 1.5 गुना या 30 मीटर, जो भी कम हो, तक मान्य होगी।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा।

• 25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड	100 प्रतिशत
• 25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड	80 प्रतिशत
• फर्शी क्षेत्र अनुपात	1 : 1.50

**टीप :-**

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जायेगी।
2. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू-खण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू-खण्ड का निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गयी भूमि का दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार्य होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।

**6.4.2.2 वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां**

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतर वाणिज्यिक गतिविधियां मार्गों पर संचालित हैं। अतः इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार निम्न दो श्रेणियों में रखा गया है :-

- (1) वाणिज्यिक मार्ग (सी)
- (2) आवासीय-सह-वाणिज्यिक मार्ग (आर.सी)

इन उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत मार्ग चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात सारणी 6.6 में दर्शाए गए हैं।

## सिवनी विकास योजना | 2035

सारणी 6.6 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात

क्र.	मार्ग का नाम	वर्गीकरण	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4	5	6
1	नगर पालिका चौक से काली चौक तक (नेहरूमार्ग)	सी	8	12	1.50
2	गणेश चौक से शुक्रवारी चौक	सी	8	12	1.50
3	शुक्रवारी चौक से कटंगी नाका रेल्वे क्रॉसिंग तक	सी	10	12	1.50
4	छिन्दवाड़ा चौक से कटंगी मार्ग (मठ मंदिर मार्ग) रेल्वे क्रॉसिंग तक	सी	14	18	1.50
5	मठ चौक से बुधवारी तक (आजाद मार्ग)	सी	6	12	1.50
6	दलसागर के पास से काली चौक तक	सी	8	12	1.50
7	महारानी लक्ष्मी बाई चौक से बरघाट नाका तक	सी	16	24	1.50
8	गणेश चौक से बरघाट नाका तक (पानी की टंकी)	सी	11	12	1.50
9	छिन्दवाड़ा चौक से छिन्दवाड़ा मार्ग रेल्वे क्रॉसिंग तक	सी	23	24	1.50

टीप:- गणेश चौक से प्रारंभ होकर क्रमशः मण्डला, बालाघाट, कटंगी मार्ग पर मार्ग चौड़ाई से दो गुना या अधिकतम 45 मीटर गहराई तक, जो भी कम हो, मिश्रित उपयोग मान्य होंगे।

1. उपरोक्त मार्ग खण्डों के वर्तमान उपयोग के आधार पर कॉलम 3 अनुसार मार्गों का वर्गीकरण किया गया है। अतः निर्धारित मापदण्ड अथवा वाणिज्यिक सह-आवासीय उपयोग अन्तर्गत वर्तमान मार्ग खण्ड के लिये ही लागू होंगे।
2. भू-खण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर या उससे अधिक होने पर कम से कम 4.5 मीटर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम हेतु खुला छोड़ना होगा।
3. वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक-सह-आवासीय मार्गों एवं वाणिज्यिक उपयोग, प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई से दो गुना या 30 मीटर गहराई तक, जो भी कम हो स्वीकार होगा।

## सिवनी विकास योजना | 2035

**निर्मित क्षेत्र :-** वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू-तल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना निम्नानुसार की जायेगी।

क्र.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	भू-तल पर निर्मित क्षेत्र अधिकतम
1	2	3
1.	अधिकतम 200 वर्ग मीटर तक	66 प्रतिशत
2.	200 वर्ग मीटर से अधिक 400 वर्गमीटर तक	60 प्रतिशत
3.	400 वर्गमीटर से अधिक	50 प्रतिशत

#### 6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे।

#### 6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र

##### 6.4.4.1 मिश्रित उपयोग

आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय/गैर वाणिज्यिक/गैर सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियां।

##### 6.4.4.2 मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है। बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है। आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग बढ़ने के कारण वास्तविकता को नियोजन की दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता, सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे। इस हेतु आवासीय परिसरों में मिश्रित उपयोग स्वीकार्य करने हेतु स्पष्ट सिद्धांत एवं प्रक्रिया का निर्धारण आवश्यक है।

##### 6.4.4.3 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय, गैर वाणिज्यिक एवं गैर सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधि किये जाने से है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

2. ऐसे कार्य कलाओं की सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलाओं से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाये रखना आवश्यक है।
3. मिश्रित उपयोग से, अलग-अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आयेगी किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़-भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है। प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा।

## 6.4.4.4 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें

1. मिश्रित उपयोग हेतु विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं भूतल निर्मित क्षेत्र इत्यादि), मिश्रित उपयोग के लिये भी लागू रहेंगे।
2. मिश्रित उपयोग के यह नियमन पूर्व से विकसित क्षेत्र एवं नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगे, तथा पार्किंग हेतु परिसर उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे। विकसित क्षेत्र में पुनर्विकास की दशा में भी मिश्रित उपयोग स्वीकार्य किए जा सकेंगे।
3. 12.0 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर ही गैर-आवासीय गतिविधियां जैसे वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियां मान्य की जा सकेंगी।

## 6.4.5 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन सारणी 6.7 में दर्शाए गए हैं।

## सारणी 6.7 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास मापदण्ड

क्र.	विवरण	अधिकतम अछादन	फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4
1	महाविद्यालय	40 प्रतिशत	1.5
2	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	40 प्रतिशत	1.5
3	प्राथमिक शाला	50 प्रतिशत	1.5
4	पूर्व प्राथमिक शाला	50 प्रतिशत	1.5
5	चिकित्सालय	40 प्रतिशत	1.5
6	स्वास्थ्य केन्द्र	50 प्रतिशत	1.5
7	पुलिस थाना	50 प्रतिशत	1.5
8	अग्निशमन भवन	50 प्रतिशत	1.5
9	सामुदायिक भवन	40 प्रतिशत	1.0
10	शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय कार्यालय	40 प्रतिशत	1.5

## सिवनी विकास योजना | 2035

**टीपः-5** प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन, गैरेज तथा साइकल स्टैण्ड के लिये स्वीकार्य एवं अनिवार्य होगा।

#### 6.4.6 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड

1. शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए संक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 19 के परिशिष्ट-ज में दिए गए अनुसार होगी।
3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया गया है। अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जावे।
4. उस भूमि के लिए जिसमें-कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट-छ: में दिए अनुसार विहित प्रारूप में कोई आवेदन किया जा सकता है।

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड सारणी 6.8 में दर्शाए गए हैं।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 6.8 सामुदायिक सुविधाओं/सेवाओं हेतु नियमन

क्र.	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्र अनुपात	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)	अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)	अन्य तीन ओर (मी. में)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>शैक्षणिक भवन</b>					
	नर्सरी/पूर्व प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.25	12.0	6.0	3.0
	प्राथमिक विद्यालय	33 प्रतिशत	1.25	12.0	7.5	3.5
	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालय	40 प्रतिशत 40 प्रतिशत	1.50 1.50	18.0 24.0	12.0 15.0	5.0 6.0
2	<b>स्वास्थ्य</b>					
	हास्पिटल - 100 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	24.00	15.00	06.00
	हास्पिटल - 30 से 100 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	24.00	15.00	06.00
	हास्पिटल - 0 से 30 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	नेचुरोपैथी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	हेल्थ सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	नर्सिंग होम	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	पालीक्लीनिक	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
	पेट क्लीनिक	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
	ब्लड बैंक/पैथालाजी सेन्टर इत्यादि फिजियोथेरेपी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
3	<b>जनउपयोगिता एवं सेवायें</b>					
	पुलिस चौकी	35 प्रतिशत	1.00	-	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार मान्य होंगे।	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार मान्य होंगे।
	पुलिस स्टेशन आवास गृह सहित	25 प्रतिशत	1.00	12.0		
	सामुदायिक भवन	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	उप अग्निशमन केन्द्र	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	अग्निशमन केन्द्र	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
डाक एवं तार विद्युत सब स्टेशन	35 प्रतिशत -	1.00 -	12.0 -			
4	<b>धार्मिक भवन</b>	30 प्रतिशत	1.00	12.0		
5	<b>शासकीय/अर्द्ध-शासकीय कार्यालय</b>	35 प्रतिशत	1.00	18.0		

**नोट** -उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं उनके भू-आच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.0 से अधिक नहीं होंगे। जो सीमांत खुले क्षेत्र उपरोक्त सारणी में उल्लेखित नहीं हैं, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार रहेंगे, किंतु ऐसी सुविधाएं जिनका पुनर्विकास किया गया है। उनके लिये यहां

## सिवनी विकास योजना | 2035

मापदण्ड लागू न होकर केवल आच्छादित क्षेत्र (कॉलम 3) के अनुसार रहेगी, जिसे आवश्यकतानुसार 10 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाया जा सकता है।

### 6.5 अन्य नियमन

#### 6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे।

#### 6.5.2 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।

#### 6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधायें हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे।

#### 6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए निम्न सारणी में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

सारणी 6.9 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

क्रमांक	विवरण	मानक
1	2	3
1.	फुटपाथ व्यापार - वृत्त खण्ड केन्द्र - उपवृत्त खण्ड केन्द्र - सुलभ शॉपिंग	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
2.	शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय	1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार
3.	थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्प्लेक्स	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
4.	चिकित्सालय	3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर
5.	विद्यालय - प्राथमिक - माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक	3 से 4 इकाई 5 से 6 इकाई

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्रमांक	विवरण	मानक
1	2	3
6.	उद्यान - नगर उद्यान - स्थानीय उद्यान	8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार 2 से 3 इकाई
7.	आवासीय	1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या
8.	बस स्थानक/रेल्वे स्टेशन	परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर निर्भर होगा।

टीप:- प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी।

#### 6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र 18.00 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्वीकार्य होंगे तथा शेष मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3)(चार) के अनुरूप होंगे। ई-वाहन/बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे।

#### 6.5.6 यातायात नगर/मैकेनिक नगर/लॉजिस्टिक हब/निजी बस स्थानक

इस उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी- ट्रक टर्मिनल, मोटर गैरेज, वर्कशॉप, स्पेयर पार्ट्स एवं सुधार की दुकानें रात्रि विश्राम गृह बोर्डिंग/लाजिंग, बैंक, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, बुकिंग ऑफिस, वेयर हाउस एवं अनुषांगिक गतिविधियाँ।

यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन निम्नानुसार हैं:-

1. मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18.00 मीटर से कम नहीं होगी।
2. सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकेगा।
3. यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है। स्थल के आधार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी।

#### 6.5.7 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल

शापिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे। उक्त गतिविधि विकास योजना में दर्शित वाणिज्यिक, मिश्रित एवं आवासीय भू-उपयोग में मान्य होगी। खुला मॉल, कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य होंगे।

## सिवनी विकास योजना | 2035

**6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन**

1. वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई, भू-आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा जोनल प्लान तैयार कर निर्धारित मापदण्डों एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे। जब तक जोनल प्लान लागू नहीं होगा तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे।
2. विकसित क्षेत्रों में पुनर्विकास की अनुमति सीधे स्थानीय निकाय द्वारा दी जावेगी।
3. भवन की ऊँचाई, अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे।

**6.5.9 होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग**

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात	1 : 1.0
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	33 प्रतिशत
अधिकतम ऊँचाई	12.00 मीटर
<b>सीमांत खुला क्षेत्र -</b>	
(अ) सम्मुख	6.0 मीटर
(ब) अन्य तीन ओर	4.50 मीटर
<b>अन्य नियंत्रण -</b>	
भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	12.0 मीटर
पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 प्रावधान अनुसार।	

**6.5.10 मैरिज गार्डन**

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

**6.5.11 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल**

बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि उपयोग में स्वीकार्य होंगे। विकास के नियमन निम्नानुसार होंगे :-

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात	1 : 0.5
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	15 प्रतिशत
न्यूनतम भूखण्ड का अग्रभाग	25.0 मीटर
<b>सीमांत खुला क्षेत्र -</b>	
सम्मुख	6.0 मीटर
अन्य तीन ओर	4.50 मीटर

**अन्य नियंत्रण :-**

- भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर।
- भूखण्ड के सम्मुख 40 प्रतिशत खुला क्षेत्र सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा।
- इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जायेगी।

टीप- शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी।

**6.5.12 शीतकेन्द्र/वेयर हाउस/गोदाम/अन्य भण्डारण**

- भू-खण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल- 1000 वर्गमीटर
- अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात- 1 : 0.40
- अधिकतम निर्मित क्षेत्र- 40 प्रतिशत
- भू-खण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई- 12.0 मीटर
- सीमांत खुला क्षेत्र - 6.0 मीटर

**6.5.13 छविगृहों के लिए मापदण्ड**

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(3) के प्रावधान लागू होंगे।

**6.5.14 मल्टीप्लेक्स**

मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे। जो आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिश्रित भूमि उपयोग में मान्य होंगे एवं फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू-उपयोग के अनुरूप होगा जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो।

**6.5.15 उद्यान**

1. समस्त प्रकार के आमोद-प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत आनुषांगिक स्वीकार्य होगी।
2. स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे।

**6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन**

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित हैं :-

1. नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम-से-कम क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियमों के अनुसार होगा।

**सिवनी विकास योजना | 2035**

2. नहर की स्थिति सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों में कम से कम 3.0-3.0 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा।
3. प्रदूषित जल/मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जावेगा।
4. किनारे क्षेत्रों में अपने भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक को ग्रिडल मल लाईन, जब उसका निर्माण हो जाए से जोड़ना होगा।
5. निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ.ए.आर. में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
6. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे।
7. संवदेनशील क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के रख-रखाव के विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे।

**ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र :-**

- नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन।
- प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी अधिपत्य में हो, तो भी।
- समय-समय पर उत्खनित/खोजे गए विरासतीय भवन।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## 6.7 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां

सारणी 6.10 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
1	आवासीय	आवासीय भूखण्डीय विकास, अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हॉल, मैरिज गार्डन, बाल सुधार गृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, खेल का मैदान/ नेवरहुड पार्क, झूलाघर/डे-केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, शैक्षणिक महाविद्यालय/संस्थान, समस्त विद्यालय, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/ नृत्य/ नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय/ शासकीय कार्यालय/सुविधायें, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र गृह, मनोरंजन क्लब, खेल मैदान/स्टेडियम, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, मिश्रित उपयोग।
	वाणिज्यिक	
2	(अ) सामान्य वाणिज्यिक	आवासीय में स्वीकार्य समस्त गतिविधियां, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		स्टेशन, पुलिस पोस्ट, माल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब, मिश्रित उपयोग।
	(ब) वर्गीकृत वाणिज्यिक	आवासीय एवं सामान्य वाणिज्यिक में स्वीकार्य गतिविधियां तथा थोक व्यापार एवं लॉजिस्टिक हब।
3.	औद्योगिक	औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेशी प्लांट, स्लाटर हाउस, फेलैटेड फैक्टरी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय/ शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, बस स्टैण्ड, यातायात नगर।
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	अतिथि गृह/ रेस्ट हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर/डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग-ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्व विद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		महाविद्यालय, पॉलीटेक्नीक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता, ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थाएँ/ अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, मिश्रित उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग
5.	सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं	अग्निशमन स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर / स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव कार्यालय, यातायात सुविधाएं, संचार सुविधाएं, अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य।
6.	यातायात एवं परिवहन	रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाइन/ रेल्वे साइडिंग/ यार्ड/ आपरेशनल एरिया, बस स्टेण्ड, बस डिपो, ट्रक टर्मिनल-नगर, हवाई पट्टी, माल गोदाम, शीतगृह, सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशॉप, अनुषांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटल, होटल, पेट्रोल पम्प।
7.	आमोद-प्रमोद	
	(अ) क्षेत्रीय/नगर उद्यान/मनोरंजन	खेल का मैदान, पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन साईट, क्लब रिसोर्ट, घुड़सवारी, जिम्नेजियम मय वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाइंग क्लब, फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, वाटर पार्क मय राइडर कियोस्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, संग्रहालय, अन्य विशिष्ट

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, पम्प हाउस, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
	(ब)स्टेडियम/ खेल मैदान,	स्टेडियम/खेल मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, क्लब/रिसोर्ट, घुड़सवारी प्रशिक्षण, जिम्नेजियम, बोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फलाईंग, फिटनेस क्लब, मेला स्थल, नर्सरी, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, पम्प हाउस, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
	(स) मेला मैदान	मेला मैदान, खेल का मैदान, पार्क, एम्युजमेंट पार्क, क्लब, घुड़सवारी, जिम्नेजियम, बोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम-अस्थाई प्रकृति के, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फलाईंग, फिटनेस क्लब, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर-अस्थाई प्रकृति के, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
	(द) हरित क्षेत्र	खेल का मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी प्रशिक्षण, बोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फलाईंग, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, खेल उद्यान, पम्प हाउस, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान।
	(इ) वृक्षारोपण	पर्यावरण वानिकी, खेल का मैदान नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी, बोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट-अस्थाई प्रकृति की, वाटर पार्क, पर्यटक/कुटीर-अस्थाई प्रकृति की, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।
8.	कृषि	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है। श्मशान

## सिवनी विकास योजना | 2035

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		<p>घाट/कब्रिस्तान, जल-मल शोधन केन्द्र, ईट भट्टे दुग्ध डेयरी, तेल डिपो, फार्म हाऊस, वेयर हाऊस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण, शासकीय/ अर्द्ध-शासकीय/ पंजीकृत संस्थाओं का कार्यालय एवं उनके द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य/शैक्षणिक/संचार गतिविधियाँ, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ (क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक/औषधालय, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हाल, मैरिज गार्डन, बालगृह, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता ब-शारीरिक विकलांगता), पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी, लाइब्रेरी, सेवाओं/सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन, शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, डेरी प्लांट स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, समस्त खेल गतिविधियां/लॉजिस्टिक हब, बस स्टैण्ड, यातायात नगर, हाट/साप्ताहिक बाज़ार, सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा***ए समस्त प्रकार के भण्डारण।</p>

## सिवनी विकास योजना | 2035

**नोट :-**

- (1) \*सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाएँ।
- (2) \*\*गैर-प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
- (3) \*\*\*कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार मान्य होगा।

**6.8 अन्य सुविधाएँ**

सिवनी निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(1) अनुसार मान्य होंगी।

**6.9 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया**

विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होगी।



## अध्याय-7 योजना क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव औचित्यहीन है, यदि इसके क्रियान्वयन एवं प्रभावशील करने हेतु सम्यक प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किये जाते हैं। यह अपेक्षित है कि, इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि विकास करके योगदान करना होगा। इसलिए यह आवश्यक होगा कि, ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जावे, जिससे कि विकास एवं निर्माण, विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सके। विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा, जब म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर किया जावे।

विकास योजना के प्रस्तावों के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्यतः सिवनी नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के गठन तक नगर पालिका सिवनी द्वारा किया जावेगा। इसके अतिरिक्त म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, नगर पालिका द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है, इरारो विकास योजना के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इसलिए यह अपेक्षित होगा कि, सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय निकाय, विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें।

### 7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में रूपये 175196.90 लाख का व्यय अनुमानित है, इसमें विभिन्न भूमि उपयोग हेतु 752.30 हेक्टेयर भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं भूमि के विकास पर व्यय शामिल है।

भूमि अर्जन की औसत दर रूपये 50.0 लाख प्रति हेक्टेयर मानी गई है। इस पर विकास संबंधी व्यय भूमि का दस गुना अनुमानित है। विकास व्यय का जहां तक प्रश्न है, वह भूमि उपयोग के प्रकार अनुसार अलग-अलग माना गया है। संपूर्ण विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7.1 में दर्शाया गया है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 7.1 योजना क्रियान्वयन की लागत

क्र.	भूमि उपयोग विवरण	क्षेत्र (हेक्टेयर में)		भू-अर्जन लागत (रु. 50 लाख प्रति हे. की दर से)	उपलब्ध भूमि का 60 प्रतिशत विकास			कुल लागत (रु. लाख में)
		विकास हेतु उपलब्ध भूमि	भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र		क्षेत्र हे. में	विकास दर प्रति हे. (रु. लाख में)	लागत (रु. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आवासीय	1281.47	128.15	6407.35	768.88	100.00	76888.20	83295.55
2	वाणिज्यिक	19.87	1.99	99.35	11.92	100.00	1192.20	1291.55
3	मिश्रित	252.87	25.29	1264.35	151.72	100.00	15172.20	16436.55
4	औद्योगिक	235.45	141.27	7063.50	141.27	100.00	14127.00	21190.50
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	231.01	138.61	6930.30	138.61	100.00	13860.60	20790.90
6	सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधायें	7.80	6.24	312.00	4.68	100.00	468.00	780.00
7	आमोद-प्रमोद	358.78	251.15	12557.30	215.27	50.00	10763.40	23320.70
8	यातायात एवं परिवहन	85.17	59.62	2980.95	51.10	100.00	5110.20	8091.15
<b>योग</b>		<b>2472.42</b>	<b>752.30</b>	<b>37615.10</b>	<b>1483.45</b>		<b>137581.80</b>	<b>175196.90</b>

टीप:- भू-अर्जन की दरें सांकेतिक स्वरूप की हैं, जिसका वास्तविक निर्धारण क्रियान्वयन के समय किया जावेगा।

## 7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

सिवनी विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट होता है कि, विकास योजना के अधिकांश प्रस्तावों का वास्तविक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। उपयुक्त प्रबंधन की कमी के कारण जिन क्षेत्रों की योजना प्रभावित हुई है, उनका उल्लेख अध्याय 3 में किया गया है। जिस पर पुनर्विचार करते हुए योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु नीति निर्धारण अनिवार्य है। अतएव निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारण की नितांत आवश्यकता है :-

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू-स्वरूप
2. सांस्कृतिक धरोहरों के क्षेत्र का संरक्षण
3. भूमि का कुशलतम उपयोग
4. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/संधारण

## सिवनी विकास योजना | 2035

5. भूमि प्रदाय तथा अधोसंरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव
6. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना विकास योजना क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है -  
(अ) पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम  
(ब) नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम
7. मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू-उपयोग के क्रियान्वयन के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जावेगा कि, मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय प्राधिकारी को विकास हेतु उपलब्ध हो सके।

**7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम**

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है, जो प्रमुख रूप से तालाबों के संरक्षण इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्ट भू-स्वरूप तथा जल स्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है। अन्य पर्यावरण समस्याएं जैसे नगरीय अपशिष्ट के उपचार, निराकरण इनके पुनर्चक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या के व्यवस्थापन से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है।

**7.3.1 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व**

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय हैं

1. नदी एवं अन्य जल स्रोतों में जल-मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम।
2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू-उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना।
3. जल फैलाव क्षेत्रों में "स्टाप डेम" द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक का उपयोग निषेध।
4. नदी, नालों, तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों को प्रभावीकरण।
5. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण।
6. सभी जल स्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था।

**7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना**

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा

1. संस्था का गठन
2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन।

## सिवनी विकास योजना | 2035

3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग।
4. नगरवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान।

**7.4.1 नियंत्रित विकास**

विकास कार्यक्रमों में भूमि स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जाए। यहां समन्वयक संस्था की भूमि प्रदाय कर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थाएँ, प्रमुख सेवाएँ, तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी।

**7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन**

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभागिता करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं समन्वय के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

**7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना**

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप तैयार कर क्रियान्वित किया जा सकेगा। वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, जिससे पांच वर्षीय नगर विकास कार्यक्रम सामने आ सकेगा। मूलतः यह कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण, लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्तखण्ड तथा उपवृत्तखण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शायेगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले नगरीय मार्ग तंत्र तथा प्रमुख सेवा सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि का समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा।

योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका "सुविधादायक" के रूप में होना चाहिए। इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्रोतों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। एकीकृत नगर विकास

## सिवनी विकास योजना | 2035

योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति की जाना प्रस्तावित है:-

1. एकीकृत नगर विकास योजना के तत्वों की पहचान,
2. एकीकृत नगर विकास योजना तैयार करना,
3. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान,
4. विकास परियोजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण,
5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना, जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास में समन्वित विकास का दृष्टिकोण रखते हैं,
6. समन्वय अधिकारियों और अन्य खण्डीय एजेन्सियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।

### 7.5 विकास नियमन व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम उपयोग के साथ-साथ आधुनिक भूमि उपयोग की प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि, विकास ऩियमों को पुनर्भाषित किया जावे। भारतीय जीवन शैली के अनुरूप विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय-6 में नियमन वर्णित किये गये हैं।

### 7.6 योजना एवं कार्यक्रम

- (अ) क्षेत्रों के विकास हेतु क्रियान्वयन तीन चरणों में करने का प्रावधान है। प्रथम चरण में सन् 2025 तक की आवश्यकताओं तथा द्वितीय चरण में 2026 से 2030 तथा तृतीय चरण में वर्ष 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा।
- (ब) योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि-स्वामियों, विकास कर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकास कर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से संसाधन गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है।
- (स) योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिये नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास क्रियान्वित किया जावेगा :-
  1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना।
  2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारित करना, जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी कार्यरूप दे सके।

## सिवनी विकास योजना | 2035

3. भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी भूमि विकास कार्यक्रम की नीतियों को तैयार करना।
4. परिसीमन अधोसंरचना के प्रावधान के साथ-साथ लगभग पांच से दस हेक्टेयर आकार के अर्द्धविकसित भूखण्डों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु विकास कार्यक्रम को मूर्तरूप देना।
5. योजना के तीनों चरणों की आवश्यकता, जलपूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्रोत का विकास।

#### 7.6.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धांत निम्नानुसार है

- यह सुनिश्चित करना कि, भूमि उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना के कारण विकास अवरुद्ध न हो।
- उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।
- बिखरे हुए नगरीय विकास के लिये पहुंच मार्ग उपलब्ध कराना।
- अर्द्ध विकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन।
- भू-स्वामियों, सार्वजनिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

#### 7.7 प्रथम चरण के घटक

प्रथम चरण कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को निम्न सारणी में वर्णित अनुसार चिन्हित किया गया है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

## सारणी 7.2 प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

क्र.	विकास के घटक	क्षेत्रफल हेक्टेयर	प्रस्तावित स्थल
1	2	3	4
1	आवासीय	314.31	निवेश इकाई क्रमांक 1 एवं 2
2	वाणिज्यिक	15.07	निवेश इकाई क्रमांक 1 एवं 2
3	मिश्रित	146.92	निवेश इकाई क्रमांक 1 एवं 2
4	औद्योगिक	11.74	निवेश इकाई क्रमांक 1
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	31.05	निवेश इकाई क्रमांक 1
6	सार्वजनिक सेवाएँ- सुविधाएँ	3.55	निवेश इकाई क्रमांक 2
7	आमोद-प्रमोद	44.72,	निवेश इकाई क्रमांक 1 एवं 2
8	यातायात एवं परिवहन	21.73	निवेश इकाई क्रमांक 1
	<b>योग</b>	<b>589.09</b>	

स्रोत : जी.आई.एस. विश्लेषण

प्रथम चरण के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कार्यक्रम उनकी लागत प्राप्त होने के आधार पर रखे गए हैं। तथापि नगर की त्वरित आवश्यकताओं को भी प्रथम चरण विकास में लिया गया है। नगर में कार्यरत विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं को विकास योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक है तथा इससे इन विभागों के वार्षिक बजट तथा अन्य संसाधनों को भी उपयोग में लाया जा सकेगा।

## 7.8 प्रथम चरण कार्यक्रम

विकास योजना के क्रियान्वयन में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास मुख्यतः निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है इस हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता नहीं होगी।

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनीत घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत 225.69 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 67957.53 लाख होगी। विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण निम्न सारणी में दिया गया है :

## सिवनी विकास योजना | 2035

सारणी 7.3 प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत

क्र	भूमि उपयोग विवरण	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)	भू-अर्जन की लागत (रु. 50.0 प्रति हेक्टेयर) (रु. लाख में)	विकास व्यय			कुल लागत (रु. लाख में)
				क्षेत्र (हेक्टेयर में)	विकास दर प्रति हेक्टेयर (रु. लाख में)	लागत (रु. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	38.44	1922.205	230.66	100.00	31431.00	33353.21
2	वाणिज्यिक	0.60	29.805	3.58	100.00	1507.00	1536.81
3	मिश्रित	7.59	379.305	45.52	100.00	14692.00	15071.31
4	औद्योगिक	42.38	2119.05	42.38	100.00	1174.00	3293.05
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	41.58	2079.09	41.58	100.00	3105.00	5184.09
6	सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें	1.87	93.6	1.40	100.00	355.00	448.60
7	आमोद-प्रमोद	75.34	3767.19	64.58	50.00	2236.00	6003.19
8	यातायात एवं परिवहन	17.89	894.285	15.33	100.00	2173.00	3067.29
<b>योग</b>		<b>225.69</b>	<b>11284.53</b>	<b>445.04</b>		<b>56673.00</b>	<b>67957.53</b>

## 7.9 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है। वर्तमान में नगर विकास एवं निवेश हेतु अलग-अलग प्रयास नहीं किये गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अपव्यय होता है। नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती हैं। नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्तमान में भूमि का उपयोग कर नगर विकास में निवेश के प्रयास तदर्थ एवं पृथक्-पृथक् रहे हैं, जिसमें उपलब्धता बहुत अधिक अवसर एवं क्षमता को सिवनी जैसे नगर के लिए नगरीय वृद्धि एवं नगरीयकरण के परिपेक्ष्य में कार्यरत भूमि बाजार को रोकते हुए गतिशीलता दी जा सकती है। स्थानीय राजस्व को सृजित करने के



## सिवनी विकास योजना | 2035

लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है, जो कि नगर में कार्यरत नगर भूमि बाजार को रोकने में मदद कर सकती है।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिह्नित किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगा।

### 7.10 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

1. विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रम के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करते हैं। यह योजना क्रियान्वयन एवं पुनर्विलोकन के साथ-साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरांत तदनुसार पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है।
2. योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्नानुसार तैयार करना प्रस्तावित है :-
  - पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना।
  - आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकताओं वाली कार्य योजना का निर्धारण
  - प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत नगर विकास हेतु चिह्नित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना।
  - वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश का निर्धारण।
  - आलोच्य क्षेत्रों के सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका का निर्धारण।
  - समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना।
  - वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण।
  - सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमि को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम को परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना।
3. नियोजन पर्यवेक्षण तंत्र :- योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है :-
  - स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति।
  - नगर विकास प्राधिकरण अथवा नगर पालिका द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।

## सिवनी विकास योजना | 2035

- नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास कार्यक्रम/क्रियान्वयन का मूल्यांकन।
  - समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
  - वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन।
4. नियोजन पर्यवेक्षण समिति का गठन :- विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व सिवनी विकास प्राधिकरण का होगा। विकास प्राधिकरण के गठन होने तक सिवनी नगर पालिका द्वारा उक्त दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। अपितु इसके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएं एवं विभाग भी सहभागी होंगे। अतः संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3/45/32/2010 दिनांक 15/04/2010 द्वारा जिलाध्यक्ष सिवनी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के ज्ञापन क्रमांक 2876 दिनांक 15/05/1998 में उल्लेखित कार्यपद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी।
5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण : सिवनी विकास नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशासित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशासा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन को अनुशासित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

## 7.11 योजना की व्याख्या

सिवनी विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :


1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषय वस्तु के साथ-साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।
2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग, सारणी एवं विकास नियमन के अध्याय-6 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगी। नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।
3. ऐसे भूमि उपयोग/गतिविधियाँ जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग (मेजर लैण्ड यूज झोन) में परिभाषित नहीं हैं, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी, किन्तु जो

## सिवनी विकास योजना | 2035

- स्वीकृत भूमि उपयोग सूची में सम्बद्ध तालिका में शामिल है, वे भू-उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आवेंगे।
4. विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक बदलाव अपरिहार्य होता है, स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जावेगा।
  5. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में प्रस्ताव सांकेतिक स्वरूप के है। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम मानी जायेगी।
  6. यह कि नीतिगत दस्तावेज है, विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र में भूमि से आवश्यकता से संबंधित व्याख्या निकाय योजना/परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थिति अनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पुर्न समायोजित की जा सकती है।

**7.11.1 योजना कालावधि**

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है, इसमें अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सभी घटकों के कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है। इसलिये नियोजन प्रक्रिया में कालावधि के आधार का निर्धारण किया जाता है। कालावधि के आधार पर ही नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित मानकर भावी नगर का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। सिवनी नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना हेतु वर्ष 2035 तक की कालावधि नियत की गई है। अतः नगर की भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण उपरोक्त कालावधि हेतु किया गया है। इसके अलावा दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव केवल विकास योजना कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते, क्योंकि नगर का विकास एक सतत् प्रक्रिया है एवं यह विकास योजना कालावधि के बाद के नगरीय विकास के लिये भी आधारभूत संरचना के रूप में उपयोगी सिद्ध होगी। अतः सिवनी विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी विकास योजना पुनर्वलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा प्रस्तुत विकास योजना प्रस्तावों के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे।

**सिवनी विकास योजना | 2035**

## परिभाषाएँ

- 001 आवासीय भू-खण्ड भू-खण्डीय आवास**  
 एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज/गैरेजेस, सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो।
- 002 आवासीय भू-खण्ड समूह आवास**  
 न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों।
- 003 आवासीय प्लेट**  
 एक परिवार के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो।
- 004 आवासीय-सह-कार्य भू-खण्ड**  
 एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे।
- 005 आवासीय परिसर – विशेष क्षेत्र**  
 विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान।
- 006 छात्रावास (होस्टल)**  
 दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर।
- 007 अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह**  
 अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर। बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों की छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों।
- 008 धर्मशाला एवं इसके समकक्ष**  
 वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो।
- 009 बारात घर**  
 सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान।
- 010 रैन-बसेरा (नाइट रोल्टर)**  
 ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय संस्था या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों।
- 011 फुटकर दुकानें**  
 आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर।

## सिवनी विकास योजना | 2035

**012 मरम्मत दुकान**

गृहसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान, आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर।

**013 व्यक्तिगत सेवा दुकान**

फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों।

**014 बेडिंग बूथ**

यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो।

**015 सुविधाजनक दुकान केन्द्र**

लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह।

**016 स्थानीय दुकान केन्द्र**

लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह।

**017 साप्ताहिक बाजार/अनौपचारिक समूह इकाई**

बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र। यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो।

**018 थोक व्यापार**

ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों।

**019 स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण**

ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो।

**020 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)**

आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।

**021 गैस गोदाम**

ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भण्डारण किया जाता हो।

**022 तेल डिपो**

संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर।

**023 कबाड़खाना**

अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय-विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर।

## सिवनी विकास योजना | 2035

- 024 वाणिज्यिक कार्यालय**  
लाभ-अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर।
- 025 बैंक**  
ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों।
- 026 मोटर गैरेज एवं कार्यशाला**  
वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर।
- 027 छविगृह**  
दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर।
- 028 पेट्रोल पंप**  
ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग व्यवस्था हो।
- 029 रेस्टोरेंट/चपडार गृह**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले, या बंद दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो।
- 030 होटल**  
ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो।
- 031 मोटल**  
ऐसा परिसर, जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो।
- 032 फ्लैटेड समूह उद्योग**  
ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं।
- 033 सेवा केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सकें।
- 034 औद्योगिक भूखण्ड - हल्के उद्योग**  
अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर।

## सिवनी विकास योजना | 2035

**035 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग**

ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो।

**036 उद्यान (पार्क)**

आमोद-प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू-दृश्यीकरण, वाहन विराम, सार्वजनिक शौचालय, फैंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन, खुले, हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे।

**037 क्रीड़ांगन**

बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर, इसमें भूदृश्यीकरण, वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों।

**038 बाह्य खेल स्टेडियम**

बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

**039 आंतरिक खेल स्टेडियम**

अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

**040 आंतरिक खेल हाल**

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों।

**041 शूटिंग रेंज**

ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों।

**042 तरण पुष्कर**

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।

**043 आमोद-प्रमोद क्लब**

संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो।

**044 ऐतिहासिक स्मारक**

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों।

**045 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय**

संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों।

## सिवनी विकास योजना | 2035

- 046 पक्षी अभ्यारण्य**  
पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर।
- 047 वनस्पति उद्यान**  
अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर।
- 048 पिकनिक हट/केम्पिंग साइट**  
ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद-प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो।
- 049 फ्लाइंग क्लब**  
ऐसा परिसर जहां ग्लाइडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों।
- 050 माल एवं टिकट घर**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाइन द्वारा टिकट घर एवं माल के भण्डारण के लिए किया जाता हो।
- 051 रेल माल गोदाम**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेलवे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो।
- 052 रेल टिकट घर**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकट घर के रूप में किया जाता हो।
- 053 सड़क परिवहन टिकट घर**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो।
- 054 वाहन विराम**  
सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो।
- 055 टेक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है। वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो।
- 056 बस अवसान केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो। इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं।

## सिवनी विकास योजना | 2035

**057 बस स्थानक**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख-रखाव, मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी।

**058 सार्वजनिक उपयोगिता परिसर**

1. पानी की टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
2. भूमिगत टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
3. आक्सीकरण पौंड – ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो।
4. सेप्टिक टैंक – ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टैंक स्थित हो।
5. जल-मल पंपिंग स्टेशन – ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल-मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो।
6. सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय – ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी।
7. विद्युत उपकेन्द्र – ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो।
8. घूरा एवं कचराघर – ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्ढों को भरने हेतु लदान किया जाता हो।
9. धोबीघाट – ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो।

**059 केन्द्र शासन के कार्यालय**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

**060 स्थानीय शासन के कार्यालय**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो।

**061 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

## सिवनी विकास योजना | 2035

**062 न्यायालय**

ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

**063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)**

शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो।

**064 चिकित्सालय**

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो।

**065 स्वास्थ्य केन्द्र**

ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर-व्यवसायिक आधार पर किया जाता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है।

**066 उपचार केन्द्र**

ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो। जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है।

**067 औषधालय**

ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाइयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो।

**068 क्लीनिक / चिकित्सा केन्द्र**

ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा बाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो। पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा।

**069 उपचार प्रयोगशाला**

ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो।

**070 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा**

ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो। यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

## सिवनी विकास योजना | 2035

- 071 झूलाघर एवं दिवस देख-रेख केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो। यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है।
- 072 पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल**  
ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों।
- 073 माध्यमिक शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा पाँचवीं तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो।
- 074 प्राथमिक शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा छँटवीं से दसवीं तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो। इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा आठवीं तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं।
- 075 उच्चतर माध्यमिक शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो।
- 076 एकीकृत शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो।
- 077 एकीकृत आवासीय शाला**  
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो। इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं।
- 078 महाविद्यालय**  
ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो। इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं।
- 079 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो। ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये। इसमें प्रशिक्षण-सह-कार्य केन्द्र शामिल हैं।
- 080 सामाजिक कल्याण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो। यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है।
- 081 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो।

## सिवनी विकास योजना | 2035

- 082 पुस्तकालय**  
ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो।
- 083 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल है।
- 084 वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण**  
ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण, पत्राचार, रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो।
- 085 संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो।
- 086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है।
- 087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें आटो/वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो।
- 088 बाल यातायात उद्यान**  
ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा-सह-उद्यान की सुविधा हो
- 089 संग्रहालय**  
ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो।
- 090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी स्थल**  
ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग, छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र, मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो।
- 091 समागृह (ऑडिटोरियम)**  
ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो।
- 092 खुला रंगमंच**  
ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो।

## सिवनी विकास योजना | 2035

- 093 सामुदायिक भवन**  
ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक- सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो।
- 094 मेला मैदान**  
ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों।
- 096 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों।
- 098 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था**  
ऐसा परिसर जिसमें गैर-वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों।
- 097 सुधार गृह**  
ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो।
- 098 अनाथालय**  
ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों को रहने की सुविधा हो। यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है।
- 100 योग, ध्यान, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र**  
ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों।
- 101 पुलिस चौकी**  
पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर।
- 102 पुलिस स्टेशन**  
ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो।
- 103 जिला पुलिस कार्यालय**  
अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर।
- 104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक**  
आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर।
- 105 न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला**  
ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो।

## सिपनी विकास योजना | 2035

- 106 जेल**  
ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास/बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो।
- 107 अग्निशमन पोस्ट**  
ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो। अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है।
- 108 अग्निशमन पोस्ट**  
एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर।
- 109 डाकघर**  
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर।
- 110 डाक एवं तार घर**  
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।
- 111 मुख्य डाकघर**  
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।
- 112 टेलीफोन एक्सचेंज**  
परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो।
- 113 रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन**  
समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर। जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं।
- 114 ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन**  
ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया जाता हो।
- 115 उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र**  
ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो।
- 116 वैद्यशाला एवं मौसम कार्यालय**  
ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सुविधा उपलब्ध हो।
- 117 बाग (ओरकरी)**  
सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है।

- 118 डेरी फार्म**  
ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो। जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।
- 119 कुक्कुट फार्म**  
कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।
- 120 सुअर पालन**  
सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।
- 121 ग्रामीण केन्द्र**  
एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर।
- 122 मल्टीप्लेक्स**  
म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 95 के अनुसार दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद-प्रमोद की गतिविधियों, कार्यालय, शोरूम, होटल, रेस्टोरेन्ट, शॉपिंग मॉल संबंधी परिसर।

## परिशिष्ट 1

## नियम 17 (1)

किसी भवन के विकास, निर्माण, पुर्ननिर्माण अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन करने के लिये प्रथम आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

.....  
.....

महोदय,

मैं एतद् द्वारा यह सूचना देता हूँ, कि मैं नगर ....., मोहल्ला-बाजार सड़क ..... बस्ती/मार्ग ..... में भवन क्रमांक ..... अथवा प्लॉट क्रमांक .....

में/पर तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 के ..... के अनुसार विकास निर्माण पुननिर्माण अथवा परिवर्तन करना चाहता हूँ मैं इसके साथ मेरे तथा ..... वास्तुविद इंजीनियर, पर्यवेक्षक, नगर निवेशक अनुज्ञप्ति क्रमांक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) ..... जो उस निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करेगा, द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित निम्नलिखित रेखांक और विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता है ।

1. मुख्य रेखांक
2. स्थल रेखांक
3. उप विभाग-अभिन्यास योजना
4. भवन मानचित्र
5. सेवा आयोजन
6. विशिष्टियां सामान्य तथा विस्तृत
7. स्वामित्व संबंधी

मैं निवेदन करता हूँ कि विकास निर्माण को अनुमोदित किया जाये और मुझे कार्य निषादित करने की अनुमति प्रदान की जाये ।

स्वामी के हस्ताक्षर

स्वामी के नाम .....

(स्पष्ट अक्षरों में) .....

स्वामी का पता .....

तारीख .....

प्राधिकारी द्वारा सीधे उपयोग के लिये ..... रूपरेखा तैयार की जा सकती है ।

सिवनी विकास योजना | 2035

## परिशिष्ट 2

**विशेष विवरण पत्रक**  
**प्रस्तावित भवन का विशेष विवरण**

1. भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल ..... वर्गफुट/मीटर
2. कुल निर्मित क्षेत्र .....
- विद्यमान भू-तल ..... वर्गफुट/मीटर/प्रस्तावित..... वर्गफुट/मीटर
- विद्यमान प्रथम मंजिल ..... वर्गफुट/मीटर/प्रस्तावित..... वर्गफुट/मीटर
- विद्यमान द्वितीय मंजिल ..... वर्गफुट/मीटर/प्रस्तावित..... वर्गफुट/मीटर
3. उद्देश्य कार्य जिसके लिये भवन का उपयोग प्रस्तावित है ।
4. विशेष विवरण जो निम्नलिखित के निर्माण में उपयोग में लाया जाएगा ।  
(एक) नींव  
(दो) दीवारें  
(तीन) फर्श  
(चार) छत ।
5. भवन में अन्तर्विष्ट होने वाली मंजिलों की संख्या .....
6. ऐरो व्यक्तियों की लगभग संख्या, जिन्हें कि बारा रधान बिभा जाना प्रस्तावित है ।
7. उन शौचालयों की संख्या जिनकी कि व्यवस्था की जाएगी।
8. क्या स्थल पर पूर्व में ही निर्माण हुआ है, यदि हो तो पूर्ववती भवन रहने के लिये कब से उपयुक्त नहीं रहप .....
9. भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले जल का प्रयोग ।

आवेदक के हस्ताक्षर

सिवनी विकास योजना | 2035

## परिशिष्ट 3

## (नियम 49) (3) देखिये

## विकास योजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्रारूप

प्रति,

प्राधिकारी .....

.....

.....

मध्यप्रदेश ।

महोदय,

मैं एतद् द्वारा नगर ..... मोहल्ला/बाजार .....  
 बस्ती/कालोनी/गली ..... भूखंड क्रमांक ..... खसरा क्रमांक ..... की  
 भूमि के विकास/पुनर्विकास करने का इच्छुक हूँ। क्षेत्र से संबंधित विकास योजना/परिक्षेत्रिक विकास  
 योजना से संबंधित प्रस्ताव ऊपर उल्लिखित भूमि के लिए उपखण्ड आयोजना तैयार करने के लिए  
 उपलब्ध किए जा सकेंगे। विकास योजना/परिक्षेत्रिक विकास योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के  
 लिए आवश्यक भुगतान किया जा चुका है तथा रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

भूस्वामी के हस्ताक्षर

भूस्वामी का नाम .....

(स्पष्ट अक्षरों में) .....

भूस्वामी का पता .....

.....

.....

## परिशिष्ट 4

मध्यप्रदेश शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय

## आदेश

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी, 1998

क्रमांक एफ - 3/130/32/97, राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश के जिन विभिन्न नगरों की विकास योजनाएं अनुमोदित है, की विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए निम्नानुसार नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन करता है :-

- |        |   |            |
|--------|---|------------|
| 1.     | संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागयुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर   | अध्यक्ष    |
| 2.     | नगर तथा ग्राम निवेश का संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय अधिकारी  | सदस्य      |
| 3.     | म.प्र.गृह निर्माण मंडल का उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री   | सदस्य      |
| 4.     | संबंधित आयुक्त, नगर पालिका निगम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका  | सदस्य      |
| 5.     | लोक निर्माण विभाग का अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री  | सदस्य      |
| 6.     | लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री   | सदस्य      |
| 7.     | म.प्र.विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री  | सदस्य      |
| 8. (अ) | संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित है) | सदस्य सचिव |
| (ब)    | संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित नहीं है)                           | सदस्य सचिव |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के  
नाम से  
तथा आदेशानुसार  
हस्ता./-  
(जी.व्ही. उपाध्याय)  
उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग

सिवनी विकास योजना | 2035

## परिशिष्ट 5

मध्यप्रदेश शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय

## संशोधन

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त, 1998

क्रमांक एफ - 3/130/32/97, राज्य शासन एतद् द्वारा नगरों की अनुमोदित 'विकास' योजनाओं के क्रियान्वयन एवं क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ - 3/130/32/97, दिनांक 20.01.98 द्वारा संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित 'नियोजन एवं पर्यवेक्षण' समिति में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है -

(1) समिति में निम्नलिखित भी सदस्य के रूप में शामिल किए जाते हैं :-

1. सांसद, संबंधित क्षेत्र
2. अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण
3. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत
4. महापौर, संबंधित नगर पालिक निगम
5. अध्यक्ष, नगर पालिका
6. अध्यक्ष, नगर पंचायत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के  
नाम से  
तथा आदेशानुसार

हस्ता./-

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन  
आवास एवं पर्यावरण  
विभाग

सिवनी विकास योजना | 2035

## परिशिष्ट 6

## संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक 2876/नग्रानि/वि.यो./98

भोपाल, दिनांक 15 मई 1998

- प्रति, 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
2. आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
नगर निगम/नगर पालिका

विषय :- विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति की कार्यवाही हेतु रूपरेखा ।

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 3/130/32/97, दिनांक 20 जनवरी, 1998 द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी गठित की गई "नियोजन एवं पर्यवेक्षण" समिति की कार्य पद्धति की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है :-

- पर्यवेक्षण समिति निम्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन स्थिति का पर्यवेक्षण करेगी -
  - नगरीय अप्पोरारचना या विकास
  - आवासीय एवं आश्रय योजनाओं का विकास
  - सार्वजनिक सुविधाओं एवं नगरीय केन्द्रों/उप केन्द्रों का विकास
  - आमोद-प्रमोद क्षेत्रों का विकास
- समिति निम्नलिखित कार्यों के प्रगति की समीक्षा हेतु 3 माह में एक बार बैठक करेगी-
  - कार्यक्रम का चयन
  - परियोजना तैयारीकरण
  - परियोजना क्रियान्वयन एवं वित्तीय व्यवस्था
  - कार्यक्रम क्रियान्वयन के मूल्यांकन के फलस्वरूप वांछित सुधार
- समिति निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।  
विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे । समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा प्रतिवेदन का अनुमोदन कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा ।

हस्ता./-

(के. के. सिंह)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश  
भोपाल, मध्यप्रदेश

सिवनी विकास योजना | 2035

## परिशिष्ट 7

## मध्यप्रदेश राजपत्र

पृष्ठ क्र. 1753

दिनांक 31 अक्टूबर 1986

कार्यालय संयुक्त संचालक,  
नगर एवं ग्रामीण नियोजन क्षेत्रीय कार्यालय  
जबलपुर

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा, 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है की संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सिवनी निवेश क्षेत्र में की भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदानुसार सम्यक रूप में अंगीकृत किया जाता है। इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है, जो इस बात का निश्चयक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है।

## अनुसूची

सिवनी निवेश क्षेत्र की सीमायें

1. उत्तर में :- ग्राम लोनिया, लूघरवाड़ा, बिंझावाड़ा, (रैयत), बोरिया, मानेगांव, तथा बिटली की उत्तरी सीमा तक ।
2. पूर्व में :- ग्राम बिटली, पलारी, तथा छिड़िया की पूर्वी सीमा तक ।
3. दक्षिण में :- ग्राम छिड़िया, डोरलीछतरपुर, बोरदई, खैरी, सिमरिया, मरझोर, बम्होड़ी तथा लखनवाड़ा की दक्षिण सीमा तक
4. पश्चिम में :- ग्राम लखनवाड़ा, कोनिया, पार तथा लोनिया की पश्चिम सीमा तक ।

हस्ता./-

(व्ही. के. जैन)

संयुक्त संचालक

## परिशिष्ट 8

**कार्यालय, संयुक्त संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर**

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है, की निवेश क्षेत्र सिवनी के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्रों को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा, 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है, और उसकी एक प्रति नगर पालिका सिवनी के टाउन हॉल में एवं संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन क्षेत्रीय कार्यालय 28 साउथ सिविल लाईनस जबलपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में निरीक्षण मंगलवार दिनांक 1 जुलाई 1986 से उपलब्ध है।

यदि इस प्रकार तैयार किये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति एवं सुझाव हो तो उसे प्रदर्शनी हॉल एवं संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन जबलपुर को मध्यप्रदेश राजपत्र में सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, संयुक्त संचालक द्वारा विचार किया जायेगा।

प्रकाशित मानचित्र की पूर्ण प्रति प्रकाशन केन्द्र पर दो रूपये प्रति मानचित्र एवं आधी प्रति एक रूपये में नगदी भुगतान पर दी जावेगी।

## सिवनी निवेश क्षेत्र की सीमायें

## अनुसूची ग्रामों के नाम

1. उत्तर में :- ग्राम लोनिया, लूघरवाड़ा, बिंझावाड़ा, (रैयत), बोरिया, मानेगांव, तथा बिटली की उत्तरी सीमा तक।
2. पूर्व में :- ग्राम बिटली, पलारी, तथा छिड़िया की पूर्वी सीमा तक।
3. दक्षिण में :- ग्राम छिड़िया, डोरलीछतरपुर, बोरदई, खैरी, सिमरिया, मरझोर, बम्होड़ी तथा लखनवाड़ा की दक्षिण सीमा तक
4. पश्चिम में :- ग्राम लखनवाड़ा, कोनिया, पार तथा लोनिया की पश्चिम सीमा तक।

हस्ता./-

(व्ही. के. जैन)

संयुक्त संचालक

नगर एवं ग्रामीण नियोजन

जबलपुर मध्यप्रदेश

सिवनी विकास योजना | 2035

## परिशिष्ट 9

मध्यप्रदेश शासन  
नगर तथा ग्राम निवेश विभाग  
अधिसूचना

क्रमांक : 232/एफ 1-12/बत्तीस/74

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 1974

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा सिवनी नगर निवेश क्षेत्र का गठन करती है। जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है।

## अनुसूची

## सिवनी निवेश क्षेत्र की सीमायें

1. उत्तर में :- ग्राम लोनिया, लूघरवाड़ा, बिंझावाड़ा (रैयत), बोरिया, मानेगांव, तथा बिटली की उत्तरी सीमा तक।
2. पूर्व में :- ग्राम बिटली, पलारी, तथा छिड़िया की पूर्वी सीमा तक।
3. दक्षिण में :- ग्राम छिड़िया, डोरलीछतरपुर, बोरदई, खैरी, सिमरिया, मरझोर, बम्होड़ी तथा लखनवाड़ा की दक्षिण सीमा तक
4. पश्चिम में :- ग्राम लखनवाड़ा, कोनिया, पार तथा लोनिया की पश्चिम सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के

तथा आदेशानुसार

हस्ता./-

(एन सी जैन)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी

क्रमांक -233/एफ/1-12/तैतीस/74  
1974

प्रतिलिपि :-

1. कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर मध्यप्रदेश।
2. कलेक्टर सिवनी मध्यप्रदेश।
3. संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन जबलपुर मध्यप्रदेश।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिवनी मध्यप्रदेश।
5. अपर संचालक नगर तथा ग्रामीण नियोजन भोपाल मध्यप्रदेश को उनके ज्ञापन क्रमांक 231/वि.धि./टी.एण्ड सी.पी. दिनांक 7.01.74 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय मध्यप्रदेश भोपाल की ओर अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-2 में प्रकाशित किया जाए।

हस्ता./-

(एस.सी मिश्रा)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, नगर तथा ग्रामीण

विभाग, भोपाल म.प्र.

## सिवनी विकास योजना | 2035

## परिशिष्ट 10

2356

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2021

[ भाग 1

क्र. एफ 3-09-2021-अठारह-5- राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के अन्तर्गत सिवनी विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश दिनांक 24.10.2001 को निरस्त करते हुये सिवनी विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है। यह समिति, अधिनियम की धारा 17-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी।

अधिनियम की धारा 17 (क) (1) की संघारा	पदनाम	संस्था/पता	समिति में पद
1	2	3	4
(क)	अध्यक्ष	नगर पालिका परिषद, सिवनी	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, सिवनी	सदस्य
(ग)	संसद सदस्य	लोक सभा क्षेत्र, सिवनी	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र-213, सिवनी	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	नगर विकास प्राधिकरण/साडा	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, सिवनी	सदस्य
(छ)	1.सरपंच	ग्राम पंचायत, बीजावाडा	सदस्य
	2.सरपंच	ग्राम पंचायत, कोहका माल (ग्राम-मानेगाँव)	सदस्य
	3.सरपंच	ग्राम पंचायत, बिठली	सदस्य
	4.सरपंच	ग्राम पंचायत, जोरली छतरपुर	सदस्य
	5.सरपंच	ग्राम पंचायत, बोरदेई	सदस्य
	6.सरपंच	ग्राम पंचायत, खैरी	सदस्य
	7.सरपंच	ग्राम पंचायत, बाम्होडी	सदस्य
	8.सरपंच	ग्राम पंचायत, लखनवाडा	सदस्य
	9.सरपंच	ग्राम पंचायत, लोनिया	सदस्य
	10.सरपंच	ग्राम पंचायत, लूधरवाडा	सदस्य
(ज)	1.प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला सिवनी	सदस्य
	2.प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सिवनी	सदस्य
	3.प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सिवनी	सदस्य
	4.प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, सिवनी	सदस्य
	5.प्रतिनिधि	इस्टिड्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	6.प्रतिनिधि	इस्टिड्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया	सदस्य
	7.प्रतिनिधि	कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर(म.प्र.)	संयोजक

## सिवनी विकास योजना | 2035

भाग-1

2471

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अक्टूबर 2008  
भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2008

## सूचना

क्र. एफ.3-67-2007-बत्तीस-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सिवनी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 (1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

- (1) कलेक्टर, जिला सिवनी (म.प्र.)
- (2) सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
- (3) मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद सिवनी (म.प्र.)

यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा 5 के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

**वर्षा नावलेकर**

**उपसचिव,**